लोक-सभा

सोमवार,
२२ अगस्त, १९५५

वाद-विवाद

1st Lok Sabha

(भाग १--प्रश्नोत्तर)

खंड ५, १९५५

(२२ अगस्त से १६ सितम्बर, १९५५)

दशम सत्र, १९५५

(खंड ५ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय–सूची

(खंड ५, अंक २१ से ४०, दिनांक २२ अगस्त से १६ सितम्बर १९५५

अंक २१––सोमवार, २२ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–– स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ९७७, ९७८, ९८१, ९८३, ९८४, ९८६, ९८८ से ९९२, ९९४ से ९९६, ९९९ से १००१, १००३, १००४, १००८ से १०१०, ९८५, १००५ और १००७ . . . १४३९–७८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . . १४७८–८३

प्रश्नों क लिखित उत्तर––

ताराकित प्रश्न संख्या ९७६, ९७९, ९८०, ९८२, ९८७, ९९३, ९९७, ९९८, १००२ और १००६ . . . १४८३–८८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१४ से ५३४ . . . १४८९–१५००

अंक २२––मंगलवार, २३ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १०१३,१०१५, १०१७, १०१९ से १०२ , १०२४ से १०२८,१०३०, १०३१, १०३२,१०३४ से १०३६, १०३८, १०४१ से १०४६, १०४८, १०४९, १०५३ और १०५४ से १०५६ . . १५०१–४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १०११, १०१२, १० ४, १०१६, १०१८, १०२२, १०२३, १०२९, १०३३, १०३७, १०३९, १०४०, १०४७, १०५०, १०५१, १०५२ और १०५७ से १०६४ . . . १५४४–५७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३५ से ५६३ . . . १५५७–७२

अंक २३––बुधवार, २४ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १०६५, १०६६, १०६८ से १०७२, १०७४, १०७५, १०७९, १०८१,१०८३, १०८५,१०८९ से १०९१, १०९३ से १०९५, १०९८ से ११००, ११०२ से ११०६ और ११०८ . . १५७३–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १०६७, १०७३, १०७६ से १०७८, १०८०, १०८२, १०८४, १०८६. १०८८, १०९२, १०९६, १०९७, ११०१, ११०७ और ११०९ से ११२३ १६२१-३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६४ से ५८४ और ५८४ और ५८६ से ६०४ १६३९–६८

अंक २४--गुरुवार, २५ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२४, ११२५, ११२९, ११३१, ११३२, ११३५, ११३७ से ११३९, ११४१, ११४५, स ११४७, ११४९, ११५०, ११५२ ११५४ से ११५६, ११५८, ११३३, ११२६, ११४८, ११४४, ११५३ और ११५७ ११६९–१७०९ १७०९–११

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२७, ११२८, ११३०, ११३४, ११३६, ११४०, ११४२, ११४३ और ११५१ १७११–१६ १७१६–२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०५ से ६१८

अंक २५--शुक्रवार, २६ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११५९ से ११६१, ११६४ ११६७, ११६८, ११७०, ११७१, ११७३, ११७५, ११७८, ११८१, ११८४, ११८५, ११८९, ११९०, ११९४, ११९५ और ११९६ १७२३–१७६३

तारांकित प्रश्न संख्या ११६४ क उत्तर में शुद्धि १७६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११६३, १ ६५, ११६६, ११६९, ११७२, ११७४, ११७६, ११७७, ११७९, ११८०, ११८२, ११८३, ११८६ से ११८८, ११९१ से ११९३, ११९७ से १२०३ . . १७६३–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६१९ से ६३६ . . . १७७८–८८

अंक २६--मंगलवार, ३० अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२०४ से १२०६, १२११, १२१२, १२१४ से १२१६, १२२१, १२२४ से १२२८, १२३१, १२३२, १२३४ से १२३९ और १२४१ १७८९–१८३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १२०७ से १२१०, १२१३, १२१७ से १२२०, १२२२, १२२३, १२२६, १२३०. १२३३, १२४० और १२४२ से १२५४ .... १८३२–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३७ से ६६८ . . १८४८–७०

अंक २७—बुधवार, ३१ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५५, १२५६. १२५८, १२६२ से १२६४, १२६६. १२६८ से १२७०, १२७२, १२७४; से १२७७, १२७९ से १२८३, १२८८ से १२९०, १२९२, १२९३. १२९५ से १२९९. १३०१ और १३०२ १८७१—१९१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७, १२५९ से १२६१, १२१५, १२६७, १२७१ १२७३, १२७८, १२८४ से १२८७, १२९१ से १२९४ और १३०० १९१५–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ६७९ १९२१-२८

अंक २८—गुरुवार १ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०३, १३०६, १३०७, १३०९, १३१० से १३१२, १३१५, १३१७, १३१८, १३२०, १३२२ से १३२४, १३२६ से १३३०, १३४१, १३३१, १३३३, १३३५ से १३३७, १३४० और १३४२... १९२९-७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०४, १३०५, १३०८, १३१३, १३१४, १३१६, १३१९, १३२१, १३२५, १३३४, १३३८, १३३९ और १३४३ से १३४५ . . . . . १९७२–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७९१ १९८०–९०

अंक २९— शुकवार २ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रस्न संख्या, १३४६, से १३५५, १३५९ से १३६२, १३६४, १३२५, १३६७, से १३७४, १३७६, १३७८, से १३८३ और १३८६ १९९१–२०३६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . २०३६–३८

प्रश्नों क लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५६ से १३५८, १३६३, १३६६, १३७७, १३८४, १३८५, १३८७, से १३९१ . . २०३८–४५

अता ंकित प्रश्न संख्या ७०२ स ७४० २०४५–७०

अंक ३०—शनिवार ३ सितम्बर, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९४, १४०३, १३९५ से १३९७, १३९९, १४००, १४०४ से १४०७, १४०९, १४१०, १४१३, १४१४, १४१६, १४१८, १४१९, १४२३, १४२४, १४२६ से १४२८, १४३०, १३९२ और १४१२ . . . . २०७१-२११२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९३, १३९८, १४०१, १४०२. १४०८, १४११, १४१५, १४२१, १४२२, १४२५, १४२९ और १४३१ . . २११२-२११८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७४१ से ७५३ . . २११८-२१२४

अंक ३१—सोमवार ५, सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३३, १४३६, १४३७, १४४०, १४४१, १४४३, १४४४, १४४७, १४४८, १४५० से १४५३, १४५५, १४५६, १४५८, १४५९, १४६१, १४६४, १४३८, १४४६ और १४४९ . २१२५-२१५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३२, १४३४, १४३५, १४३९, १४४२, १४४५, १४५४, १४५७, १४६०, १४६२, १४६३ और १४६५ . . २१५७-२१६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७५४ से ७८० २१६२-२१७८

अंक ३२—मंगलवार, ६ सितम्बर १९५५

प्रश्नों क मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६६, १४६७, १४६९ से १४७१, १४७४ से १४८१' १४८५' १४८६' १४८८ स १४९४, १४९६' १४९८ से १५००' ५०२' १५०३' और १५०५ से १५०७ . . २१७९-२२२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६८, १४७२, १४७३, १४८२, १४८३, १४८४, १४८७, १४९५, १४९७, १५०१, १५०४ और १५०८ से १५१५ २२२७-३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ७८१ से ८१०, ८१२ और ८१३ २२३६-५६

अंक ३३—बुधवार, ७ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१६ से १५२२, १५२४ से १५२७, १५४७, १५२८ से १५३३, १५३६, १५३७ और १५३९ से १५४५ २२५७-२३०४

	स्तम्भ
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५२३, १५३४, १५३५, १५३८, १५४६ और १५४८ से १५५४	२३०४–१०
अतारांकित प्रश्न संख्या ८१४ से ८२३	२३१०–१८
अंक ३४ --गुरुवार, ८ सितम्बर १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५५, १५५६, १५५८ से १५६०, १५६२ से १५६६, १५६८, १५७०, १५७१, १५७३ से १५७६, १५७८ से १५८३, १५८५, १५८७ से १५८९, १५९१ और १५९२	२३१९–६४
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५७, १५६१, १५६७, १५६९, १५७२, १५७७, १५८४, १५८६, १५९०, और १५९४, से १५९६ . .	२३६४–७२
अतारांकित प्रश्न संख्या ८२४ से ८४१	२३७२–८४
अंक ३५ – शुक्रवार ९ सितम्बर, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९७, १५९८, १६०० से १६०६, १६१० से १६१३, १६१५, १६२०, १६२२ से १६२५, १६२७ से १६३० १६३२ से १६३९ और १६४१ . .	२३८५–२४३१
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९९, १६०७ से १६०९, १६१४, १६१६, १६१८, १६१९, १६२१, १६२६, १६३१, १६४० और १६४२ से १६५३	
अतारांकित प्रश्न संख्या ८४२ से ८७४	२४३२–४७
अंक ३६—सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५	२४४७–७२
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १६५४ से १६५७, १६६१, १६६३, १६६६, १६६७, १६६९, १६७१, १६७३, १६७५, १६७७ से १६८०, १६८२, ६८४, १६८५, १६६८ और १६५९ . .	२४७२–२५११
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १६५८, १६६०, १६६२, १६६४, १६६५, १६७० १६७२, १६७४, १६७६, १६८१, १६८३, और १६८६ से १६८८ .	२५१२–१८
अतारांकित प्रश्न संख्या ८७५ से ८८४ .	२५१८–२४

अंक ३७--मंगलवार, १३ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १६८९ से १७१८ . . . २५२५-४२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ९०२, ९०४ और ९०५ . . २५४२-५६

अंक ३८--बुधवार १४ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७१९ से १७८७ . २५५८-२६०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९०६ से ९४१ . . २६०२-२२

अंक ३९--गुरुवार, १५ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७९० से १७९२, १७९४ से १८०१, १८०३ से १८११, १८१३ से १८१६, १८१९ से १८२१ और १७८८ . २६२३-७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७८९, १७९३, १८०२, १८१२, १८१७ और १८१८ . . . २६७१-७४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९४२ से ९५३ २६७५-८२

अंक ४०--शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों क मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १८२२, १८२४ से १८२६, १८२८, १८२९, १८३१, १८३२, १८३४, १८३५, १८३७, १८३८, १८४०, १८४१, १८४३ स १८५३, १८५५ और १८५७ से १८६० . . २६८३-२७२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १८२३, १८२७, १८३०, १८३३, १८३६, १८३९, १८४२, १८५४, १८५६ और १८६१ से १८६७ . . २७२८-३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५४ से ९७६ और ९७८ से ९९१ २७३७-६०

अनुक्रमणिका . १-१८०

GIPND—302 LSD—N.H.S.—18—4—57.—190.

लोक सभा

सोमवार, २२ अगस्त, १९५५

लोक-सभा ११ बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कांडला भ्रष्टाचार कांड

*९७७. **श्री डाभी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १५ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ९५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला-डीसा रेलवे के सम्बन्ध में खुदाई के काम की तथाकथित गलत नाप की जांच के अन्तिम प्रतिवेदन का परीक्षण कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम हुआ ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) सम्बन्धित मंत्रालय को परामर्श दिया गया है कि वह अपराधियों के विरुद्ध विभागीय जांच कराये ।

श्री डाभी : यह जांच कब से चल रही है ?

श्री दातार : अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो यह जांच १९५३ से चल रही है।

श्री डाभी : जांच कब तक पूरी होने की आशा है ?

श्री दातार : जांच की एक अवस्था पूरी हो गयी है, और विभागीय जांच शुरू होने वाली है ।

सामाजिक शिक्षा

*९७८. **श्री इब्राहीम** : क्या **शिक्षा** मंत्री वर्ष १९५४-५५ के लिये अनिवार्य सामाजिक (वयस्क) शिक्षा हेतु विभिन्न भाग, 'क', 'ख' और 'ग' राज्यों को सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों की राशि का एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : इस काम के लिये राज्य सरकारों को कोई अनुदान नहीं दिया गया ।

मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि भारत सरकार के पास अनिवार्य सामाजिक शिक्षा के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने के लिये कोई योजना नहीं है ।

श्री इब्राहीम : क्या किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सामाजिक शिक्षा के लिये राज्य सरकारों को अनुदान दिये जाते हैं ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक मुझे पता है, और हो सकता है कि इसमें कुछ गलती हो, तीन अन्य योजनायें हैं जिन के अन्तर्गत सामाजिक शिक्षा के लिये राज्य सरकारों को अनुदान दिये जाते हैं । यह हैं: पहली, सामाजिक सेवा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, दूसरी, सामुदायिक केन्द्रों को स्थापित करना जिन का मुख्य कार्य अपने क्षेत्र में सामाजिक शिक्षा की उन्नति करना है; और, तीसरी, शिक्षितों की बेकारी में

सहायता योजना के सम्बन्ध में बहुत से सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाने वाली है और उन कार्यकर्ताओं के वेतन के भुगतान का कुछ खर्चा सरकार उठाती है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : पहली योजना के सम्बन्ध में सामुदायिक केन्द्रों को खोलने के लिये कितनी संस्थाओं का समर्थन किया जा रहा है ?

डा० एम० एम० दास : मूल प्रश्न, अनिवार्य सामाजिक शिक्षा के सम्बन्ध में था । जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, इस समय मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : क्या किसी भी राज्य में अनिवार्य सामाजिक (वयस्क) शिक्षा योजना इस प्रकार की कोई योजना है ?

डा० एम० एम० दास: जहां तक मुझे पता है, ऐसी कोई योजना नहीं है । पर मुझे ठीक पता नहीं है ।

सीसा और जस्ता अयस्क

*९८१. **श्री रघुनाथसिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उदयपुर डिवीजन में देबारी के निकट अभी हाल में सीसा और जस्ता अयस्क का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो इन खानों की अनुमानित मात्रा क्या है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) राजस्थान सरकार ने बताया है कि राज्य के खान तथा भूगर्भ विभाग को उदयपुर जिले के लगभग ७ मील पूर्व में देबारी गांव के निकट कुछ तहों में तांबे की धातु से मिला हुआ सीसा अयस्क प्राप्त हुआ है ।

(ख) इक्कट्ठे किये गये आंकड़े खानों की मात्रा का अनुमान लगाने के लिये पर्याप्त नहीं हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : अभी तक सर्वे हुआ है या नहीं हुआ है ?

श्री के० डी० मालवीय : राजस्थान गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ सर्वे कराया है जिसका नतीजा अभी मैं ने बता दिया है कि देबारी के पास कुछ सीसे का पता चला है । अभी तक इस का डिटेल्ड प्रास्पैक्टिंग नहीं हुआ है ।

पारिवारिक निवृत्ति वेतन (पेंशन)

*९८३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय विश्व महायुद्ध के काल से सम्बन्धित विकलांगता (डिसएबिलिटी) तथा पारिवारिक पैंशनों के कितने दावे अभी तक अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ख) इनका शीघ्रातिशीघ्र निबटारा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) और (ख). सभा पटल पर एक स्टेटमेन्ट रख दिया गया है **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २६]** जिस में अभी तक फैसला न हुए क्लेम्स तथा उन के कारण दिये हुए हैं । सभी क्लेम्स का फैसला करने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है इन में से अधिकतर समर्थ अधिकारियों के विचाराधीन हैं ।

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से ज्ञात होता है कि ४४१ मामले हैं जिनके बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है । इन में से २०२ मामले अभी भी कंट्रोल आफडिफेंस एकाउंट्स इलाहाबाद के पास विचाराधीन हैं । मैं जानना चाहता हूं कि साधारणतया एक मामले का निर्णय

करने में कितना समय लगता है और क्या कारण है कि इतने मामले अभी भी वहां पेंडिंग पड़े हुए हैं ।

सरदार मजोठिया : मुश्किल यह होती है कि बहुत से तो ऐसे केसिस हैं जिन में कि जो क्लेमेंट्स हैं उन का पता नहीं चलता है । उस के अलावा कुछ ऐसे केसिस हैं जिन में कुछ लोकल अथारिटी से कुछ और बातों का पता करना होता है इस के लिये उन को बार बार रिमांईडर भेजे जाते हैं मगर उन का जवाब नहीं आता है । ऐसे कोई १०३ केसिस हैं और ११४ केसिस ऐसे हैं जिनका कि मैंने पहले जिक्र किया है कि क्लेमेंट्स का कुछ पता नहीं है । इस वास्ते देरी होना लाजिमी हो जाता है । लेकिन उन को सेटिल करने की पूरी कोशिश की जा रही है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि जितनी यह विकलांगता (डिसएबिलिटी) की पेंशनें होती हैं उन के बारे में आज कल यह देखा जा रहा है कि जब जब उन को मैडिकल बोर्ड के सामने ले जाया जाता है उन को डिसएबिलिटी धीरे धीरे कम की जाती है और एक ऐसा वक्त आ जाता है कि उन्हें कुछ भी पेंशन नहीं दी जाती है । ऐसी सूरत में मैं जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि उन की आर्थिक दशा बिगड़ जाती है ?

सरदार मजोठिया : जी हां, यह ठीक है कि जैसे जैसे डिसएबिलिटी ठीक होती जाती है वैसे वैसे डिसएबिलिटी पेंशन भी कम होनी चाहिये । यह भी हमें मालूम है कि पहले डिसएबिलिटी ज्यादा होती है और कुछ समय बाद वह डिसएबिलिटी कम हो जाती है । जब यह डिसएबिलिटी २० परसेंट से कम हो जाती है फिर डिसएबिलिटी पेंशन नहीं मिलती ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट इस बात पर भी ध्यान देती है कि जब उनकी डिसएबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि वह किसी पेंशन पाने के योग्य नहीं रहते और न ही किसी दूसरी नौकरी करने के ही काबिल रहते हैं, तो किस प्रकार वे अपने आर्थिक भार को उठा सकते हैं ?

सरदार मजोठिया : ऐसी बात नहीं है जब डिसएबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि वह २० परसेन्ट डिसएबिलिटी भी नहीं रहती तो फिर ख्याल किया जाता है कि वह कोई दूसरा काम करने के काबिल हो जाता है ।

श्री जोकीम अल्वा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विभिन्न राज्यों के जिलों से जानकारी न आने के कारण दावों के निबटाने में काफी विलम्ब हो रहा है, क्या मंत्रालय दावों के निवटाने के काम में जल्दी करने के लिये अपने विशेष पदाधिकारियों को जिलों में जानकारी प्राप्त करने के लिये भेजने का विचार कर रहा है ?

सरदार मजोठिया : यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें इस के लिये बहुत से कर्मचारियों को भरती करना पड़ेगा जिस का खर्च काम के नतीजे से कहीं ज्यादा होगा ।

बुनियादी और सामाजिक शिक्षा

*९८४. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रारम्भिक कक्षाओं से लेकर स्नातकोत्तर (प्रशिक्षण) स्तर तक के लिये बुनियादी और सामाजिक शिक्षा की टैकनीक (प्रविधि) तैयार कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस का विवरण क्या है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख). सभा पटल पर

एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २७**]

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि जिन अध्यापकों को हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, वर्धा में प्रशिक्षण मिला था उन्हें राज्यों में नौकरी पाने में कठिनाई हुई ? यदि हां, तो क्या उन की कठिनाइयां दूर कर दी गई हैं ?

डा० एम० एम० दास : आज कल तो नौकरी पाने की कठिनाई सभी जगह विद्यमान है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं यह जानना चाहता था कि क्या इस संस्था को भारतीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, और यदि हां, तो उन अध्यापकों को नौकरियां पाने में इस कारण कठिनाई क्यों हो रही है कि उन्हें वर्धा में प्रशिक्षण मिला है ।

डा० एम० एम० दास : मुझे यह जानकारी नहीं है कि उन के वर्धा में प्रशिक्षित होने के कारण उन्हें नौकरी मिलने में रुकावट पहुंची हो ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त स्नातकों के लिये अध्यापक होने के अलावा कोई अन्य मार्ग भी है ।

डा० एम० एम० दास : मेरे विचार से कोई अन्य मार्ग नहीं है । निस्सन्देह उनकी अन्य अर्हताओं को ध्यान में रख कर उन्हें दूसरी नौकरियां भी मिल सकती हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : इस बात को ध्यान में रख कर कि इसे वक्तव्य से अधिक भाषण के रूप में समझा जाय, तथा प्रत्येक दूसरे वर्ष सरकार एक आयोग अथवा विशेषज्ञ समिति नियुक्त करती है, अथवा अन्य प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं, सरकार को इस देश के लिये शिक्षा की एक बुनियादी नीति विकसित करने में कितना समय लगेगा ?

डा० एम० एम० दास : नीति तो बहुत समय पूर्व विकसित की जा चुकी है ।

श्री एस० सी० सामन्त : देश के विभिन्न भागों में विभिन्न संस्थायें स्थापित कर बुनियादी शिक्षा की टेकनीक विकसित की जा रही है, क्या इन बुनियादी संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अध्यापकों को भी बुनियादी प्रशिक्षण में विश्वास है और यदि हां, तो उन में से अधिकांश खादी का उपयोग क्यों नहीं करते हैं ?

डा० एम० एम० दास : जिन अध्यापकों ने इन प्रशिक्षण के कालेजों में बुनियादी प्रशिक्षण पाया है उन के सम्बन्ध में यह विश्वास किया जाता है कि उन का बुनियादी शिक्षा में विश्वास होगा, अन्यथा वे लोग प्रशिक्षण लेने के लिये ही न जाते ।

अध्यक्ष महोदय : श्री हेमराज ।

श्री भक्त दर्शन : मुझे अधिकार मिला हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन सदस्यों से, जिन्हें अनुपस्थित सदस्यों से अधिकार मिला हुआ है, प्रार्थना करूंगा कि वे इन अधिकार-पत्रों को सचिव को दें, जिस से कि अधिकार द्वारा पूछे जाने वाले सारे प्रश्न क्रमानुसार लगाये जायं, और मैं क्रम से उन का नाम बुला सकूं । यह अब भी किया जा सकता है । पन्द्रह मिनट के भीतर ये अधिकार-पत्र सचिव को दे दिये जायें । अच्छा हो यदि उन्हें प्रश्न काल के पूर्व ही दे दिया जाये ।

श्री भक्त दर्शन : मैं ने अपना अधिकार-पत्र बहुत पहिले ही दे दिया था ।

भारतीय विमान बल की दुर्घटनायें

***९८६. चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या रक्षा मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण

रखने की कृपा करेंगे कि जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) मई १९५५ से भारतीय विमान बल के कितने विमान दुर्घटनाओं के कारण चूर-चूर हो गये;

(ख) इन दुर्घटनाओं का क्या कारण था;

(ग) इन दुर्घटनाओं में कुल कितनी हानि हुई; और

(घ) क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को हर्जाने की कितनी राशि दी गई है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) से (घ). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिय परिशिष्ठ, ६ अनुबन्ध संख्या २८]**

श्री जोकीम आल्वा : प्रश्न के भाग (ग) के सम्बन्ध में क्या सरकार को यह ज्ञात है कि एयर इन्डिया इन्टरनेशनल ने चीन सागर में गिरे हुए कश्मीर प्रिंसेस के मृतक कर्मचारियों के सम्बन्धियों को पर्याप्त प्रतिकर दिया। क्या भारतीय विमान बल की दुर्घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त मृतकों के सम्बन्धियों को भी कम-से-कम एयर इंडिया अथवा एयर इंडिया इन्टरनेशनल के द्वारा चुकाये जाने वाले हर्जाने की दर से ही हर्जाना दिया जाता है ?

सरदार मजीठिया : भारतीय विमान बल तथा एयर इन्डिया इन्टरनेशनल की तुलना नहीं की जा सकती ।

श्री जोकीम आल्वा : मैं अन्य दुर्घटनाओं की ओर निर्देश कर रहा हूं ।

सरदार मजीठिया : विवरण में व्यक्तियों तथा उन के आश्रितों को दी गई राशि दिखाई गई है । यह हमारे अधिकार में रहने वाले वित्त के अनुसार होती है ।

डा० रामा राव : क्या विमानों को हुई भारी हानि को ध्यान में रखते हुए, सरकार इन सारी बातों की कोई जांच करने का विचार कर रही है ? विभिन्न दुर्घटनाओं के लिये पृथक जांच न्यायालय स्थापित किये गये हैं । क्या इन सभी बातों की भी कोई जांच हुई है ?

सरदार मजीठिया : मैं प्रश्न का आशय ठीक से नहीं समझ सका । यदि माननीय सदस्य जांच न्यायालय की ओर निर्देश कर रहे हैं तो वह जांच प्रत्येक विमान दुर्घटना पर की जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से प्रश्न का आशय यह है कि विभिन्न दुर्घटनाओं के पृथक् जांच न्यायालयों के अलावा क्या दुर्घटनाओं की अधिकता की कोई सामान्य जांच भी हुई है ?

सरदार मजीठिया : इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कह सकता हूं कि दुर्घटनायें केवल एक कारण से नहीं होती हैं । कई विमान होते हैं । दुर्घटनाओं के विभिन्न कारण होते हैं । यदि एक ही कारण होता तो माननीय सदस्य का कहना ठीक था, लेकिन यह इस मामले में संगत नहीं है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या आगरा में हुई भिड़न्त की दुर्घटना की जांच का अन्तिम रूप से निर्णय हो चुका है, और यदि हां, तो उस के क्या परिणाम हैं ?

सरदार मजीठिया : जहां तक आगरा के मामले का सम्बन्ध है, जांच न्यायालय ने जांच पड़ताल समाप्त नहीं की है, किन्तु मैं अपने ज्ञान से यह कह सकता हूं कि वह विमान चालकों की गलती हो जाने के कारण हुई ।

श्री ए० एम० थामस : माननीय मंत्री ने अभी कहा कि विभिन्न दुर्घटनाओं के विभिन्न कारण होते हैं । विवरण में लिखा है कि

अधिकांश दुर्घटनायें विमान चालक की गलती से होती हैं । यदि हां, तो माननीय मंत्री ने इस सम्बन्ध में क्या किया है ?

सरदार मजीठिया : माननीय मंत्री यह जानते होंगे कि विमान चालक की गलती का तात्पर्य विमान चालक से हुई गलती है । प्रत्येक चालक दूसरे से भिन्न होता है । अतः गलतियां भी भिन्न प्रकार की हो सकती हैं ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या सरकार बतायेगी कि यदि पायलट रात को हैविली ड्रिन्क कर ले तो उस के कितने घंटे बाद उस को हवाई जहाज ले जाने के लिये एलाउ किया जाता है ?

सरदार मजीठिया : विमान बल अनुदानों में विशिष्ट रूप से उल्लिखित है कि शराब पी लेने के पश्चात् विमान चालक विमान नहीं चलायंगे । मैं स्पष्ट रूप से यह कह सकता हूं कि विमान चालक इन अनुदेशों का पालन करते हैं । वे पीने के पश्चात् विमान नहीं चलाते ।

सरदार ए० एस० सहगल : कितने घंटे के पश्चात् । मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति :

कांडला भ्रष्टा चार काण्ड

*९८८. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांडला पत्तन में विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती के लिये आयात किये गये, दस लाख रुपये के माल के सम्बन्ध में, विशेष पुलिस संस्थापन के द्वारा जांच की जा रही है,; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) जांच अक्टूबर १९५३ से चल रही है ।

श्री भागवत झा आजाद : १९५३ से इस मामले की जांच की जा रही है । क्या सरकार यह संकेत दे सकती है कि इस जांच में अभी कितना समय और लगेगा ?

श्री दातार : अब हम आशा करते हैं कि कुछ महीनों में यह जांच समाप्त हो जायेगी ।

श्री भागवत झा आजाद : चूंकि इस मामले में अन्तर्ग्रस्त पदाधिकारियों के विरुद्ध मामला प्रत्यक्ष सिद्ध हो चुका है । अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें निलम्बित कर दिया गया है अथवा वे अभी तक अपनी नौकरी में ही हैं ?

श्री दातार : सारा साक्ष्य मिल जाने के उपरान्त ही विभागीय जांच अथवा अभियोग के मामले पर विचार किया जा सकता है । कई साक्षियों की परीक्षा की जा चुकी है । कुछ अन्य बहुत महत्वपूर्ण साक्षियों का परीक्षण बाकी है । वे समनों (बुलावे) की अवहेलना कर रहे हैं । इस कारण यह मामला जरा जटिल हो गया है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार के ध्यान में यह आया है कि पदाधिकारी साक्षियों पर दबाव डाल रहे हैं तथा जांच समिति के लिये सभी तरह की कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं ।

श्री दातार : इधर-उधर कठिनाइयां भी पैदा की जा रही हैं, लेकिन सरकार उन सब को पराजित करने की आशा करती है ।

श्री भागवत झा आजाद : कठिनाइयों को दूर करने का क्या प्रयत्न किया गया है ? क्योंकि ये पदाधिकारी अपने ही स्थानों पर हैं, अतः वे साक्ष्य को बिगाड़ रहे हैं । इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री दातार : सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है । आरोप लगाना व्यर्थ है। जब कभी कोई कठिनाई दिखाई दे अथवा पदाधिकारी के व्यवहार में ऐसी कोई बात हो कि वह मुख्य मामले के अलावा सदस्यों को दबाने का प्रयत्न कर रहा हो, तो उस समय उन के साथ कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । प्रश्न का तात्पर्य यह है कि जब किसी पदाधिकारी के विरुद्ध कुछ करने का आरोप हो तो क्या सरकार उसे निलम्बित करने की तत्काल कार्यवाही करती है ।

श्री दातार : जब कोई प्रत्यक्ष मामला होता है तो तत्काल कार्यवाही की जाती है ।

उड़ीसा के लिये इंजीनियरिंग कालिज

*९८९. **श्री संगण्णा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में एक इंजीनियरिंग कालिज खोलने के निमित्त वित्तीय सहायता मंजूर करने के लिये सरकार से प्रार्थना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम हुआ है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख). राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय के अधीक्षत्व में इंजीनियरिंग कालिज की स्थापना की योजना की अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का निश्चय किया है। विश्वविद्यालय ने इस योजना को पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने की स्वीकृति तथा इस प्रयोजन के लिये वित्तीय सहायता के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्रार्थना की है ।

यह मामला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय टैक्नीकल शिक्षा की परिषद् के विचाराधीन है ।

श्री संगण्णा : क्या उड़ीसा में वहां क्रियान्वित किये जाने वाले आर्थिक कार्यक्रमों का संचालन करने वाले सभी वर्गों के इंजीनियरों की कमी है ?

डा० एम० एम० दास : उत्कल विश्वविद्यालय तथा उड़ीसा की राज्य सरकार इन दोनों में से किसी ने भी हमें योजना के विवरण नहीं भेजे हैं । उन्होंने कहा है कि उन्हों ने एक इंजीनियरिंग कालिज खोलने का निश्चय किया है तथा उन्होंने केवल वित्तीय प्राक्कलन दिये हैं । उन के अनुसार अनावर्त्तक व्यय इमारत के लिये ४० लाख रुपये और सज्जा के लिये २० लाख रुपये है, तथा आवर्त्तक व्यय ६ लाख रुपये प्रति वर्ष है ।

श्री आर० एस० दीवान : उक्त सभी अनुदान आवर्त्तक, अनावर्त्तक अथवा दोनों प्रकार के हैं, तथा कालिज के कुल व्यय की तुलना में उस का प्रतिशत क्या है ?

डा० एम० एम० दास : मैं कह चुका हूं कि जहां तक अनावर्त्तक व्यय का संबंध है इमारत के लिये ४० लाख तथा सज्जा के लिये २० लाख रुपये रखे गये हैं । आवर्त्तक व्यय ६ लाख रुपया प्रति वर्ष है । जहां तक अनावर्त्तक व्यय का संबंध है, योजना के स्वीकृत हो जाने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दो तिहाई तथा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय एक तिहाई देगी । जहां तक आवर्त्तक व्यय का सम्बन्ध है, एक तिहाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा दिया जायेगा और दो तिहाई राज्य सरकार अथवा सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा दी जायेंगी ।

श्री सारंगधर दास : इंजीनियरिंग कालिज में इंजीनियरिंग की किन किन शाखाओं की पढ़ाई होगी ।

डा० एम० एम० दास : उड़ीसा की राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय ने हमें योजना का विवरण नहीं भेजा है ।

जब्त किये गये हीरे

***९९०. श्री बी० एन० मिश्र :** क्या **वित्त** मंत्री १० मार्च, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ८६३ के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चोरी छिपे लाये गये जब्त किये हुए हीरों की बिक्री के सम्बन्ध में जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री बी० एन० मिश्र : जैसा कि मेरे सवाल से पता चलता है , मैं ने इस में १० मार्च, सन् १९५४ के सवाल नम्बर ८६३ का भी हवाला दिया है । उस समय भी मुझे यही जवाब मिला था जो कि आज मिला है । और वह जो सवाल नम्बर ८६३ है वह पैदा हुआ था १४ दिसम्बर, सन् १९५३ के सवाल नम्बर ९१६ से । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या दिसम्बर, सन् १९५३ से ले कर आज तक उस में कोई प्रगति शुरू हुई है या नहीं और अगर हुई है तो क्या ?

श्री ए० सी० गुह : यह काम शुरू भी हुआ है और इस में प्रगति भी हुई है । यह सारा प्रश्न यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भेजा गया था । अभी तक उस की अन्तिम रिपोर्ट नहीं मिली है । उस के मिलने के बाद ही इस प्रश्न पर विचार किया जायगा कि किस को कितनी सजा दी जाये ।

श्री बी० एन० मिश्र : जो जवाब दिया गया है उस से मालूम होता है कि अभी यह काम शुरू भी नहीं किया गया है । मैं पूछता हूं कि इस को खत्म करने में और कितने साल लगेंगे ।

श्री ए० सी० गुह : मैं ने जो जवाब दिया उस में डाइमंड्स के बारे में तो कुछ नहीं कहा । मैं ने जो जवाब दिया वह यही था कि जो अफसर इस में संयुक्त हैं उन का मामला यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजा गया है यह जानने के लिये कि उन को कितनी सजा दी जाये । जब सारा मामला खत्म हो जायगा तब सजा देने की बात होगी ।

श्री बी० एन० मिश्र : मैं यह पूछना चाहता था कि सन् १९५३ से आज तक यह सेल का काम न शुरू हुआ है और न खत्म हुआ है । इस में और कितने साल लगेंगे ?

श्री ए० सी० गुह : मैं ने बताया कि जो अफसर इसमें इनवाल्व्ड हैं उन का मामला यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भेजा गया है । फाइनल रिपोर्ट आने पर जो कुछ करना होगा किया जायगा । जो डायमंड थे वे तो सन् १९५३ में ही सेल हो गये ।

श्री बी० एन० मिश्र : मेरे प्रश्न का यही आशय था कि बिक्री हो चुकी अथवा नहीं उन्हों ने कहा था कि नहीं हुई है । तभी यह सारा विवाद उठ खड़ा हुआ । इस उत्तर को ध्यान में रखते हुए कि बिक्री की जा चुकी है; मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिये कौन सी प्रणाली अपनायी गई, इनसे कितनी आय हुई तथा हीरे किन को बेचे गये ?

श्री ए० सी० गुह : प्रश्न जब्त किये गये जवाहरों की बिक्री के सम्बन्ध में था । सारा प्रश्न इस लिये उठा है कि बिक्री में कुछ गड़बड़ी की गई, बिक्री सन् १९५३ में हो गई थी । हमें ज्ञात हुआ कि कुछ पदाधिकारियों ने बिक्री की प्रणाली में अथवा चीजों को नीलाम में रखने के ढंग में गड़बड़ी की, और

हम ने कुछ कार्यवाही की । विभागीय जांच के पश्चात् हम ने उन मामलों को संघ लोक सेवा आयोग को सलाह के लिये भेज दिया । यदि संघ लोक सेवा आयोग इन पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की सिफारिश करता है तो हम वह कार्यवाही करेंगे, किन्तु प्रारम्भ से ही यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि हीरे बहुत पहिले १९५३ में ही बेच डाले गये हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं . . .

मूलरूप के मशीनी औजार बनाने का कारखाना, अम्बरनाथ

*९९१. **श्री बोगावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बरनाथ में मुलरूप के मशीनी औजारों का कारखाना खोलने के लिये क्या स्विस फर्म के साथ किये गये करार को कार्यान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ;

(ग) करार की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) इस करार के परिणामस्वरूप फर्म को कितनी रकम दी गई है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) हां श्रीमान्। किन्तु प्रारम्भ में कारखाने को चलाने के लिये जो समय निश्चित किया गया था, उस समय वह नहीं खोला जा सका और इसी प्रकार विदेशी प्राविधिक कर्मचारियों के स्थान पर भारतीयों को नहीं रखा जा सका ।

(ख) विदेशी प्राविधिक कर्मचारियों के स्थान पर भारतीयों को नियुक्त करने में विलम्ब होने का कारण यह है कि भारतीयों को प्रशिक्षण सुविधा दिये जाने पर भी भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि उन्हें और अधिक अनुभव की आवश्यकता है जो उन्हें शनैः शनैः प्राप्त होगा । सरकारी उत्तरदायित्व तथा स्विस फर्म के उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए कारखाना देर से प्रारम्भ होने के कारणों पर प्रकाश डालना उचित नहीं है ।

(ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २९**]

(घ) २०·४३७ मिलियन स्विस फ्रैन्क ।

श्री बोगावत : क्या यह सच है कि तय की गई रकम की अपेक्षा कारखाने में केवल उस का चौथाई या पांचवा भाग व्यय होता और यदि नहीं, तो उस कारखाने में अभी तक किये गये काम में कितना खर्च हुआ है ?

श्री त्यागी : कारखाने का कुल खर्च ४·९५ लाख रुपये है ।

श्री बोगावत : मेरे प्रश्न के उत्तरार्द्ध का उत्तर नहीं दिया गया है । प्रश्न यह है कि क्या यह सच नहीं कि इस मशीनी औजारों के कारखाने के लिये लागत का एक चौथाई या पांचवां भाग देना पड़ता, और यदि नहीं, तो किये गये काम की क्या लागत होती ?

श्री त्यागी : क्या आप यह कहना चाहते हैं कि इस कारखाने में इस से कम खर्च हो सकता था ?

अध्यक्ष महोदय : मालूम देता है कि उन का यही आशय है ।

श्री त्यागी : मुझे खेद है कि मैं इसका सही उत्तर नहीं दे सकता । यदि माननीय सदस्य की ऐसी धारणा है तो वह मेरे सामने अपना सुझाव रखें । मैं उस की जांच करूंगा ।

डा० एस० एन० सिंह : अभी कई दिन पहिले अखबारों में एक मशहूर इंजीनियर का यह मत छपा था कि हमें जितने रुपये इस कारखाने में खर्च करने पड़े हैं उस का सिर्फ पंचमांश खर्च करने से उतना ही अच्छा कारख

वन सकता था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह नतीजा स्विस फर्म के डा० गड़बड़ के साथ कौंट्रक्ट करने से निकला है ?

श्री त्यागी : पहली बात तो यह है कि को 'डा० गड़बड़' नहीं हैं। उन का स्विस नाम है 'गेरबेर'। उस का नाम 'गड़बड' नहीं है। दूसरी बात यह है कि जहां तक इन अंग्रेज साहब की नुक्ताचीनी का ताल्लुक है, उस के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इंडस्ट्री और कामर्स मिनिस्ट्री की तरफ से इस मामले की तहकीकात करने के लिये एक कमेटी बठी थी। उस में यह मिस्टर स्किफ जिन का आप जिक्र कर रहे हैं एडवाइजर की तरह से आये थे। उन्होंने इस तरह की फैक्ट-रीज के बारे में अपनी कोई रिपोर्ट दी थी जिस को कि कमेटी ने मंजूर नहीं किया। इस फैक्टरी के बनाने से कई वर्ष पहले ब्रिटिश इंडस्ट्रीज से ऐसी फैक्टरीज बनाने की बात की गयी थी। उस वक्त भी आप ही एक्सपर्ट थे जिन्हों ने राय दी थी कि इस तरह की फैक्टरी बनाना हिन्दुस्तान के वास्ते लाभदायक नहीं होगा।

श्री जोकोम आल्वा : क्या यह सच नहीं है कि सरकार को इस कारखाने से बहुत आशायें थीं और स्विस विशेषज्ञों के दुर्व्यवहार के कारण वे सब आशायें भंग हो गईं। भविष्य में इन स्विस विशेषज्ञों से काम लेने से पूर्व क्या सरकार भली भांति सतर्क रहेगी ?

श्री त्यागी : गवर्नमेंट को इस फैक्टरी की तरफ से कोई नाउम्मीदी नहीं है। जितनी उम्मीदें इस से थीं वे सब पूरी हो रही हैं।

श्री पटनायक : क्या सरकार ने महा-लेखा परीक्षक के नवम्बर १९५४ के प्रतिवेदन की जांच नहीं की है जिस में यह कहा गया था कि यह कारखाना ठीक तरह से नहीं चल रहा है, करार उचित रूप से नहीं किया गया था और यद्यपि वह मई, १९४९ में किया गया था और कारखाने को कुछ काम १९५० में प्रारम्भ कर देना चाहिये था, तथापि नवम्बर १९५४ तक केवल टूल ग्राइन्डर (औजारों को तेज करने के पत्थर) आदि दो प्रकार की मूल रूप मशीनें, तैयार हो पाईं, और वादे के अनुसार भारतीयों को उचित प्रशिक्षण नहीं दिया गया और यह भी कि आवश्यकता से अधिक धन खर्च कर किया गया। क्या इन सब बातों की जांच की गई है ? क्या रक्षा मंत्रालय ने १९५४ के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को जांचा है ?

श्री त्यागी : इन सब बातों की जांच की गई है और इस विषय पर पहले ही आज एक अल्प सूचना प्रश्न पूछा जाने को है जिस का उत्तर मेरे ज्येष्ठ साथी, डाक्टर काटजू अधिक विस्तार से देंगे। हम इस विषय की जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखने वाले हैं।

स्वतंत्रता संग्राम शताब्दी

*९९२. **श्री एस० एन० दास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समस्त देश में १९५७ में "प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम, १८५७" की शताब्दी राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का विचार करती है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) क्या राज्य सरकारों से भी इस सम्बन्ध में परामर्श लिया गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). इस विषय पर विचार किया जा रहा है, अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि स्वतन्त्रता संग्राम का जो प्रामाणिक इतिहास लिखा जा रहा है वह १९५७ में

शताब्दी दिवस के पहले समाप्त कर दिया जायगा ?

श्री दातार : इस का और शताब्दी का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : मैं ने यह जानना चाहा था कि जो इतिहास इस स्वतन्त्रता संग्राम का सरकार की ओर से तैयार किया जा रहा है उस को उस दिन तक खत्म करने की तैयारी की जा रही है या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : इस में तो जवाब आ गया है । उन्हों ने कहा है कि उस का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद): जहां तक उस तारीख का ताल्लुक है जो सन् ५७ के लिये लिखी जा रही है वह तारीख १० मई, १९५७ को निकल जायेगी ।

श्री कामत : शताब्दी समारोह के आवश्यक अंग के रूप में क्या सरकार प्रथम भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम के नेता नाना साहब फरनवीस पेशवा तथा अंतिम संग्राम के वीर नेताजी श्री सुभाष चन्द्र बोस एवं दोनों युद्धों के अज्ञात सैनिकों की स्मृति में स्मारक बनाने का प्रस्ताव करती है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । अब हम अगला प्रश्न लेते हैं ।

लारेंस स्कूल सनावर

*१९४. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा काफी अनुदान दिये जाने पर भी सनावर का लारेन्स स्कूल अच्छी प्रगति नहीं कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या सरकार को ज्ञात है कि लारेंस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है और यदि हां, तो इस का क्या कारण है ?

डा० एम० एम० दास : यह तो उल्टी बात है । विद्यार्थियों की संख्या वहां प्रतिवर्ष बढ़ रही है ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जो पहले अंग्रेज शिक्षक यहां पर थे उन को वेतन अधिक दिया जाता था और अब भारतीय शिक्षकों को कम दिया जा रहा है ?

डा० एम० एम० दास : मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है ।

श्री एन० बी० चौधरी : मैं जानना चाहता हूं कि इस वर्ष वहां कितने विद्यार्थी हैं और सरकार ने इस वर्ष के लिये कितना अनुदान मंजूर किया है ?

डा० एम० एम० दास : मैं १९५४-५५ के आंकड़े दे सकता हूं । विद्यार्थियों की संख्या ४०२ थी और ३,१५,००० रुपये का अनुदान दिया गया था । इस रकम में १,७०,००० रुपये निर्माण कार्यों के लिये अलग से रखे गये थे ।

श्री नवल प्रभाकर : यह जो अभी आपने उत्तर दिया कि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है तो क्या सन् १९४८ से और अब तक जो विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है,उस का ब्योरा आप के पास है ?

डा० एम० एम० दास : उन के आंकड़े इस प्रकार हैं :

वर्ष	विद्यार्थियों की कुल संख्या
१९४८-४९	९०
१९४९-५०	१३०
१९५०-५१	२०७
१९५१-५२	३०२
१९५२-५३	३८८
१९५३-५४	४००
१९५४-५५	४०२

खनिज तेल कूप

*९९५. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी बंगाल में खनिज तेल कूपों की खोज करने के लिये स्टैण्डर्ड वैक्यूम आयल कम्पनी से जो संविदा (कांट्रेक्ट) किया है, उस के अन्तर्गत अब तक कितना व्यय हुआ है;

(ख) कितने समय तक यह कार्य चलेगा; और

(ग) इस अन्वेषण में काम करने वाले उच्च अधिकारियों में कितने भारतीय हैं ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) ३४,४३,७८० रुपये ।

(ख) यह अभी ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि कितने समय तक समन्वेषण जारी रहेगा। साधारणतया समन्वेषण उसी समय तक जारी रहेगा जब तक कि तेल प्राप्त नहीं हो जाता या फर्म की ओर से यह संकेत नहीं मिलता कि इसे जारी रखना बेकार है ।

(ग) आवश्यक सूचना अभी उपलब्ध नहीं है । स्टैंडर्ड वैक्यूम आयल कम्पनी से प्राप्त होने पर सभा पटल पर रखी जायेगी ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या इस संविदा के अनुसार जो तेल कूप बंगाल में मिलेंगे, उन में से तेल निकालने का काम भी इस कम्पनी को दिया जायेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : यह कम्पनी केन्द्रीय सरकार की शिरकत में बनी है और अगर तेल वहां मिलेगा तो शिरकत में ही वहां तेल निकाला जायेगा ।

श्री के० सी० सोधिया : आपकी आयल यूनिट क्या काम करेगी इस सम्बन्ध में ?

श्री के० डी० मालवीय : यह आयल यूनिट बाद में बनी है और यह इस वक्त राजस्थान में तेल की तलाश कर रही है ।

श्री के० सी० सोधिया : इस कम्पनी के साथ जो करार किया गया है, क्या उस की एक कापी सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

श्री के० डी० मालवीय: मुझे मालूम नहीं है कि रखी गयी है या नहीं रखी गयी, गालिबन नहीं रखी गई है ।

श्री के० सी० सोधिया : रखी जायेगी या नहीं ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं ।

श्री एन० बी० चौधरी : मैं जानना चाहता हूं कि जब पैट्रोल निकाला जायगा तब स्टेंडर्ड वैक्यूम आयल कम्पनी के साथ किये गये इस करार के अन्तर्गत क्या सरकार उस का मूल्य निश्चित करेगी ?

श्री के० डी० मालवीय : इस के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

प्रति व्यक्ति फीस लगाना

*९९६. **श्री जे० आर० मेहता** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत की कुछ शिक्षा संस्थायें दूसरे राज्यों से आने वाले विद्यार्थियों पर अधिक प्रति व्यक्ति फीस लगाती हैं और अधिवास के कारण भी पक्षपात करते हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : हां, श्रीमान्, किन्तु सरकार का इस प्रकार के पक्षपात की कोई जानकारी नहीं । मैं यहां यह भी बता दूं कि शिक्षा राज्यों का विषय होने के कारण भारत सरकार को इस विषय में निदेश देने का कोई अधिकार नहीं है और फिर भी भारत सरकार ने इस विषय की ओर ध्यान दिया है और भारत सरकार के कहने पर केवल दो को छोड़ कर अन्य राज्यों ने प्रति व्यक्ति फीस बन्द की है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : इन दो राज्यों के नाम क्या हैं ?

श्री जे० आर० मेहता : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रकार का पक्षपात, संविधान द्वारा दी गई नागरिकता के विरुद्ध है, क्या भारत सरकार उन दो राज्यों से कहेगी या उन के विरुद्ध कार्यवाही करेगी जिन्हों-ने अभी तक स्थिति में सुधार नहीं किया है।

डा० एम० एम० दास : हम ने इस विषय में विधि मंत्रालय को कहा था और उन्हों ने यह बताया है कि प्रति व्यक्ति फीस लगाने से अनुच्छेद १५(१) का उल्लंघन होता है ।

इन दो राज्यों का नाम आसाम और मध्य भारत है । हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं और भारत सरकार तथा इन दो राज्यों के बीच चर्चा चल रही है । हमें आशा है कि ये दो राज्य भी इस फीस को बन्द कर देंगे ।

योग आश्रम, नई दिल्ली

*९९९. **बाबू रामनारायण सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री २१ दिसम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १४६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योग आश्रम, नई दिल्ली से उस के कार्यों के सम्बन्ध में मांगी गई जानकारी प्राप्त हो गई है और उस की जांच कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस विषय में क्या निश्चय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) पूर्ण जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बाबू रामनारायण सिंह : माननीय सभासचिव ने बताया है कि पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हुई है । क्या उन्हें पता है कि सब जानकारी दफ्तर में भेज दी गई है और वह फ्तर में मौजूद है ? वह यह नहीं कह सकते कि जानकारी नहीं मिली है ।

डा० एम० एम० दास : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा आवेदनों पर अनुदान के लिये विचार करते समय सूचना हेतु कुछ बातों की जानकारी जरूरी होती है और इस संस्था से हम ने वे बातें पूछी थीं । कुछ जानकारी तो उन्होंने भेज दी हैं और कुछ जानकारी भेजना अभी बाकी है । हम उस की प्रतीक्षा में हैं और उस के प्राप्त होने पर उस पर विचार करेंगे ।

बाबू रामनारायण सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सभासचिव और क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इस वैयक्तिक प्रश्न के अधिक विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है । माननीय सदस्य यदि चाहें तो इस की जान-कारी बाद में प्राप्त कर सकते हैं ।

अखिल भारतीय सेवा परीक्षायें

*१०००. **श्री डाभी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार भारतीय प्रशासन सेवा तथा इसी प्रकार की अन्य सेवाओं की परीक्षाओं

की ऊपरी अवस्था-अवधि २५ वर्ष तक बढ़ाना चाहती हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) जी नहीं ।

श्री डाभी : मैं जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिये ऊपरी अवस्था-अवधि कितनी है ?

श्री दातार : जहां तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का प्रश्न है उसे तीन वर्ष बढ़ाया जाता है अर्थात् वह २७ वर्ष रखी गई है । प्रथम श्रेणी की सेवा के लिये उन के विषय में दो वर्ष और बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

श्री डाभी : मैं जानना चाहता हूं कि दूसरी जातियों की अवस्था-अवधि में सरकार एक वर्ष क्यों नहीं बढ़ाना चाहती ?

श्री दातार : सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है और वह चाहती है कि लोगों के गुणों आदि पर ध्यान देते हुए उन्हें यथाशीघ्र सेवा में ले लिया जाय ।

श्री बी० एस० मूर्ति: अवस्था में रियायत के अलावा सरकार भारतीय प्रशासन सेवा परीक्षा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को और कौन सी रियायतें देती है ।

श्री दातार : यद्यपि इस प्रश्न से यह बात पैदा नहीं होती तथापि मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि फीस में कमी कर के ऐसे छात्रों के साथ रियायत की जाती है ।

राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय

*१००१. **श्री इब्राहीम** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय में (राज्यवार) कितने छात्र हैं; और

(ख) अभी तक कितने छात्रों को नियमित सेना में भर्ती किया गया है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३०**]

(ख) अकादमी में प्रशिक्षण के लिये ६१५ छात्रों को छांटा गया है । प्रशिक्षण में सफल होने के उपरान्त जितने छात्रों को कमीशन दिया गया है उस की जांच की जा रही है और उस की सूचना सभा-पटल पर रखी जायेगी । जो छात्र अफसर बनाये गये हैं, उन में से कुछ छात्रों ने कार्य संभाल भी लिया है ।

श्री इब्राहीम : विवरण से पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार की इकाइयों की छात्रा-विभाग में कोई ज्येष्ट अफसर नहीं है । इस का क्या कारण है ?

श्री त्यागी: वह एक कनिष्ठ सेवा मानी जाती है ।

श्री कासलीवाल : मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय की सामुदायिक परियोजनाओं तथा नदी घाटी परियोजनाओं में किये गये अच्छे कार्यों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार राष्ट्र छात्र सेना निकाय में संख्या वृद्धि पर ध्यान दे रही है ?

श्री त्यागी : उस को सदैव ध्यान में रखा जाता है । इस के लिये एक मंत्रणा समिति है जिस में इस सभा के लोग भी सदस्य हैं । उस की बैठक जल्दी ही होने वाली है । समय समय पर बैठक होती रहती है और हम उस के सदस्यों के परामर्शानुसार कार्य करते हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोसी बांध परियोजना में राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय ने जन-सहयोग से कम खर्च में बहुत अच्छा काम किया है

क्या मंत्रालय अगले वर्ष उन के शिविरों और दलों को वहां भेजना चाहेगी ?

श्री त्यागी : मैं इस प्रशंसा का आभारी हूं । यह तो राज्य सरकार पर निर्भर है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि एन० सी० सी० के जो कैडेट्स नेशनल डिफेंस एकेडेमी या मिलेटरी कालिज, आदि में लिये गये हैं, वे बहुत सफल हुए हैं, तो क्या सरकार उन की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

श्री त्यागी : जी हां, खूब सफल हुए हैं और गवर्नमेंट की ख्वाहिश है कि ज्यादा-से-ज्यादा लोग उस में आ सकें ।

श्री यू० सी० पटनायक : मैं जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय के छात्रों को प्रादेशिक सेना में जे० सी० ओ० तथा गैर-कमीशन प्राप्त अफसरों की श्रेणी में भर्ती करने में वरीयता दी जाती है ।

श्री त्यागी : केवल राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय में होने के कारण नहीं, बल्कि उन के गुणों के आधार पर उन्हें वरीयता दी जाती है ।

छावनी बोर्ड

*१००३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **रक्षा** मंत्री, १८ मार्च, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ११७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न छावनी बोर्डों की तदर्थ समितियों द्वारा दिये गये सुझावों के बारे में तब से क्या कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या छावनी बोर्डों की प्रत्येक तदर्थ समिति की सिफारिशों को बताने वाला विवरण तथा उन के सम्बन्ध में किये गये निर्णय सभा-पटल पर रखे जायेंगे ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) केवल दिल्ली छावनी के सम्बन्ध में अन्तिम फैसला किया गया है । और मामले विचाराधीन हैं, इन पर सम्बन्धित राज्य सरकारों की सलाह अभी ली जा रही है ।

(ख) दिल्ली छावनी से सम्बन्धित एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३१]**

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि जो छावनी समितियां बनाई गई थीं उन की रिपोर्ट आये हुए छः महीने से अधिक समय हो गया है और कैन्टोन्मेन्ट बोर्ड के लोग बहुत उत्सुकता से गवर्नमेंट के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि इस में कितनी शीघ्रता की जायेगी और कब तक निर्णय हो जायेगा ?

सरदार मजीठिया : यह हमें मालूम है कि लोगों का क्या ख्याल है इस के बारे में, और उस ख्याल को मद्देनजर रखते हुए पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द फैसला किया जाय ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट ने कुछ इस बात पर भी ध्यान दिया है कि छावनियों के अन्दर जो नई आबादियां बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है, उस के साथ साथ वहां जो अतिरिक्त भूमि कैन्टोनमेन्ट बोर्डों को मिलेगी उस को डेवेलप करने के लिये आर्थिक सहायता की भी आवश्यकता होगी ? यदि हां, तो इस के बारे में क्या कोशिश की जा रही है ?

सरदार मजीठिया : जी हां, पांच साला प्रोग्राम में इस को रक्खा गया है, जिस के मुताबिक कि छावनियों का डेवेलपमेन्ट होगा।

श्री भागवत झा आजाद : कैंटोनमेन्ट (छावनी) क्षेत्र के मकानों के अधिपतियों को सरकार कब तक यह आज्ञा देगी कि वे नाममात्र के किरायों पर अपने मकानों को किराये पर दे दें ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : जब तक वे उस भूमि पर बिना उस का किराया दिये अपना अधिकार रखते हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : यह कौन से नियम से उचित है कि जिन का वहां केवल एक मकान है उन को भी नाम मात्र के किरायों पर अपना मकान देने को बाध्य किया जाय ?

श्री त्यागी : पहिले जिन लोगों को यह भूमि दी गई थी उन से कोई किराया आदि नहीं लिया जाता था । केवल यही शर्त थी कि रक्षा सेवाओं के लिये जब कभी जरूरत हो तो वह भूमि उन को दी जाय । इसी शर्त के अनुसार उन से मकान किराये पर लिये जाते हैं ।

सरदार ए० एस० सहगल : मंत्री महोदय ने अभी फरमाया था कि सब स्टेट गवर्नमेन्ट्स से रिपोर्टस मांगी गई हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि अभी तक कितनी स्टेट गवर्नमेंट्स ने आप के पास रिपोर्टस भेजी हैं ?

सरदार मजीठिया : अभी तक बहुत कम गवर्नमेंट्स आखिरी फैसले तक पहुंची हैं ।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह

***१००४. श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान और निकोबार द्वीप-समूह में कितने पुलिस थाने हैं;

(ख) क्या वहां की पुलिस के पास बेतार के तार का भी उपकरण है; और

(ग) यदि हां, तो कितने स्थानों पर है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क)

पुलिस थाने	६
पुलिस चौकियां	६

(ख) जी हां ।

(ग) आठ स्थानों पर । स्थल पर ८ और समुद्रीय स्थानों पर ५ चलते थाने हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या इन बेतार के तार उपकरणों में किसी का अन्तः राज्यिक सम्पर्क है ।

श्री दातार : मेरा भी ऐसा अनुमान है कि सम्पर्क है, किन्तु हो सकता है कि मेरी बात ठीक न हो ।

श्री एस० सी० सामन्त : इस द्वीपसमूह में पुलिस दल की संख्या कितनी है ?

श्री दातार : द्वीपसमूह की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए वहां पर्याप्त संख्या में पुलिस रखी गई है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या पुलिस बल पर इस वर्ष अधिक व्यय किया गया है ?

श्री दातार : इस वर्ष अधिक व्यय नहीं किया गया है । हां, १९५३ में अतिरिक्त कर्मचारी-वर्ग की मंजूरी दी गई थी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या पुलिस वहां के लोगों को 'झरवों' से बचाने के लिये कोई संरक्षण देती है, जो देखते ही गोली मारते हैं ?

श्री दातार : माननीय सदस्य ने जिस विशेष आदिम जाति की ओर निर्देश किया है, उस के सम्बन्ध में उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना मिलनी चाहिये ।

योगासन तथा व्यायाम

***१००८. बाबू रामनारायण सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री, २६ अप्रैल, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या २५८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शारीरिक शिक्षा का पाठ्य क्रम तैयार करने के लिये केंद्रीय शारीरिक शिक्षा मंत्रणा बोर्ड द्वारा नियुक्त उपसमिति ने उक्त पाठ्यक्रम में 'योगासन' को भी सम्मिलित किया है और

(ख) यदि हां, तो स्कूलों और कालिजों में इस को चलाने की क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हम अभी उप-समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

माननीय सदस्य के संतोष के लिये मैं यह भी बतादूं कि उप-समिति द्वारा अब तक इक्कट्ठी की गई जानकारी से यही पता चलता है कि 'योग आसन' की यह विशेष प्रणाली बालकों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जायेगी ।

बाबू रामनारायण सिंह : क्या उन का प्रतिवेदन पेश होगा ? क्या उस के लिये कुछ अवधि निश्चित की गई है ?

डा० एम० एम० दास : कोई अवधि निश्चित नहीं हुई है, किन्तु कदाचित् उक्त उप-समिति आगामी सितम्बर तक अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने के लिये बैठक बुलायेगी ?

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या इस 'योग आसन' प्रणाली में 'सूर्य नमस्कार' भी सम्मिलित है ?

वर्ग पहेलियां

*१००९. **श्री एम० एल० द्विवेदी** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ग पहेली तथा इस जैसी और प्रतियोगिताओं पर रोक लगाने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के दृष्टिकोण पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का कब उपयुक्त विधान बनाने का विचार है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) संसद् के इसी सत्र में इसी अभिप्राय का एक विधेयक पुरःस्थापित करने का विचार है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्ग पहेली प्रतियोगिता बहुत अधिक पत्रों में पहले से भी अधिक संख्या में चल रहा है जिस से जनसाधारण बर्बादी की ओर जा रहे हैं, सरकार किन कारणों से इन पर रोक या नियंत्रण लगाने में विलम्ब कर रही है ?

श्री दातार : यह कहना गलत है कि सरकार देर कर रही है। सरकार को विविध राज्यों से परामर्श करके उन की मूल प्रस्थापनाओं में परिवर्तन करना पड़ा था । अब अन्तिम निश्चय किया गया है । विधेयक का प्रारूप किया जा रहा है और वह इसी सत्र में सभा के सामने पेश होगा ।

श्री जांगड़े : क्या सरकार ने पता लगाया है कि क्रासवर्ड पजल आर्गेनाईज करने वालों की सालाना आमदनी कितनी होती है और क्या वह इनकम टैक्स पटाते हैं ?

श्री दातार : मैं तत्सम्बन्धी आंकड़े नहीं बता सकता ।

योगिक शारीरिक संवर्धन प्राध्यापक पद

*१०१०. **बाबू रामनारायण सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री, १५ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तब से योगिक शारीरिक संवर्धन को प्रोत्साहन देने के लिये विश्वविद्यालयों में योगिक शारीरिक संवर्धन के प्राध्यापक-पद स्थापित करने के प्रश्न पर अब से विचार किया; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या विनिश्चय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख) यह विषय मुख्यत: विश्वविद्यालयों से सम्बन्ध रखता है, और जब इस के सम्बन्ध में शारीरिक शिक्षा तथा मनोविनोद केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड की राय उपलब्ध हो जायेगी तो उसे उचित कार्यवाही करने के लिये विश्वविद्यालयों के पास भेज दया जायेगा ।

बाबू रामनारायण सिंह : निर्दिष्ट किये गये पिछले प्रश्न के उत्तर में, यह कहा गया था कि विश्वविद्यालयों से परामर्श किया जा रहा था । कितने विश्वविद्यालयों से परामर्श किया गया है उन में से कितने विश्वविद्यालयों ने उत्तर भेज दिये हैं और कितनों ने नहीं भेजे हैं ?

डा० एम० एम० दास : सभी विश्वविद्यालयों से जानकारी भेजने को कहा गया था । सभी विश्वविद्यालयों ने हमारे पास जानकारी भेज दी है । इस जानकारी से पता चलता है कि एक उत्तर के और एक दक्षिण के केवल दो विश्वविद्यालयों ने विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिये योग्य विशेषज्ञों को रखा है ।

श्री यू० सी० पटनायक : क्या सरकार न शारीरिक संवर्धन की यौगिक प्रणाली के लाभों को समझने के लिये अन्तरासर्ग, चेतासंहति तथा एन्द्रिय वाह्य प्रतिबोधन के सम्बन्ध में पश्चिमी देशों में हाल ही में की गवेषणाओं की पूरी जानकारी प्राप्त की है ?

डा०एम० एम० दास : हमारी एक संस्था, वैकल्पधाम श्रीमान माधव योग मन्दिर समिति, लोनावाला, पूना आधुनिक वैज्ञानिक रीतियों तथा भैषजिक विज्ञानों के दृष्टिकोण से योग सम्बन्धी गवेषणायें कर रही है और हम ने इस संगठन को भारी अनुदान दिया है । हम ने अब तक इस संस्था विशेष को योग सम्बन्धी गवेषणा करने के लिये १,१६,००० रुपये दिये हैं ।

विदेशी विशेषज्ञ

***९८५. श्री भक्त दर्शन (श्री हेम राज की ओर से)** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रविधिक सहायता योजनाओं के अन्तर्गत १९५४ में कितने विशेषज्ञ भारत आये;

(ख) वे जिन देशों से आये थे उन के नाम;

(ग) कौन से विभिन्न विषयों पर उन से परामर्श लिया गया; और

(घ) उन की सिफारिशें किस प्रकार की हैं ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३२]**

(घ) प्रविधिक सहायता योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले विशेषज्ञों को सामान्यत: परामर्शदाता के रूप में रखा जाता है और वे अपनी सिफारिशों का कोई नियमित प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करते हैं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि गवर्नमेंट की वह बुनियादी नीति है कि केवल उन्हीं विषयों के बारे में बाहरी विशेषज्ञ बुलाये जायें जिन के बारे में हमारे देश के विशेषज्ञ न मिलते हों ?

श्री बी० आर० भगत : जी हां ।

श्री भक्त दर्शन : यदि यह गवर्नमेंट की निश्चित नीति है तो इस विवरण को देखने से ज्ञात होता है कि एक तो फूड न्यूट्रिशन

और दूसरे इकानामिक्स के बारे में अमरीका के विशेषज्ञ बुलाये जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अमरीका के लोग किस तरह से हमारे घरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कैसे यहां के विशेषज्ञ कहलाये जा सकते हैं ?

श्री बी० आर० भगत : अमरीका ने इन विषयों में काफी प्रगति की है और जो लोग वहां से बुलाये गये हैं, वह यहां की जानकारी प्राप्त कर के ही काम कर रहे हैं।

श्री जांगड़े : क्या माननीय संसदीय सचिव यह बतलायेंगे कि जब कि अमरीका की गृह स्थिति में और हिन्दुस्तान की गृह स्थिति में बहुत अन्तर है तो वह यहां की स्थिति को पूरी तरह कैसे समझ सकते हैं ?

श्री बी० आर० भगत : कोशिश तो जरूर करेंगे ?

श्री ए० एम० थामस : मेरे पास प्राधिकार-पत्र है और मैं उसे दे भी चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : तब वह इस प्रश्न को पूछ सकते हैं।

सरकारी नौकरियां

*१००५. **श्री ए० एम० थामस (डा० राम सुभग सिंह की ओर से)** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों के 'आवास नियमों' को समाप्त करने का विचार करती है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के विधेयक के सभा में पुरःस्थापित किये जाने की कब तक संभावना है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख) स्थानीय सदस्य संभवतः सेवाओं में भर्ती के लिये अधिवास संबंधी अर्हतायें विहित करने वाले उन नियमों तथा आदेशों का निदश कर रहे हैं जो कि संविधान के लागू होने के पहले से कुछ राज्यों में लागू हैं। इन नियमों में परिवर्तन अब केवल संविधान के अनुच्छेद १६(३) के अन्तर्गत किसी संसदीय विधान द्वारा ही किये जा सकते हैं। ऐसा विधान बनाने का प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन है।

श्री ए० एम० थामस : क्या सरकार इन सेवा नियमों में कोई एकरूपता लाने का प्रयत्न करने वाली है ?

श्री दातार : हम ने राज्य सरकारों से यही बात तो पूछी है कि क्या वे इस के पक्ष में हैं कि समान नियमों के सम्बन्ध में कोई विधान यहां बनाया जाये।

श्री आर० एस० दीवान : चूंकि कालिजों का शिक्षा का माध्यम सरकारी नौकरियों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है तो क्या सरकार इस विधेयक के पुरःस्थापन के साथ समस्त भारत के कालिजों में शिक्षा की एक समान नीति रखने का विचार कर रही है ?

श्री दातार : मैं नहीं समझता कि इस प्रश्न के उत्तर से इतना बड़ा प्रश्न उत्पन्न हो सकता है।

पढ़े लिखों में बेकारी

*१००७. **सरदार ए० एस० सहगल (मुल्ला अब्दुल्ला भाई की ओर से)** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने पढ़े लिखों की बेकारी दूर करने की योजना के अन्तर्गत किसी वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मंजूर की गई राशि कितनी है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां ।

(ख) १९५३-५६ में २०४६०,१५ रूपये ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि इस किस्म की और कोई स्कीम एजूकेटेड अनएम्पलायमेंट के लिये किसी और स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है और केन्द्रीय सरकार से मदद की मांग की है ?

डा० एम० एम० दास : इस योजना के अन्तर्गत हम ने लगभग सभी राज्य सरकारों को अनुदान दिये हैं ।

श्री सुबोध हासदा : क्या मध्य प्रदेश सरकार ने विशेष रूप से इस के सम्बन्ध में कोई योजना प्रस्तुत की है और भारत सरकार ने उस के लिये मंजूरी दी है ?

डा० एम० एम० दास : योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई थी । इस योजना के सम्बन्ध में राज्यों द्वारा किये गये या किये जाने वाले व्यय केन्द्र के सामने प्रस्तुत किये जाते हैं और एक अनुसूचित दर के अनुसार अनदान दिये जाते हैं ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या इस योजना में अध्यापकों को सेवायुक्त करने के अतिरिक्त कोई और काम भी सम्मिलित किया गया है ?

डा० एम० एम० दास : समाज शिक्षा कार्यकर्ता तथा प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक ।

श्री के० सी० सोधिया : यह जो २० लाख रुपया दिया गया है इससे कितने आदमियों को काम पर लगाने की तजवीज थी ?

डा० एम० एम० दास : मूल योजना के अन्तर्गत सारे भारत में नियुक्त किये जाने वाले समाज शिक्षा कार्यकर्ताओं की कुल संख्या ८,००० थी । दुर्भाग्यवश अब तक केवल ९१६ व्यक्ति ही नियुक्त किये गये हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या पूरी ग्रान्ट दे दी गई थी ?

डा० एम० एम० दास : हम केवल उन अध्यापकों के लिये सहायता देते हैं जो कि नियुक्त किये जा चुके हैं ।

अल्प सूचना प्रश्न

मशीनी औजारों के कारखाने

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७. श्री कासलीवाल : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोलम्बो योजना विशेषज्ञ श्री जे० डी० स्केफ ने इस देश के मशीनी औजारों के कारखानों के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) क्या उन्होंने अम्बरनाथ और जालाहल्ली के कारखानों की आयोजन तथा संचालन की बहुत कटु आलोचना की है ;

(ग) क्या उन की दृष्टि में यह कारखाने "महान वित्तीय असफलतायें" सिद्ध हुए है और स्विटजरलैण्ड के परामर्शदाताओं ने भारतीय से विवर्ग को प्रशिक्षित करने में ईमानदारी से काम नहीं लिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या करने का विचार करती है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) और (ख), हां ।

(ग) श्री स्केफ ने बताया कि जालाहल्ली के कारखाने के "महान वित्तीय असफलता" के सिद्ध होने की संभावना थी । स्विटजरलैण्ड के परामर्शदाताओं के सम्बन्ध में उन्हों ने ये शब्द कहे हैं :

"उन्होंने जो कुछ भारत के हाथ बेचा है वह वास्तव में थी . . . .स्विस दक्षता,

जिस का कि उन्हें बेचने का अधिकार नहीं था क्योंकि भारतीय मस्तिष्क में अपनी दक्षता को जमा देने की उन में मनो वैज्ञानिक योग्यता नहीं थी ।"

(घ) श्री स्केफ का प्रतिवेदन लगभग १८ मास पूर्व, मार्च, १९५४ में प्रस्तुत किया गया था। सरकारी कार्यवाही श्री स्केफ की आलोचना की मान्यता सम्बन्धी उसके मत के अनुसार निश्चित की गई है । इस विषय के सम्बन्ध में एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३३**]

श्री कासलीवाल : कहा जाता है कि श्री स्केफ ने कहा है कि अम्बरनाथ प्रोटोटाइप फैक्टरी को आयुध कारखानों को पर्याप्त अंशदान देने में अभी कितने ही वर्षों का समय लगेगा । सरकार इस विचार से कहां तक सहमत है ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : नहीं ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : कहां तक ?

श्री कासलीवाल : जालाहल्ली का जहां तक सम्बन्ध है, श्री स्केफ ने उसे धोखे की टट्टी इस लिये कहा है कि स्विटजरलैण्ड के बने भागों से जो भी खराद तथा वहां बने उपकरणों से जो भी खराद तैयार किये जायेंगे उन से भारत वासियों को केवल पुर्जों को जोड़ने और रंगने का अनुभव प्राप्त करने का ही अवसर मिलेगा । क्या श्री स्केफ ने जालाहल्ली संयंत्र के संचालन का सही चित्र उपस्थित किया है ?

श्री त्यागी : जैसा कि मैं पहले एक प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं, श्री स्केफ ने कारखाने के अस्तित्व में आने के पूर्व ही कह चुके थे कि यह कारखाना एक महान असफलता रहेगा । उन का यही विचार था और वे अधिकांशत: इंगलैंड के मशीनी औजार निर्माताओं के विचारों का प्रतिनिधित्व करते रहे थे । अपनी एक आलोचना में उन्होंने कहा है कि वह यह मानते थे कि यह कारखाना किसी भी प्रकार के मशीनी औजार तैयार कर सकता है परन्तु वह अच्छा यही समझते हैं कि बजाये सरकार के गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा ऐसे मशीनी औजार तैयार किये जायें । उन के द्वारा दिये गए कुछ सुझाव बहुत ही निरर्थक हैं और सरकार के लिये उन का स्वीकार करना संभव नहीं होगा ।

श्री ए० एम० थामस : जब कि श्री स्केफ ने आरंभ ही ऐसी पक्षपात की भावना से किया है –जैसा कि विवरण से ज्ञात होता है— तो उन को इस मामले की जांच करने के लिये नियुक्त ही क्यों किया गया और क्या उन्होंने इन दोनों कारखानों के सुधार के लिये कोई सुझाव दिये हैं ; यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

डा० काटजू : श्री स्केफ की आलोचना चाहे जो भी हो इस सम्बन्ध में हम प्रत्येक संभव कार्यवाही कर रहे हैं जिससे कि इन कारखानों में सुधार हो । उन की आलोचना में अतिश्योक्ति बहुत है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो स्विटजरलैण्ड से विशेषज्ञ आया था उस ने यहीं पर आ कर के काम सीखना शुरू किया था ?

डा० काटजू : जी नहीं, वहीं से सीख कर आये थे ।

श्री यू० सी० पटनायक : क्या श्री स्केफ के प्रतिवेदन के अतिरिक्त महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन से भी यही पता चलता है कि स्विस परामर्शदाताओं के साथ किये गये इस सौदे के फलस्वरूप भारत को भारी हानि उठानी पड़ी है क्योंकि प्रोटोटाइप के उत्पादन तथा भारतीय से विवर्ग के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में

उन्होंने कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की ? मैं रक्षा लेखा परीक्षण के १९५४ के प्रतिवेदन का हवाला दे रहा हूं ।

डा० काटजू : इस फैक्टरी को नतीजा दिखाने में कुछ वक्त सर्फ होगा । कुछ बिजली का तमाशा तो नहीं है जो आज रात को . . .

कुछ माननीय सदस्य : कृपा कर के अंग्रेज़ी में उत्तर दीजिये ।

डा० काटजू : मैं कह रहा था कि इस को नतीजा दिखाने में कुछ वक्त लगेगा । हमारा उद्देश्य शस्त्रों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना है । मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इन कारखानों का नतीजा देखने में वे जल्दी न करें । इंजीनियरिंग क्षमता परिमाप समिति द्वारा इस प्रतिवेदन की अच्छी तरह से जांच की गई थी और वह समिति श्री स्केफ के अधिकांश परिणामों से सहमत नहीं हुई है ।

श्री यू० सी० पटनायक : यहां प्रश्न शस्त्रास्त्रों के उत्पादन का नहीं है । एक खण्ड में प्रोटोटाइप उत्पादन होता है दूसरे में शस्त्रों का विकास और तीसरे में प्रविधिकों का प्रशिक्षण होता है । तीनों खण्डों में नाम के लिये चाहे जो कुछ किया गया हो परन्तु काम में कोई प्रगति नहीं हुई है । आयुध विकास तथा प्रारूप सेक्शन में एक भी ऐसा शस्त्र तैयार करने में सफलता नहीं मिली है जो कि पश्चिमी देशों में साधारणतया बनते हैं । प्रोटोटाइप सेक्शन में केवल दो ग्राइण्डर और मोनोड्राइवर तैयार किये गये हैं । शिक्षा अथवा प्रशिक्षण सेक्शन में कोई भी प्रगति नहीं की गई है । क्या यह सच है ?

डा० काटजू : प्रोटोटाइप दो चार दिन में तयार नहीं किये जा सकते हैं । शस्त्रों का विकास करने के लिये वर्षों राह देखनी पड़ती है । मेरे माननीय मित्र ने बहुत सी बातें कही हैं परन्तु उन्होंने यह नहीं कहा कि यह कारखाना शीघ्र ही १७५ लाख रुपये की पूंजीगत लागत से ५५ लाख रुपये के मूल्य के मशीनी औजार बनाने लगेगा ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या यह सच है कि श्री स्केफ तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों के अतिरिक्त, इस सभा की प्राक्कलन समिति ने भी न केवल वित्तीय पक्ष में ही वरन् प्रशासन के सम्बन्ध में भी बहुत सी अनियमितताओं का निर्देश किया है और यह कि मशीनें बहुत समय तक बेकार पड़ी रहीं थीं ।

डा० काटजू : मैं केवल यही कह सकता हूं कि हम इन सब आलोचनाओं से लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : इस बात पर ध्यान देते हुए कि सरकार श्री स्केफ की सिफारिशों को नहीं मानती है, क्या वे इस सम्बन्ध में किसी और विशेषज्ञ की राय लेगी कि क्या श्री स्केफ के प्रतिवेदन का कोई मूल्य है क्योंकि कारखाने के रूपभेद किसी साधारण व्यक्ति द्वारा न्यायोचित नहीं ठहराये जा सकते हैं ?

श्री त्यागी : इसमें किसी विशेषज्ञ से परामर्श लेने का प्रश्न नहीं है । वास्तव में उस विशेषज्ञ से वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा नियुक्त की हुई इंजीनियरिंग क्षमता परिमाप समिति की सहायता करने को कहा गया था । परन्तु उस समिति ने श्री स्केफ के मत को स्वीकार नहीं किया था । उस समिति ने जो भी सिफारिशें की थीं उन पर सरकार द्वारा विचार किया गया था ।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार इस संस्था विशेष की प्रगति से सन्तुष्ट है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस का पता

लगाया है कि इस गड़बड़ी के लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री त्यागी : सरकार पूर्ण रूप से सन्तुष्ट है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

ढलाई स्कूल, खड़गपुर

*९७६. **श्री डी० सी० शर्मा**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ढलाई स्कूल खड़गपुर के प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहने वाले कितने प्रार्थी इस वर्ष पंजाब राज्य के थे;

(ख) उन में कितने चुने गये हैं; और

(ग) प्रार्थियों में क्या कोई महिला प्रार्थी भी थीं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) सात

(ख) सात ।

(ग) एक भी नहीं ।

सैनिक वाद्य (बैंड)

*९७९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक वाद्य द्वारा अंग्रेजी ध्वनि के स्थान पर भारतीय ध्वनि बजाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं; और

(ख) आकाशवाणी के स्टाफ कलाकारों ने जो इस सम्बन्ध में पचमढ़ी के सैनिक स्कूल गये थे, क्या सूचना दी है ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : (क) पचमढ़ी के सैनिक संगीत स्कूल को भारतीय ध्वनि बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे वे सैनिक वाद्यों पर बजाई जा सकें । इस स्कूल में अब तक बहुत सी ध्वनियां बनाई हैं, जिसे सैनिक वाद्यों ने ग्रहण कर लिया है । आल इंडिया रेडियो का एक विशेषज्ञ खास तौर पर इस की प्रगति देखने के लिय तथा इस दिशा में अपने सुझाव देने के लिये इस स्कूल में रखा गया था । उस के सुझावों पर आल इंडिया रेडियो तथा संगीत नाटक अकादमी की सलाह से विचार किया गया है और उन पर धीरे धीरे अमल किया जायगा । यह फैसला किया गया है कि संगीत स्कूल को इस काम में सहायत देने के लिये एक सुयोग्य संगीतज्ञ को रखा जाय जिसे भारतीय तथा पश्चिमी संगीत क आवश्यक ज्ञान हो ।

(ख) आल इंडिया रेडियो के कलाकार ने अधिकतर ध्वनियों को चुनने, उन्हें मधुर बनाने तथा मार्च और प्रोग्राम संगीत सम्बन्धी टैक्नीकल प्रकार के सुझाव दिये थे । उस ने स्कूल के स्टाफ को बढ़ाने का भी सुझाव दिया था ।

इम्पीरियल बैंक

*९८०. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री २६ अप्रैल, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १०५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोतीहारी में इम्पीरियल बैंक (अब भारत का राज्य बैंक) की एक शाखा खोली गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) जी नहीं ।

(ख) आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक मोतीहारी में भारतीय राज्य बैंक की एक शाखा खुल जायेगी ।

राज्य वित्त निगम

*९८२. **श्री गिडवानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को बम्बई सरकार से बम्बई राज्य वित्त निगम को

आयकर तथा उपरि-कर देने से कुछ वर्षों के लिये विमुक्ति दिये जाने की एक प्रार्थना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई है ।

सोने का पता लगाने वाला यंत्र

*९८७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई तथा कलकत्ता में पृथकतया 'सोने का पता लगाने वाले यंत्र' के द्वारा चौर्यानयन के कितने मामले अब तक पकड़े गये हैं ?

राजस्व और सैनिक व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : अभी तक सोने का पता लगाने वाले यंत्र के द्वारा बम्बई में नौ मामलों का तथा कलकत्ता में एक मामले का पता लगा है ।

आदिम जाति पुनर्वास

*९९३. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में आदिम जातियों के पुनर्वास कार्य में १९५५-५६ के आयव्ययक में उपबन्धित राशि के व्यय करने के अधिकार दिये जाने के विलम्ब होने के कारण रुकावट पड़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस कठिनाई को हटाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) राज्य सरकारकी योजनाओं का अनुमोदन कर किया गया है और व्यय की मंजुरी दे दी गई ह । हम यह देखने का भरसक प्रयास कर रहे हैं कि कार्य की प्रगति में किसी प्रकार से भी रुकावट न पड़े ।

(ख) यह देखने के लिये कि योजनाओं की अभिपूर्ति में विलम्ब न हो तथा उस प्रयोजन के लिये निश्चित रकम व्यपगत न हो जाये, राज्य सरकारों को अपनी योजनायें दो भागों में तैयार करने के लिये कहा गया है । प्रथम भाग में ऐसी योजनायें सम्मिलित होंगी जो कि एक वर्ष से अधिक समय तक की होंगी ताकि जब एक बार योजना का अनुमोदन हो जाये तो राज्य सरकार व्यय करती चली जाये चाहे वह कसी एक वर्ष के लिये आवंटित समस्त राशि को व्यय करने में असमर्थ रहे । जहां तक वार्षिक योजनाओं का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों पर इस बात का जोर दिया गया है कि जहां तक संभव हो सके उन की अभिपूर्ति उसी वर्ष में की जानी चाहिये ।

हिन्दी टाइप राइटर

*९९७. **श्री बलवन्त सिंह मेहता** : क्या **शिक्षा** मंत्री २६ अप्रैल, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २५६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी टाइप राइटर तथा टेली-प्रिंटर के एक समान की-बोर्ड निर्धारित करने के सम्बन्ध में नियुक्त की गई समिति की सिफारिशें क्या ह ; और

(ख) इन सिफारिशों के कब से क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद): (क) समिति ने हिन्दी टाइप-राइटर के बारे में अन्तरिम रिपोर्ट दे दी है, यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है । हिन्दी टेलीप्रिंटर के की-बोर्ड के बारे में रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) इस तकनीकी काम के बारे में कोई विशिष्ट समयावधि निर्धारित नहीं की जा सकती ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा

*९९८. **मुल्ला अब्दुल्ला भाई** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ अगस्त १९४७ के बाद मध्य प्रदेश राज्य में अब तक कितने भारतीय प्रशासनिक सेवा पदाधिकारी तथा भारतीय पुलिस अधिकारी नियुक्त किये गये हैं; और

(ख) कितने भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी मध्य प्रदेश से दूसरे राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार को स्थानान्तरित किये गये हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा ६४, जिन में से ९ सेवा निवृत हो चके हैं और एक की मृत्यु हो गई है। भारतीय पुलिस सेवा ५२, जिन में से १३ सेवा निवृत हो चुके हैं ।

(ख) एक भारतीय प्रशासनिक सेवा पदाधिकारी को मध्य प्रदेश से एक और राज्य की पदाली में बदल दिया गया है । कोई भी भारतीय प्रशासनिक सेवा पदाधिकारी भारतीय पुलिस सेवा पदाधिकारी मध्य प्रदेश से स्थायी रूप म केन्द्रीय सरकार को स्थानान्तरित नहीं किया गया है । तीन भारतीय प्रशासनिक सेवा पदाधिकारी तथा एक भारतीय पुलिस सेवा पदाधिकारी मध्य प्रदेश से केन्द्रीय सरकार में आवधिक रूप से प्रतिनियुक्ति पर हैं ।

पाकिस्तानी राष्ट्रजनों का संस्थापन

*१००२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** उन पाकिस्तानी राष्ट्र जनों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जिन को कि भारत-पाक पारपत्र सम्मेलन, १९५३ के समझौते के अनुसार विभक्त परिवारों के पुनर्एकीकरण की सुविधा देने के लिये भारत में स्थायी रूप से बस जाने की आज्ञा दी गई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : ३१ जुलाई, १९५५ तक १५६० पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को उन के आश्रितों समेत भारत में अपने परिवारों को पुनर्एकीकरण करने के लिये स्थायी रूप से संस्थापन की सुविधा दी गई है ।

प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय

*१००६. **श्री गिडवानी** : क्या **शिक्षा** मंत्री ११ मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में प्रस्थापित प्रोद्योगिकीय विश्वविद्यालय के स्थापन के बारे में अब तक कुछ कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर अनुमानित व्यय क्या होगा ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जिसे कानपुर में, प्रोद्योगिकीय विश्वविद्यालय के स्थापन की प्रस्थापना सलाह देने के लिये निर्दिष्ट की गई थी, एक विशेषज्ञ समिति सम्मेलन की जांच के लिये नियुक्त की थी । समिति का एक सदस्य हाल ही में कानपुर हो आया है । और उसने वहां मौके पर जांच पड़ताल की है समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) राज्य सरकार के व्यय सम्बन्धी अनुमान इस प्रकार हैं :—

अनावर्तक व्यय	५२ लाख रुपये
अन्तिम आवर्तक व्यय	२३ लाख रुपये प्रति वर्ष

खनिज सर्वेक्षण

५१४. **श्री कामत** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होशंगाबाद (मध्यप्रदेश) जिले का खनिज सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या लोहा, चूने का पत्थर अथवा कोयले के निक्षेप उस जिले में पाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३४]**

दिल्ली पुलिस

५१५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री दिल्ली पुलिस दल के उन वर्गों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिन के लिये १९५४-५५ में भर्ती की गई थी और प्रत्येक वर्ग में कितने कितने लोग भर्ती किये गये थे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३५]**

सरकारी परिवहन

५१६. **श्री इब्राहीम** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा मंत्रालय के सचिवालय द्वारा इस समय कितनी सरकारी कारें तथा ट्रक काम में लाए जा रहे हैं; और

(ख) १९५४–५५ में उन पर कितना व्यय हुआ है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) (१) एक असैनिक स्टाफ कार (२) छः सैनिक गाड़ियां ।

(ख) (१) २,४०० रुपये ।

(२) लगभग २७,००० रुपये । यह लागत प्रति मील पर ली जाने वाली सामान्य दरों के आधार पर आगणित की गई है और इस में गणतन्त्र दिवस तथा स्वतन्त्रता दिवस पर इन गाड़ियों द्वारा की गई यात्रा की मील संख्या भी सम्मिलित है ।

संघ लोक सेवा आयोग

५१७. **श्री इब्राहीम** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा १९५४–५५ में उम्मीदवारों से कुल कितनी रकम फीस के रूप में वसूल की गई; और

(ख) १९५३–५४ में आयोग द्वारा उम्मीदवारों को भाड़े तथा अन्य भत्ते के रूप में कुल कितनी रकम दी गई ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) ६,२३,८७५ रुपये ।

(ख) ३,४६,२६० रुपये ।

मथुरा में खुदाई कार्य

५१८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा के कटरा केशवदेव में खुदाई कार्य के दौरान में भारतीय पुरातत्व विभाग को ऐतिहासिक महत्व की कौन सी वस्तुयें प्राप्त हुई हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : बहुत सी पुरानी वस्तुयें जैसे सिक्के मोहरें और पकी मिट्टी की छोटी मूर्तियां मिली हैं जो ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी से ईसा पश्चात्

पांचवी शताब्दी तक के समय की हैं और जिन का सम्बन्ध गुप्त कुशन सुंग,और मौर्य काल से है ये नमूने बहुत मूल्यवान हैं क्योंकि ये तह खोद कर निकाले गये हैं। इन के अतिरिक्त उत्तरी काली पालिश वाली मिट्टी के बरतनों का एक समूह (ईसा पूर्व ५००-२०० वर्ष समय के) और कुछ भूरी पालिश वाले मिट्टी के बरतनों के नमूने मौर्य काल से पूर्व अर्थात् लगभग ईसा पूर्व ७५० वर्ष के समय के निचली तहों में मिले हैं इस प्रकार मथुरा की प्राचीनता निर्बाध-क्रम से पुरातत्व विज्ञान के आधार पर लगभग ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी के पहले अर्ध भाग तक पहुंच गई है ।

द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय खेल समारोह, वारसा

५१९. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वारसा में १ से १५ अगस्त, १९५५ तक हुए द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय खेल समारोह में भाग लेने के लिये भेजे जाने वाले एक भारतीय दल पर होने वाले व्यय के कुछ भाग की पूर्ति के लिये कतिपय वित्तीय सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, इस सम्बन्ध में यदि कोई रकम मंजूर की गई है तो वह कितनी है ?

शिक्षा या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद): (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) कुछ नहीं ।

विनिमय सुविधाएं

५७२०. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इन के द्वारा भारत में रुपया लाये जाने के लिये किस सीमा तक विनिमय सुविधायें दे रखी हैं :–

(१) अमेरिकन राजदूतावास, (२) इंग्लैंड उच्चायोग, (३) रूसी राजदूतावास, (४) चीनी गणराज्य दूतावास, (५) अमेरिकन इन्फारमेशन सर्विस, (६) ब्रिटिश, इन्फार्मेशन सर्विस, (७) तास न्यूज एजेन्सी और (८) न्यूचीन न्यूज एजेन्सी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : भारत को किये गये धन के प्रेषण पर कोई रुकावटें नहीं हैं । इस लिये भारत में रुपया लाने के लिये विनिमय सुविधायें देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

अल्पकालिक भर्ती

५२१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **रक्षा** मंत्री ३१ मार्च, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १७५९ के अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अल्पकालिक भर्ती योजना के अन्तर्गत काम करने वाले कितने पदाधिकारियों व अन्य सैनिकों को अब तक नौकरी से अलग किया गया है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : अब तक २६३ नान-रेगुलर कमीशन्ड अफसर नौकरी से अलग किये गये हैं। अन्य श्रेणियों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और शीघ्रातिशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बीमा कम्पनियां

५२२. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में अब तक कितने अभ्यावेदन बीमा कम्पनियों के विरुद्ध मिले हैं और उन में से कितनों पर कार्यवाही हुई है; और

(ख) कितने अभ्यावेदनों में यह कहा गया है कि बीमा कम्पनियों ने अनुपयुक्त अचल सम्पत्ति में अपना धन लगाया ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि ऐसे कितने अभ्यावेदन मिले हैं जिन का सम्बन्ध घोर कुप्रबन्ध या अधिनियम के अतिक्रमण से है—यह नहीं कि दावे, कमीशन आदि की अदायगी में देर होने जैसी व्यक्तिगत शिकायतों के सम्बन्ध में कितने अभ्यावेदन मिले हैं । पहले प्रकार के बारह अभ्यावेदन मिले हैं जिन में से चार का निबटारा हो चुका है। दी हुई संख्या में विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त ऐसे अभ्यावेदन, जिन में किसी एक बीमा कम्पनी पर एक ही प्रकार के आरोप लगाये गये हैं, एक वर्ग में रखे गये हैं ।

(ख) केवल एक ।

योग्यता छात्रवृत्तियां

५२३. **डा० सत्यवादी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में पब्लिक स्कूलों में योग्यता के आधार पर कितनी छात्र-वृत्तियां स्वीकार की गई हैं (राज्य वार) ;

(ख) इस प्रकार की छात्रवृत्तियां प्राप्त विद्यार्थी किन किन स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं ; और

(ग) क्या उन सभी विद्यार्थियों की शिक्षा, जिन्हें गत वर्ष योग्यता के आधार पर छात्रवृत्तियां दी गई थीं, सन्तोषजनक रूप में चल रही हैं और क्या उन की छात्रवृत्तियां जारी हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद): (क) चनाव अभी नहीं किये गये हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) हां, सिवाय दो के जिन की छात्रवृत्तियां मूल आवेदन-पत्रों में असत्य सूचना देने के कारण बन्द करनी पड़ी थीं ।

संघ लोक सेवा आयोग

५२४. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५ में संघ लोक सेवा आयोग ने विज्ञापनों पर कितना व्यय किया है तथा परीक्षकों को पारिश्रमिक के रूप में कितनी राशि दी है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : ३,८५,७०४ रुपये विज्ञापनों पर व्यय हुए और १,८८,९२९ रुपये परीक्षकों को पारिश्रमिक के रूप में दिये गये ।

संस्कृत की पाण्डुलिपियां

५२५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री १ अप्रैल, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न योरोपीय देशों से संस्कृत की पांडुलिपियां को प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) उन देशों के क्या नाम हैं, जिन के पास यह पांडुलिपियां हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद): (क) मामले पर अभी विचार किया जा रहा है ।

(ख) वह विभिन्न योरोपीय तथा विश्व के अन्य देशों में उपलब्ध है किन्तु इस सम्बन्ध में कोई निश्चिप जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

तस्कर व्यापार

५२६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में अब तक पूर्वी पाकिस्तान से भारत में होने वाले तस्कर व्यापार के कितने मामलों का अब तक पता लगा है ?

(ख) जब्त की गई वस्तुओं का ब्यौरा तथा उन का मूल्य क्या है; और

(ग) तस्कर व्यापारियों से जुर्माने के तौर पर कितनी रकम वसूल की गई है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) जनवरी से जून १९५५ तक पता लगाये गये ऐसे मामलों की संख्या ३३२८ है ।

(ख) उस अवधि में जब्त किये गये कुल सामान की कीमत ४,३९,६८५ रुपये थी और पकड़ी गई मुख्य मुख्य वस्तुयें, सोना, चांदी, सुपारियां, पाकिस्तानी तथा भारतीय मुद्रा, वस्त्र, पशु, चटाइयां, तथा सेंधा नमक थीं ।

(ग) उस अवधि में वसूल की गई जुर्माने की कुल रकम जिस में दंड भी सम्मिलित है ६५,७८६-६-० रुपये थी ।

विदेशी विशेषज्ञ

५२७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस मंत्रालय के अधीन इस समय कितने विदेशी विशेषज्ञ काम कर रहे हैं; और

(ख) उन देशों के क्या नाम हैं जिन से वह आये हैं ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) सात ।

(ख) पांच अमेरिका से, एक इंग्लैंड से, और एक जापान से ।

विदेशों को भेजे गये शिष्ट मंडल

५२८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में अब तक कितने केन्द्रीय (१) पदाधिकारियों, (२) मंत्रियों तथा (३) संसद् सदस्यों ने राज्य के खर्च पर विदेशों का दौरा किया है;

(ख) वह किस प्रयोजन के लिये प्रतिनियुक्त किये गये थे ; और

(ग) उन में से प्रत्येक की यात्रा आदि पर सरकार ने कितना व्यय किया ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और ज्योंही उपलब्ध हो जायेगी सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) प्रत्येक व्यक्ति पर हुए व्यय के बारे में सांख्यकी एकत्रित करने में पर्याप्त मेहनत करनी पड़ेगी और जो पत्र व्यवहार करना पड़ेगा कि उस की उपयोगिता उस पर की गई मेहनत से कम होगी । इसलिये अब तक अनुमोदित शिष्ट मंडलों पर १९५५ में किये गये मंत्रालयवार अनुमानित व्यय को ही देने का विचार है ।

हैदराबाद राज्य सेना भूमि

५२९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद राज्य की भूतपूर्व सेनाओं से सम्बन्ध रखने वाले भूमि क्षेत्रों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितने एकड़ भूमि का सर्वेक्षण किया गया है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कैलासहर उप-जेल (त्रिपुरा)

५३०. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के कैलासहर उप-जेल में कितने बन्दी रखे जा सकते हैं;

(ख) १९५५ के जून और जुलाई के मासों में, अधिकतम कितने व्यक्तियों को इस उप-जेल में अवरुद्ध किया गया था;

(ग) क्या किन्हीं विचाराधीन व्यक्तियों को अपने खर्चे पर मच्छरदानियों का उपयोग करने से इन्कार कर दिया गया था;

(घ) क्या यह सत्य है कि वह उप-जेल, नियमों द्वारा निर्धारित स्तर के अनुरूप नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इसके उपचार-स्वरूप क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) कैलासहर उप-जेल में ३० बंदी रखे जा सकते हैं ।

(ख) इस उप-जेल में जून, १९५५ तथा जुलाई, १९५५ के दो मासों में अवरुद्ध किये गये व्यक्तियों की संख्या क्रमश: २१ और २५ थी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) तथा (ङ). वह उप-जेल भवन के अतिरिक्त अन्य सभी दृष्टियों से स्तर के अनुरूप है । राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में नवीन भवन के निर्माण के लिये विशेष उपबन्ध किया है ।

बर्मा के मार्ग से तस्कर व्यापार

५३१. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि इम्फाल (मनीपुर) में भारतीय भू-सीमा शुल्क के निवारक कर्मचारियों ने चालू वर्ष में भारत-बर्मा सीमान्त पर बर्मा से लाया गया एक लाख रुपये के मूल्य का तस्कर व्यापार का माल पकड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो आदिम जाति के व्यक्तियों से पकड़े गये तस्कर व्यापार के माल की क्या कीमत है; और

(ग) भारत-बर्मा सीमान्त पर आदिम जातीय व्यक्तियों को बर्मा से माल लाने के सम्बन्ध में क्या विशेष सुविधायें दी गई हैं ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) इम्फाल (मनीपुर) में भारतीय भू-सीमा शुल्क के निवारक कर्मचारियों ने चालू वर्ष में जुलाई १९५५ तक ९३,७७४-१० रुपये के मूल्य का माल पकड़ा है जिस के बारे में ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह भारत-बर्मा सीमान्त से चोरी छिपे लाया गया था ।

(ख) आदिम जातीय व्यक्तियों से पकड़े गये तस्कर व्यापार के माल का कुल मूल्य ५४,३९४-१-० रुपये था ।

(ग) भारत-बर्मा सीमान्त पर रहने वाले व्यक्तियों को, बिना किसी प्रकार के आयात कर अथवा विनिमय नियंत्रण बन्धनों के बर्मा से भारत में चावल लाने की सुविधा दी हुई है । उन्हें इस सम्बन्ध में बर्मा को कुछ कपड़ा भेजने की भी अनुमति है । ऐसी सुविधायें सभी को प्राप्त हैं । वास्तव में आदिम जातीय व्यक्तियों के लिये ये कोई विशेष सुविधायें नहीं हैं—यद्यपि उन को इन सुविधाओं से अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा है ।

आसाम में प्राचीन स्मारक

५३२. **श्री के० पी० त्रिपाठी**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के दर्रांग जिले में राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों के परिरक्षण के लिये १९५४ में कितनी राशि मंजूर की गयी थी;

(ख) वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई थी; और

(ग) क्या वह राशि उस प्रयोजन के लिये अपर्याप्त है और इस सम्बन्ध में शिकायतें की गयी हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) १६१६ रुपये ।

(ख) १,६२४-२-० रुपये ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

आदिम जाति के व्यक्तियों को शिक्षा

५३३. **श्री दशरथ देव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा के आदिम जातीय लोगों की शिक्षा को बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई योजना प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और उस के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या इस वर्ष त्रिपुरा में आदिम जातीय विद्यार्थियों के लिये छात्रावास बनाने के सम्बन्ध में सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो ये छात्रावास किन किन स्थानों पर बनाये जायेंगे ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) से (घ). भारत सरकार को इस प्रकार की किसी भी योजना का ज्ञान नहीं है । तो भी ये जानकारी त्रिपुरा राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर इसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

त्रिपुरा में प्रविधिक स्कूल

५३४. **श्री दशरथ देव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में त्रिपुरा में कितने प्रविधिक प्रशिक्षण स्कूल खोले गये हैं ;

(ख) वहां पर कौन कौन से विषय पढ़ाये जाते हैं;

(ग) उन पर अभी तक कितनी धन-राशि खर्च की जा चुकी है; और

(घ) उन के लिये १९५५–५६ के लिये कितनी धन-राशि मंजूर की गयी है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (घ). राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

लोक-सभा

सोमवार,
२२ अगस्त, १९५५

वाद-विवाद

18/X/23
Chamber Furnigated

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही...)

खंड ६, १९५५

(१६ अगस्त से ३ सितम्बर, १९५५)

सत्यमेव जयते

दसम सत्र, १९५५

(खंड ६ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली।

विषय-सूची

(खंड ६, अंक १६—३०, १६ अगस्त से ३ सितम्बर १९५५)

अंक १६—मंगलवार, १६ अगस्त, १९५५

स्तम्भ

स्थगन प्रस्ताव—

गोआ के स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रति सरकार की नीति . . १३४३–१३५०

सभा पटल पर रखे गये पत्र—

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन . . १३५०–१३५१

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम १३५१

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . १३५१

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त . . . १३५१–१४०८

अंक १७—बुधवार, १७ अगस्त, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश १४०९

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १४१०

गोआ स्थिति के बारे में वक्तव्य . . . १४१०–१४

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त १४१४–८९, १४८९–९२

सभा का कार्य १४८९

अंक १८—गुरुवार, १८ अगस्त, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

पुर्तगाली अत्याचारों के विरुद्ध प्रदर्शन १४९३–९७

राज्य-सभा से सन्देश १४९७–९८, १५७७–७८

सभा-पटल पर रखा गया पत्र—

बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य १४९८–१५०३

गोआ के सम्बन्ध में वक्तव्य १५०३–१५०४

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के बारे में वक्तव्य . १५०४–१५०७

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त १५०७–७६

अंक १९—शुक्रवार, १९ अगस्त, १९५५

कार्य मंत्रणा समिति—
तेईसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १५७९
भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम—
याचिका का उपस्थापन १५७९
तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि १५७९–८०
समितियों के लिये निर्वाचन—
रबड़ बोर्ड १५८०
काफी बोर्ड १५८१
समवाय विधेयक—जारी
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का
प्रस्ताव—स्वीकृत १५८१–१६१६
श्री सी० डी० देशमुख १५८१–१६१६
प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . १६१६–१६४२
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—
चौतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत १६४२–४३
विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार (स्वीकृति पर दंड) विधेयक—
वापिस लिया गया १६४३–६८
विचार करने का प्रस्ताव १६४३–६८
बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १६६८–८६

अंक २०—शनिवार, २० अगस्त, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश १६८७
परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया . . १६८७
सभा-पटल पर रखा गया पत्र—
इंजीनियर स्टील फाइल उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रति-
वेदन १६८७–८८
कार्य मंत्रणा समिति—
तेईसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत १६८८–८९
प्रेस आयोग के प्रतिदवेन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . १६८९–१७५८

अंक २१—सोमवार, २२ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें . . १७५९
रक्षित तथा सहायक वायुसेना अधिनियम के नियमों में संशोधन . १७५९–६०
बैंक पंचाट आयोग का प्रतिवेदन १७६०

बैंक पंचाट आयोग की सिफारिशों के बारे में वक्तव्य . . १७६१–६५
प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—
संशोधित रूप में स्वीकृत १७६५–१८४४
अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १८४४

अंक २२—मंगलवार, २३ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
विकास-परिषदों के प्रतिवेदन—
(१) भारी रसायन (अम्ल और उर्वरक) . . . १८४५
(२) अन्तर्दहन एंजिन और बिजली से चलने वाले पम्प . . १८४५–४६
(३) साइकिलें १८४६
(४) चीनी १८४६
काफी नियम, १९५५ . . . . . १८४६
रबड़ नियम, १९५५ . . . . . १८४६
अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत १८४६–१९१८
खण्ड २, ३ और १ . . . . १९१९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंडों पर विचार—
असमाप्त १९१९–५२
खण्ड २ से १० . . . . . १९२०–५२

अंक २३—बुधवार, २४ अगस्त, १९५५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
पैंतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . १९५३
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . १९५३–२०४४
खंडों पर विचार—असमाप्त . . .
खण्ड २ से १० . . . . १९५३–२०२२
खण्ड ११ से ६७ . . . . . २०२२–२०४४

अंक २४—गुरुवार, २५ अगस्त, १९५५

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २०४५–२१३८
खंड ११ से ६७ . २०४५–२०७९
खंड ६८ से ८० . . . २०७९–२१०२
खंड ८१ से १४४ . . . २१०२–२१३८

अंक २५—शुक्रवार, २६ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण २१३९-४०
राज्य-सभा से सन्देश . . . २१४०-४१
एक सदस्य की मुअत्तली . . . . . २१४१—४४
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २१४१,४४—९४
खंड ८१ से १४४ . . . . . २१४१,४४—९४
सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
पैंतीसवां प्रतिवेदन—संशोधित रूप में स्वीकृत . . . २१९४—९७
वैदेशिक व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प—असमाप्त . २१९७—२२३२

अंक २६—मंगलवार, ३० अगस्त, १९५५

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . . . २२३३—३५
सदस्य की मुअत्तली की समाप्ति के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत २२३५—३९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्य का प्रतिवेदन १९५४-५५ . २२३९
केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा निकाला गया बुलेटिन संख्या २२ . . २२३९
मैसूर की सोने की खानों सम्बन्धी विनियमों में संशोधन १९५३ . २२४०
खान नियम १९५५ . . . . . २२४०
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . २२४०-४१
राज्य-सभा से सन्देश . . . २२४१
कशाघात उत्सादन विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . २२४१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
मुर्शिदाबाद के निकट रेलवे दुर्घटना . . . . २२४१—४४
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २२४४—२३३०
खंड १४५ से १९६ . २२४४—९३
खंड १९७ से २०७ . . २२९३—२३३०

अंक २७—बुधवार, ३१ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना २३३१
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्राक्कलन २३३१
राज्य सभा से सन्देश . . . २३३२

लोक लेखा समिति—
तेरहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . २३३२
सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—
प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . २३३२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
बी० सी० जी० के टीके लगाने का आन्दोलन . . . २३३२—३९
समवाय विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में— २३३९—२४३२
खंडों पर विचार—असमाप्त
खंड १९७ से २०७ . . . . . २३३९—२४१०
खंड २०८ से २५० . . . . . २४११—३२
रेलों का पुनर्वर्गीकरण . . . . . २४३२—४४

अंक २८—गुरुवार, १ सितम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
मशीनी पेच उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का
प्रतिवेदन आदि . . . . २४४५—४६
राज्य-सभा से सन्देश २४४६
सभा का कार्य २४५२
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २४४६—५२,२४५२—२५२२
खंड २०८ से २५० . . . २४४६—५२, २४५२—८८
खंड २५१ से २८३ . . . २४८८—२५२२

अंक २९—शुक्रवार, २ सितम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र—
भारतीय श्रम सम्मेलन के चौदहवें सत्र की कार्यवाही का सारांश २५२३
राज्य सभा से सन्देश . . . . २५२३—२४
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि २५२४
समवाय विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त . . . . २५२४—८५
खंड २५१ से २८३ . . . . २५२४—८५
खाद्य पदार्थ मिश्रण दण्ड विधेयक—
वापिस लिया गया २५८५-८६
मोटर परिवहन श्रम विधेयक—पुरःस्थापित . . . २५८६
बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक—
वापिस लिया गया— २५८६—२६०४
विचार करने का प्रस्ताव . २५८६—२६०४

अति आयु विवाह रोक विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . . . २६०४—२६२४
अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक—
परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . २६२४—२६२९

अंक ३०—शनिवार, ३ सितम्बर, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश २६२९-३०
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा संशोधित रूप में पटल पर रखा गया . २६३०-३१
एक सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण . . २६३१
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २६३१—२७१६
खण्ड २८४ से ३२२ . . . . . २६३१—२७०९
खण्ड ३२३ से ३६७ . . . . . २७०९—१६
समेकित विषय-सूची (१६ अगस्त से ३ सितम्बर, १९५५)
अनुक्रमणिका . . . . . .

लोक-सभा

सोमवार, २२ अगस्त, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२-०१ म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : मैं श्री ए० सी० गुह की ओर से समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम १८७८ जैसा कि समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) अधिनियम, १९५३ द्वारा उसे रखा गया है कि, धारा ४३ ख की उपधारा (४) के अधीन वित्त मंत्रालय की सीमा-शुल्क अधिसूचनाओं संख्या ९४ और ९५ दिनांक, ४ जून १९५५ की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एस० २६१/५५**]

रक्षित तथा सहायक वायु सेना अधिनियम के नियमों के संशोधन

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : मैं रक्षित तथा सहायक वायु सेना अधिनियम

१९५२ की धारा ३४ की उपधारा (४) के अधीन रक्षित तथा सहायक वायु सेना नियम, १९५३ में कुछ एक संशोधन करने वाली रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २२४, दिनांक ११ जून १९५५ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एस० २६२/५५**]

बैंक पंचाट आयोग का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय : इसके पूर्व की मैं श्रम मंत्री से बैंक पंचाट आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखने के लिये कहूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि यह प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखे जाने से पूर्व ही प्रैस में कैसे प्रकाशित हो गया।

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : मैं ने भी इसे देखा है। मैं इसके बारे में जांच करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : जब भी कोई प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत किया जाना हो तो सरकार इस बात का ध्यान रखे कि उसके प्रस्तुत किये जाने से पूर्व वह प्रैस में प्रकाशित न हो।

श्री खंडूभाई देसाई : मैं बैंक पंचाट आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एस० २६३/५५**]

बैंक पंचाट आयोग की सिफारिशों के बारे में वक्तव्य

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : सभा के माननीय सदस्यों को समरण होगा कि गत वर्ष अगस्त मास में, सरकार ने बैंक समवायों और उनके श्रमिकों के मध्य होने वाले विवादों पर अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (बैंक-विवाद) बम्बई के पंचाट जो कि शास्त्री पंचाट के नाम से प्रसिद्ध हैं के विरुद्ध की गई अपीलों पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय को संशोधित करने वाला एक संविहित आदेश जारी किया था। प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री ने अपने भाषणों में यह समझाया था कि सरकार ने न्यायाधिकरण के पंचाट को संशोधित करने की आवश्यकता क्यों अनुभव की थी। ये संशोधन इसलिये किये गये थे कि सरकार को ऐसा प्रतीत हुआ था कि ग्राम्य क्षेत्रों में बैंकों के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है और हो सकता है कि कई बैंकिंग समवायों के लिये यह पंचाट अग्राह्य सिद्ध हो।

क्योंकि इस मामले पर अग्रेतर जांच करना इसलिये उचित समझा गया ताकि सरकार व्यक्तिगत बैंकों पर जिस पर यह लागू होगा संशोधित निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा इसका अनुमान लगा सके, सरकार ने सितम्बर, १९५४ में एक तथ्य निर्धारण जांच करने और इसे बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति श्री पी० बी० गजेन्द्र गदकर के उत्तराधिकारी स्वर्गीय न्यायाधिपति श्री जी० एस० राजाध्यक्ष को सौंपने का निर्णय किया था। आयोग के सम्मुख प्रमुख कार्य यह था कि वह स्वयं सत्य निर्धारित बातों के आधार पर और बैंकिंग समवायों अथवा इकाइयों के विभिन्न वर्गों की वेतन देने की क्षमता के अनुसार बैंक कर्मचारियों के लिये एक न्यायिकपरक व्यवहार को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इन बातों के बारे में सिफारिशें करें।

(क) क्या अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय को, संशोधित रूप में, जारी रहने दिया जाये;

(ख) क्या अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय को, पुनःस्थापित किया जाये, और यदि हां, तो क्या पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप में;

(ग) क्या अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय को किन्हीं अन्य आवश्यक संशोधनों सहित लागू किया जाये।

गजेन्द्र गदकर आयोग ने एक विस्तृत और व्यापक जांच की है और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसकी एक प्रति मैं ने अभी सभा-पटल पर रखी है।

पंचाट की आधारभूत शर्तों के सम्बन्ध में आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें इस प्रतिवेदन के अध्याय ११ में दी गई हैं। वे सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(१) कुछ एक संशोधनों के अधीन अपीलीय न्यायाधिकरण का निर्णय श्रेणी क के समस्त बैंकों, (भारतीय और विदेशी) श्रेणी ख के समस्त बैंकों (बैंक आफ बीकानेर तथा यूनाइटिड बैंक आफ इण्डिया के अतिरिक्त) और श्रेणी ग के कुछ एक बैंकों पर पुनः लागू किया जाना चाहिये। इस सिफारिश का १ अप्रैल, १९५४ से भूत-लक्षी प्रभाव होगा।

(२) सरकार के संशोधित निर्णय के अनुसार एक अतिरिक्त क्षेत्र (क्षेत्र ४) के निर्माण सम्बन्धी उपबन्ध तथा उसके साथ ही इस नये क्षेत्र के लिये निर्धारित वेतन-क्रम तथा मंहगाई भत्ते को स्थायी कर दिया जाए।

(३) सरकार के संशोधित निर्णय में भाग ख तथा ग में के अन्य राज्यों में (दिल्ली, अजमेर तथा कुर्ग के अतिरिक्त) ३०,००० अथवा इससे कम जन संख्या वाले जिन क्षेत्रों को पंचाट के लागू होने से पूर्व छूट दी गई थी उसे अब बदल दिया गया है और यह छूट अब केवल त्रावनकोर-कोचीन के ही ऐसे क्षेत्रों तक सीमित रखी जायेगी और वह भी केवल दो वर्षों की कालावधि के लिये ।

(४) अपीली न्यायाधिकरण के द्वारा कलर्कों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए निर्धारित महंगाई भत्ते के मापमान क्षेत्र १, २ और ३ के भाग क और भाग ख के सभी बैंकों को (यूनाईटेड बैंक आफ इण्डिया तथा बैंक आफ बीकानेर के अतिरिक्त) तथा भाग ग के कुछ एक बैंकों में पुनःस्थापित किए जाएं ।

क्षेत्र ४ में उक्त बैंकों की शाखाओं के सम्बन्ध में सरकार के संशोधित निर्णय के अनुसार दरें लागू रहेंगी ।

(५) श्रेणी ग और घ के बैंकों के सम्बन्ध में, उपरोक्त उप-कण्डिका (४) में उल्लिखित बैंकों के अतिरिक्त तथा अपने कर्मचारियों से करार करने वाले कुछ एक बैंकों, विस्थापित बैंकों और ट्रावनकोर-कोचीन में निगमित सभी बैंकों (त्रावनकोर बैंक के अतिरिक्त) पर सरकार द्वारा निर्धारित दरें जारी रहेंगी ।

(६) त्रावनकोर-कोचीन राज्य के बैंकों तथा विस्थापित बैंकों के अतिरिक्त भाग घ के सभी बैंकों में यह उपबन्ध कि वे १ अप्रैल, १९५९ से स्वयंमेव भाग ग में आ जाएंगे, हटा दिया जाए । मार्च १९५९ के अन्त में इन बैंकों की स्थिति की, यह निश्चय करने के लिए कि क्या उन्हें भाग ग में रख दिया जाये, फिर से जांच की जानी चाहिए ।

(७) त्रावनकोर-कोचीन राज्य में निगमित सभी बैंकों में (त्रावनकोर बैंक के अतिरिक्त) सरकार का संशोधित निर्णय, कुछ एक रूप भेदों के अधीन, लागू किया जाए ।

त्रावनकोर-कोचीन राज्य में बैंकिंग की विशेष समस्या को ध्यान में रखते हुए, उस राज्य में सम्पूर्ण बैंकिंग स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाए । यदि कोई आयोग नियुक्त न किया जाए तो मार्च १९५९ के अन्त तक भाग घ के अन्य बैंकों के साथ ही इस राज्य के भाग घ के बैंकों की स्थिति का पुनर्विलोकन किया जाए ।

(८) यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया जिसे सरकार के संशोधक आदेश के अन्तर्गत छूट दे दी गई थी, १ अगस्त १९५५ से कुछ एक शर्तों के अधीन भाग क ख ग के बैंक के रूप में शास्त्री पंचाट को लागू करे । इसकी वित्तीय स्थिति का एक न्यायाधिकरण द्वारा तीन से पूर्व वर्ष से पुनर्विलोकन किया जाए ।

(९) सात बैंकों के सम्बन्ध में बैंक प्रबन्धकों और कर्मचारियों में जो करार हुए हैं, उनका सरकार द्वारा अनुसमर्थन किया जाए और उन्हें लागू किया जाए ।

सरकार ने पंचाट की मूलभूत शर्तों पर आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेने का निर्णय किया है । इन सिफारिशों को लागू करने के अपेक्षित विधान शीघ्र ही पुरःस्थापित किया जायेगा ।

आयोग ने बैंक प्रणाली की परिव्यय रचना के सम्बन्ध में कुछ एक सिफारिशें

[श्री खंडूभाई देसाई]]

की हैं, जैसे कि ऋणों और अग्रिम धनों पर ली जाने वाली दरों को, अधिक किया जाए अग्रिम धनों के कुछ एक वर्गों पर न्यूनतम दरें लागू करने तथा निक्षेप दरों की उच्चतम सीमा लागू करने के लिए बैंकों द्वारा समेकित कार्यवाही की जाए, उच्च-कार्य धालिकों की उपलब्धियों पर नियन्त्रण किया जाए, इत्यादि। इन पर सरकार पृथक् रूप से विचार कर रही है और इन के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जायगी। प्रतिवेदन प्रकाशन के लिए भेजा जा रहा है। सरकार, न्यायाधिपति गजेन्द्र गदकर द्वारा इतना कष्ट उठाने और एक व्यापक और विस्तृत जांच करने के कारण उनके प्रति कृतज्ञ है। सरकार उनके द्वारा दोनों पक्षों को एक दूसरे के निकट लाने के सफल प्रयास की सराहना करती है और विश्वास करती है कि व्यवस्थापन और सहयोग की यह भावना भविष्य में भी बैंक उद्योग में नियोजकों और कर्मचारियों में निकट सम्बन्ध बनाए रखेगी। इसी में तो उनका भला है और देश की समृद्धि है।

प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : अब सभा प्रेस आयोग के प्रतिवेदन पर अग्रेतर चर्चा करेगी। माननीय मंत्री अपने भाषण में कितना समय लेंगे।

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : मैं कोई एक घंटे का समय लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : इस का अर्थ यह है कि चर्चा तीन घंटे और होगी और तब माननीय मंत्री अपना उत्तर देंगे। संशोधनों सहित मूल प्रस्ताव को कोई चार बजे मतदान के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

उसके पश्चात् सभा अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक १९५५ पर चर्चा प्रारम्भ करेगी। इसके लिए तीन घंटे का समय नियत किया गया है।

श्री कामत (होशंगाबाद) : अभी विगत शनिवार को मैं कह रहा था कि राजनैतिक नेता और समाचार पत्रों के मालिक परस्पर समझौता कर लेते हैं। इस प्रकार देश में प्रजातन्त्र का विकास नहीं हो सकता, अतः हमें इस बुराई को समाप्त करना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक कोई महान सम्पादक या समाचार पत्र हमारे बीच में नहीं हो सकता, और महान सम्पादक तथा बड़े समाचार पत्र की उतनी ही आवश्यकता है जितनी महान राष्ट्रपति या महान प्रधान मंत्री तथा विरोधी दल के महान नेता की आवश्यकता है। हो सकता है कि आज स्वतन्त्र सम्पादकों का युग न रहा हो और उनका स्थान प्रचार ने ले लिया हो, परन्तु हम प्रतिदिन देखते हैं कि सरकारें सम्पादकों और श्रमजीवी पत्रकारों को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करती रहती हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

समाचार पत्र भी वही समाचार देते हैं जो सरकार के हित में हों और उन समाचारों को रोकते हैं जिनमें सरकार की रुचि नहीं होती। लोकहित की बातों की परवाह न कर के पी० टी० आई० और आकाशवाणी सरकार की योजनाओं और सरकारी लोगों की बातों का प्रचार करते हैं। कितने खेद की बात है कि डा० श्यामा

प्रसाद मुकर्जी की दुःखद मृत्यु का समाचार केवल एक वाक्य में सुना दिया गया था, जब कि सरकारी लोगों के भाषणों और कार्यक्रमों के बारे में इतना अधिक प्रचार किया जाता है। मैं श्री तुलसी दास से प्रार्थना करूंगा कि वह बाद में बम्बई के भारत समाचार पत्र संघ की कथा सुनायेंगे।

पी० टी० आई० और यू० पी० आई० का रयूटर और एजेंस फ्रांस प्रैस के साथ अवांछनीय और हानिकारक गुट है। इस सम्बन्ध में सूचना तथा संचार मंत्रालयों की कार्यवाहियों बान्डुंग समझौते की भावना के विपरीत और पंचशील के चौथे तत्व के प्रतिकूल हैं।

गोआ सम्बन्धी समाचारों के सम्बन्ध में जो भ्रान्ति फैली हुई है उसका कारण विदेशी पत्रों पर हमारी निर्भरता है। जब हमारे प्रधान मंत्री हमेशा एशिया की प्रगति के बारे में चर्चा और घोषणा किया करते हैं तो हमें एशियाई देशों की समाचार एजेंसियों को क्यों प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। विदेशी समाचार एजेंसियों को विदेशी सरकारें सहायता देती हैं। हम भी एशियाई, जापान और चीन आदि देशों की समाचार एजेंसियों को नई दिल्ली से समाचार प्रसारित करने की सुविधायें प्रदान करनी चाहियें, ताकि विदेशों में हमारे देश के बारे में ठीक समाचार पहुंच सकें। दूसरे, हमें समाचार पत्रों के तारों की दरें घटा देनी चाहिये, अन्यथा पंचशील आदि के सम्बन्ध में हमारे आदर्श मात्र सिद्धान्त बन कर रह जायेंगे।

श्री मुकर्जी ने कुछ दिन हुये इस बात की निन्दा की थी कि यू० पी० आई० एक उद्योग पति श्री कारनानी के हाथों में खेलने लगा है। मेरा यह मत है कि यदि इस संस्था को धन की कठिनाई पेश आई है तो सरकार को इसकी सहायता करनी चाहिये। पी टी० आई० के लिये दीर्घकालीन ब्याज रहित ऋण की सिफारिश करके और यू० पी० आई० के लिये ऋण की सिफारिश न करके प्रेस आयोग ने भेदभाव का परिचय दिया है। मेरा सुझाव यह है कि यू० पी० आई० को इस एक उद्योगपति के पंजों से निकलने का शर्त पर ऋण दे देना चाहिये ताकि वह ठोस न्यास के आधार पर अपना प्रबन्ध चलाने में समर्थ हो सके।

हिन्दुस्तान समाचार एजेन्सी देश की सात भाषाओं में सहकारिता के आधार पर काम करने वाले श्रमजीवी पत्रकारों का अभिकरण है। आकाशवाणी के प्रादेशिक केन्द्रों में इस अभिकरण से समाचार लिये जा सकते हैं और इसकी सहायता की जा सकती है।

प्रेस परिषद्, जिस की प्रेस आयोग ने सिफारिश की है, को श्रमजीवी पत्रकारों के लिये ही नहीं अपितु विज्ञापन दाताओं के लिये भी नियम बनाने चाहियें। विज्ञापनों के लिये निर्धारित ४० प्रतिशत स्थान में मंत्रालयों की घोषणाओं विज्ञापनों, आदि के लिये १५ प्रतिशत से अधिक स्थान नहीं होना चाहिये और ५ प्रतिशत स्थान विरोधी पक्ष की घोषणाओं को भी मिलना चाहिये तभी प्रजातंत्र का विकास संभव है। हमारे पत्रों में मंत्रियों और सरकारी कार्यवाहियों एवं कार्यकलापों पर जितना जोर दिया जाता है उतना विदेशों में नहीं दिया जाता।

हमारे देश में पत्रकारिता का स्कूल भी होना चाहिये और प्रत्येक विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग होना चाहिये।

[श्री कामत]

न्यूनतम मजूरी के सम्बन्ध में सरकारों को राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी की नीति निर्धारित करनी चाहिये । किन्तु सरकार इस विषय पर अन्यमनस्कता से विचार करती है । पिछले दिनों इसी सम्बन्ध में जब मेरा प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ था, तो हम लोगों को विश्वास हो गया था कि संसद में कांग्रेस द्वारा आवड़ी के आदर्शों का दाह-संस्कार किया जा रहा है ।

प्रस्तुत प्रतिवेदन के अन्तर्गत जितना भी विधान बनाया गया है वह सब जम्मू तथा काश्मीर पर भी लागू होना चाहिये ।

प्रजातन्त्र और स्वतन्त्रता के लिये ऐसा वातावरण हो जिस में सत्य प्रकट हो सके और शासक तथा शासित के बीच निर्भय वाद-विवाद तथा चर्चा हो और प्रत्येक व्यक्ति को आलोचना करने का अधिकार प्राप्त हो ।

श्री गाडगील (पूना मध्य) : इस प्रतिवेदन की प्रायः सभी सिफारिशों को स्वीकार करने में सरकार ने जो इच्छा प्रकट की है उसके लिये मैं उसे बधाई देता हूं । इस आयोग के सदस्यों के प्रति भी मैं सद्भावना प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने अत्यन्त सुन्दर ढंग से और निष्पक्षता से निर्णय किया है ।

प्रजातन्त्र के अन्दर समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता अनिवार्य होती है । यद्यपि मैं अन्य उद्योगों में राष्ट्रीयकरण की नीति का समर्थक हूं, किन्तु मैं समाचार पत्रों के राष्ट्रीयकरण या राज्य नियंत्रण का विरोध करता हूं ।

समाजवादी राज्य के लिये प्रेस की स्वतन्त्रता और संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत रहते हुये आलोचना की स्वतन्त्रता आवश्यक है । पृष्ठों के अनुसार मूल्य निर्धारण नीति की समाप्ति के पश्चात् २७ समाचार पत्र बन्द हो गये हैं । जनता को शिक्षित करने और शत्रुओं का मकाबला करने के लिये समाचार-पत्र एक बड़ा उपयोगी उपकरण है । किसी कवि ने कहा भी है :

"खींचों न कमान को
न तलवार निकालो,
तोप हो मुकाबिल तो
अखबार निकालो ।"

किन्तु यदि देखा जाये कि देश में कितने समाचार पत्र हैं और वे कितने लोगों के पास पहुंचते हैं तो कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिलता ।

पृष्ठों के अनुसार मूल्य अनुसूची केवल अखबारी कागज की कमी के कारण लागू नहीं थी, अपितु इसका एक कारण यह भी था कि अखबारी क़ाग़ज़ ठीक मूल्य पर नहीं मिलता था । समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन के प्रधान ने अखबारी क़ाग़ज़ का भाव कम करने के लिये लिखा किन्तु वह सफल नहीं हुआ । जब निर्वाचन प्रचार के लिये अधिक पृष्ठ छापने को कहा गया, तो उसने इसका विरोध किया । जब मूल्य अकस्मात नीचे गिर गये तभी पृष्ठों के अनुसार मूल्य अनुसूची हटाने के लिये सरकार को कहा गया था । किन्तु छोटे समाचार पत्रों ने अपने प्रधान, श्री भट्ट के द्वारा इसका विरोध किया और सरकार ने यह उत्तर दिया कि "हम छोटे लोगों की सहायता करने के लिये नहीं हैं, क्योंकि इससे सरकार पर यह आरोप लग जायेगा कि वह ग़ैर-सरकारी उपक्रम में हस्तक्षेप करती है ।" इसके तुरन्त बाद पृष्ठों के अनुसार मूल्य निर्धारण नीति समाप्त कर दी गई । यह कहना ग़लत है कि पृष्ठों

के अनुसार मूल्य अनुसूची के कारण समाचार-पत्रों को हानि हुई । वास्तव में किसी भी समाचार पत्र की बिक्री कम नहीं हुई, न तो उन्हें अधिक हानि हुई । हिन्दुस्तान टाइम्ज़ को जो हानि हुई थी वह इस कारण से हुई थी कि टाइम्ज़ आफ़ इंडिया भी दिल्ली से प्रकाशित होने लग गया था । पृष्ठों के अनुसार मूल्य-निर्धारण प्रणाली के कारण किसी भी समाचार पत्र के प्रसारण में हानि नहीं हुई । यदि हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय संस्थाओं का आधार यथासम्भव व्यापक हो और समाचार पत्र अधिकाधिक लोगों के पास पहुंचे, तो हमें पृष्ठों के अनुसार मूल्य-निर्धारण नीति को अपनाना होगा । अन्य देशों में भी यह प्रणाली प्रचलित है । इंगलिस्तान में भी सब लोगों का यही मत है और वे चाहते हैं कि प्रकाशित होने वाले पृष्ठों के बारे में कोई विनियमन अवश्य होना चाहिये । जब तक हम देश में प्रचार के साधनों को बढ़ा कर अपनी विचारधारा के प्रति लोगों का विश्वास पैदा नहीं करते, तब तक हम लोगों का सहयोग प्राप्त नहीं कर सकते । ऐसे वातावरण में आर्थिक प्रगति असम्भव है ।

१९ प्रतिशत शिक्षित जनता में १६ प्रतिशत लोग हिन्दी तथा देशी भाषायें जानते हैं । इसलिये हमें उनको अधिकाधिक समाचार पत्रों का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से पृष्ठों के अनुसार मूल्य-निर्धारण सिधान्त को अपना लेना चाहिये । ४ पृष्ठों के लिये १ आना और ८ पृष्ठों के लिये २ आना मूल्य होना चाहिये ।

पृष्ठों के अनुसार मूल्य अनुसूची की समाप्ति के कारण सूरत, बम्बई, पूना आदि में समाचार पत्रों को बड़ी हानि पहुंची है । १० पृष्ठ का समाचार एक आना में बिकता था और ६ समाचार पत्रों की रद्दी ५ आने में बिक जाती थी । इस प्रकार एक आना के अन्दर सप्ताह भर समाचार पत्र पढ़ा जा सकता था । इस प्रकार की बात लाभप्रद नहीं हो सकती ।

पृष्ठों के अनुसार मूल्य-निर्धारण नीति को प्रजातन्त्र विरोधी और समाचार पत्रों के विकास में रुकावट डालने वाली नीति कहा जाता है । परन्तु इसमें कोई सार नहीं है । श्री सदानन्द जैसे बड़े पत्रकार ने कहा है कि इस नीति के कारण भाषाओं के समाचार-पत्रों की वृद्धि ही होती है, और उस से प्रजा-तंत्रात्मक पद्धति को भी बल मिलता है । इसे प्रजातन्त्र विरोधी कहना सर्वथा अनुचित है । बात यह है कि लोगों ने लोक सेवा की भावना को छोड़ कर स्वार्थ-सिद्धि और धनो-पार्जन को अपना लक्ष्य बना लिया है इसीलिये पत्रकारिता अब एक व्यवसाय बन गया है ।

वर्तमान परिस्थितियों में ८ और १२ पृष्ठों के अंग्रेज़ी समाचार पत्रों के लिये क्रमशः २ आने और २½ आने मूल्य रखा जाना चाहिये और विज्ञापन-परिशिष्टों को नहीं प्रकाशित किया जाना चाहिये । विज्ञापनों के कारण देशी भाषाओं के समाचार पत्रों को हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि उनको विज्ञापन बहुत कम मिलते हैं । मैं सदा के लिये इस नीति का समर्थन नहीं करता, परन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि कम-से-कम ५ वर्ष तक पृष्ठों के अनुसार मूल्य-निर्धारण प्रणाली अवश्य चलनी चाहिये ताकि समाचार पत्रों का स्तर ऊंचा उठ सके । सरकारी विज्ञापनों की नीति में भी उचित संशोधन होना चाहिये ।

इस नीति से न तो प्रजातन्त्र को हानि है और न यह समाचार पत्रों के विकास में बाधक है । समाचार पत्र किसी भी व्यक्ति को बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं । लायड जार्ज की अवनति का कारण भी उसके विरुद्ध समाचार पत्रों का गुट था । हमें इतने बड़े शक्तिशाली शस्त्र को केवल कुछ एक लोगों के ही हाथों में नहीं रहने

[श्री गाडगील]

देना चाहिये । राष्ट्रीय दृष्टिकोण से समाचार पत्रों की अर्थव्यवस्था पर हमें कुछ नियंत्रण करना होगा ।

वर्ग पहेलियां भी कोई लाभदायक नहीं होतीं और वे समाचार पत्रों के मालिकों के धनोपार्जन और स्वार्थ-सिद्धि का साधन बनती हैं । इस से छोटे समाचार पत्रों को बहुत हानि होती है, अतः वर्गपहेलियों पर कुछ नियंत्रण अवश्य लगाना चाहिये ।

अन्त में मैं समाचार एजेन्सियों के विषय में कुछ कहना चाहता हूं । स्वयं प्रतिवेदन में दिये गये कुछ वक्तव्यों के सम्बन्ध में एक विवाद सा उठ खड़ा हुआ है । मुझे इसकी चिन्ता नहीं है, मेरी चिन्ता का विषय तो यह है कि समाचार अभिकरण का स्वरूप क्या होना चाहिये । इस सम्बन्ध में स्वयं प्रतिवेदन में ही कहा गया है कि प्रैस ट्रस्ट आफ़ इण्डिया का काम संभाल लेने के लिये कोई सार्वजनिक निगम होना चाहिये और यह निगम वर्तमान आधार पर ही बनाया जाय चाहे इसके कार्यकरण और नियंत्रण प्रणाली में कितने परिवर्तन ही क्यों न करने पड़ें । पी० टी० आई० जैसी संस्था के हाथों में समाचार सेवा का भार छोड़ देना वांछनीय नहीं है । राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न यह है कि क्या स्वयं समाचार पत्र इस सेवा को चलायें या कोई सार्वजनकि निगम, जो राज्य के नियंत्रण में न हो, इस कार्य को करे । मेरा निश्चित मत है यह निगम राज्य के नियंत्रण में ही होना चाहिये । परन्तु इसका संचालन इस प्रकार न किया जाये जिस से कि बड़े समाचारपत्रों को तो लाभ हो और छोटे समाचारपत्रों को हानि उठानी पड़े । इसके लिये आयोग द्वारा दिये गये सुझाव को स्वीकार किया जाना चाहिये । राष्ट्रीय हित में ऐसी संस्था का बनाया जाना नितान्त रूप से आवश्यक है ।

अतः मेरा निवेदन है कि जहां तक प्रादेशिक भाषाओं के समाचार पत्रों का सम्बन्ध है पृष्ठ मूल्य-अनुसूची को लागू किया जाये । सभा ने पत्रकारों के वेतनों में वृद्धि किये जाने और पृष्ठ मूल्य अनुसूची के लागू किये जाने के सुझावों का पूर्णरूपेण समर्थन किया है ।

जहां तक वेतनों का सम्बन्ध है वह पत्रकारों द्वारा किये जा रहे सामाजिक कृत्यों के अनुरूप होने चाहियें । न्यूनतम वेतनक्रम निश्चित करने से पूर्व उन की सामान्य क्षमता, मानसिक सज्जा तथा इस व्यवसाय में निहित ज़ोखिम को ध्यान में रखा जाना चाहिये । मैं यह नहीं कहता कि समस्त देश के लिये एक ही वेतन-क्रम हो, वह स्थान विशेष के अनुसार निश्चित किया जा सकता है । न्यूनतम वेतन नियत किया जाये और संस्था को लाभ होने की दशा में उसे बढ़ा दिया जाये । साथ ही पत्रकारों को प्रशिक्षण देने की कोई योजना भी बनायी जानी चाहिये । उनको उस कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिये । हमें अपने नवयुवकों को इन अर्हताओं को प्राप्त करने के लिये समुचित अवसर देने चाहियें ।

श्री वेंकटरामन् (तंजोर) : मैं अपने भाषण को श्रमजीवी पत्रकारों की सेवा योजना सम्बन्धी शर्तों से सम्बन्धित प्रेस आयोग की सिफ़ारिशों तक ही सीमित रखूंगा ।

यह तो सर्वविदित है कि पत्रकारिता जैसे महत्वपूर्ण उद्योग में सेवा नियोजन सम्बन्धी शर्तों का अभी तक विनियमन नहीं किया गया है । श्री रघुरामैया ने इस सम्बन्ध में जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह इस सभा की अभिमति को व्यक्त करता है । रिपोर्ट में की गई कतिपय सिफ़ारिशों के सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है परन्तु इस

सभा की यह इच्छा है कि प्रेस आयोग की मुख्य सिफारिशें अविलम्ब लागू की जायें ।

जहां तक श्रमजीवी पत्रकारों की सेवा सम्बन्धी शर्तों का सम्बन्ध है किसी को अब यह तर्क प्रस्तुत नहीं करना चाहिये कि इस के लिये किसी विधान की आवश्यकता नहीं है । मैं माननीय मंत्री से श्रमजीवी पत्रकारों की सेवा सम्बन्धी शर्तों का विनियमन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की प्रार्थना करूंगा । इस सम्बन्ध में मेरा विचार एक गैर-सरकारी विधेयक की सूचना देने का है । उक्त विधेयक में कई बातों का विनियमन किया जाना चाहिये । सर्वप्रथम वेतनों तथा वेतन-क्रमों के निश्चित किये जाने का उपबन्ध होना चाहिये । उस में काम के घंटों, विश्राम की अवधि, सवेतन छुट्टी तथा अवकाश का उपबन्ध भी होना चाहिये ।

यह आलोचना भी की जाती है कि केवल श्रमजीवी पत्रकारों के सम्बन्ध में ही विधेयक क्यों प्रस्तुत किया गया है, बीड़ी बनाने वालों तथा अन्य प्रकार के कर्मचारियों के लिये भी ऐसे विधेयक क्यों प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । इस का उत्तर केवल यही है कि प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों को सुरक्षण देने के लिये पृथक् पृथक् विधान हैं । बागान श्रम अधिनियम बागान कर्मचारियों के लिए है । फैक्टरी अधिनियम कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिये है । इसी प्रकार के अन्य विधान भी हैं । अतः श्रमजीवी पत्रकारों की सेवा सम्बन्धी शर्तों को विनियमित करने के लिये किसी अखिल भारतीय अधिनियम की नितान्त आवश्यकता है । वैसे तो वह औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत अपने वेतन-क्रम निर्धारित करा सकते हैं परन्तु वह एक लम्बी प्रक्रिया है और पत्रकारों को इतने झंझट में डाल देना वांछनीय नहीं है ।

जब कभी कोई आयोग या समिति किसी वेतन-क्रम की सिफारिश करती है तो वह एक औद्योगिक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करती है । अतः मेरा निवेदन है कि प्रेस आयोग द्वारा सिफ़ारिश किये हुये वेतन-क्रमों को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये । इस विषय को किसी प्रादेशिक बोर्ड या समिति को निर्दिष्ट करना एक प्रकार से आयोग के कार्यकरण की निन्दा करना है ।

मैं श्री गाडगिल के इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न वेतन-क्रमों की सिफ़ारिश की जाये । समस्त भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा का वेतन-क्रम एक समान ही है, अन्तर केवल स्थानीय भत्तों में ही है । रेलवे विभाग में भी यही हालत है । स्वयं आयोग ने यह सिफारिश की है कि जहां तक भत्तों का सम्बन्ध है स्थानीय परिवर्तन किये जा सकते हैं । वेतन-क्रमों के विषय को प्रादेशिक बोर्ड को निर्दिष्ट करने का विचार मात्र ही निन्दनीय है ।

इस विधेयक में जिस दूसरे विषय पर प्रकाश डाला गया है वह लाभांश (बोनस) के सम्बन्ध में है ।

"टाइम्स आफ़ इंडिया" के कर्मचारियों ने अपना औद्योगिक झगड़ा औद्योगिक न्यायाधिकरण को भेजा तथा इस न्यायाधिकरण ने लाभांश निश्चित करने के लिये वस्त्र उद्योग तथा दूसरे उद्योगों वाला सिद्धान्त ही लागू कर दिया । यह फ़ैसला बहुत अनुचित था । अखिल भारतीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने एक यह सूत्र बना रखा है जिसके अनुसार सभी फालतू धन लाभांश घोषित कर दिया जाता है । परन्तु यह प्रेस पर लागू नहीं हो सकता है । क्योंकि प्रेस के काम में बुद्धि का भी इतना ही महत्व है जितना कि मशीनों का । इसीलिये श्री राज्याध्यक्ष ने प्रेस के लाभांश के लिये एक विभिन्न सिद्धान्त बनाया ।

[श्री वेंकटरामन]

आयोग ने यह निर्धारित किया कि विनियोजित पूंजी पर अधिक से अधिक चार प्रतिशत लाभ दिया जाना चाहिये । शेष लाभ का लाभांश के रूप में वितरण होना चाहिये । इस लिये मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार जो विधेयक इस सम्बन्ध में प्रस्तुत करना चाहती है उसमें बोनस के निर्धारण सम्बन्धी इस प्रकार का उपबन्ध अवश्य होना चाहिये जो आयोग के सुझाव के अनुसार हो ।

अब मैं काम के घंटों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । मुझे ज्ञात है कि मद्रास के समाचारपत्रों में रात्रि के काम के घंटे, दिन के काम के घंटों से अधिक हैं । इसलिये मेरे विचार से यह अत्यावश्यक है कि इस विधेयक में काम के घंटों का नियमन किया जाय । काम के घंटों का ठीक प्रकार से विभिन्न व्यक्तियों पर बंटवारा होना चाहिये । इसके पश्चात् आयोग की सिफारिशों के अनुसार सवेतन छुट्टी, भविष्य निधि तथा उपदान की भी व्यवस्था होनी चाहिये ।

अब मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं जो प्रेस आयोग के प्रतिवेदन में नहीं हैं । सबसे प्रथम बात यह है कि कुछ समय पश्चात् प्रस्तुत होने वाले विधेयक में मजूरी भुगतान अधिनियम के उपबन्धों को भी रखना चाहिये । उदाहरण से मजूरी भुगतान अधिनियम में यह उपबन्ध किया गया है कि कर्मचारियों को उनकी संख्यानुसार प्रत्येक मास की सातवीं तिथि को अथवा दसवीं तिथि को वेतन मिल जाना चाहिये । मुझे ज्ञात है कि मद्रास के कुछ समाचार पत्रों में वेतन मास में चार बार भी वितरित किया जाता है और वह भी मालिक की मर्ज़ी पर निर्भर करता है। यदि मजूरी भुगतान अधिनियम को उन पर लागू किया जाये तो उन्हें अपना वेतन तो निश्चित तिथि पर मिल सकेगा । इसके अतिरिक्त मालिक, कर्मचारियों के घटिया प्रकार के काम पर जुर्माना कर देते हैं । इस विधेयक में इस प्रकार का भी उपबन्ध होना चाहिये जिससे कर्मचारियों को कुछ समय तक क्षमा करने की भी व्यवस्था हो जिससे यह विधेयक पूर्ण संहिता हो जाये ।

आयोग की यह भी सिफारिश है कि इस विधेयक में श्रमजीवी पत्रकारों की नियुक्ति की शर्तों का भी विनियमन होना चाहिये । १९५० में इस प्रकार का मज़दूर सम्बन्ध विधेयक प्रस्तुत किया गया था परन्तु उसका अभी तक कोई पता नहीं क्या हुआ है । हमने औद्योगिक विवाद अधिनियम पर भी कुछ संशोधन प्रस्तुत किये थे परन्तु उनका प्रकाशन भी नहीं किया गया । इसलिये इस प्रस्तावित विधेयक में, कर्मचारियों की श्रेणियों, अनुशासनिक कार्यवाही आदि के आदेश भी होने चाहियें ।

यह शिक़ायत है कि आयोग ने न्यूनतम मजूरी बहुत अधिक रखी है । परन्तु यदि हम १९३९ से आज तक के आंकड़े देखें तो हमें ज्ञात होता है कि इस उद्योग ने प्रगति की है । मेरे विचार से हमें मजूरी अधिक देनी चाहिये जिससे कर्मचारी मन लगा कर उत्तम कार्य करें । इस विधेयक में इसी कारणवश सेवा की शर्तों, छुट्टी, उपदान, निवृत्ति वेतन, लाभांश आदि से सम्बन्धित सभी प्रकार के उपबन्ध होने चाहियें ।

अन्य देशों में समाचार पत्र उद्योग के विधान को विशेष श्रेणी में रखा है । यूनैस्को ने अपने प्रेस, फ़िल्म तथा रेडियो के प्रतिवेदन के पृष्ठ ४०३ में लिखा है कि पत्रकारों को सामान्य कर्मचारियों से विशेष सुविधायें दी जानी चाहिये । इसकी व्यवस्था विधि द्वारा करनी चाहिये जैसी सुविधायें ब्राज़ील तथा कुछ अमरीकी देशों ने इनको दी है ।

मैं यह भी चाहता हूं कि श्रमजीवी पत्रकारों के साथ साथ हमें सम्पादकों को भी

संरक्षण देना चाहिये । आयोग ने यह सिफारिश की है कि सम्पादक की नियुक्ति ठेके पर होनी चाहिये तथा यदि किसी कारणवश उसका ठेका समाप्त होने से पहले सम्पादक को निकालना हो तो उसको क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ धन राशि मिलनी चाहिये । इंगलैंड, फ्रांस आदि देशों में इसी प्रकार की व्यवस्था है । प्रस्तावित विधेयक में सम्पादकों को भी संरक्षण होना चाहिये ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : मैं यह कहना चाहती हूं सभा के सभी पक्षों को बोलने का अवसर मिलना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी को समय देना चाहता हूं । ज्यों ज्यों चर्चा के समाप्त होने का समय निकट आता जाता है मुझे अधिक परचियां प्राप्त हो रही हैं । परन्तु मेरा व्यवहार किसी विशेष व्यक्ति के बारे में पक्षपात पूर्ण नहीं है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मेरे विचार से जो भी पीठासीन हो उसकी सुविधा के लिये यह उपयुक्त होगा कि सभी चर्चा में भाग लेने वाले सदस्य परचियां भेज दें जिससे समय का बटवारा किया जा सके ।

श्री एम० डी० जोशी (रत्नागिरि दक्षिण) : मैं शनिवार से प्रयत्न कर रहा हूं तथा फिर भी मुझे आज भी यह आशा नहीं है कि मुझे समय अवश्य मिलेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल सिंह ।

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : अधिकांश सदस्य इस आधार पर अपने विचारों को प्रदर्शित करने का दावा करते हैं क्योंकि वे सम्पादक हैं परन्तु मैं भी एक सम्पादक रहा हूं तथा एक पत्रकार अब भी हूं । मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के इस विचार से एकदम सहमत हूं कि सरकारी विचारों की जानकारी के पश्चात् विरोधी पक्ष को समय अधिक मिलना चाहिये ।

प्रेस के सेठों का कहना है कि उनका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है । परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि उन्होंने शुरू से ही प्रेस आयोग विरोध प्रारम्भ कर दिया था । उनमें से एक सज्जन तो इतने विरोधी थे कि वह जांच अधिनियम के अधीन बुलाये जाने पर ही आये ।

यदि हमारी सरकार एक उत्तरदायी सरकार है, यदि वह जनतंत्र का प्रतिनिधित्व करती है तो उसे प्रेस को सुदृढ़ बनाना चाहिये और इस आयोग की सिफ़ारिशों की शीघ्रातिशीघ्र लागू कर देना चाहिये क्योंकि यह सिफ़ारिशें सभी प्रकार से पूर्ण हैं ।

मेरे मित्र श्री गाडगिल का मत है कि हमें प्रेस को स्वतन्त्रता देनी चाहिये । प्रेस की स्वतन्त्रता प्रत्येक दशा में बनी रहनी चाहिये । मैं चाहता हूं कि सरकार की ओर से विमति टिप्पण का उत्तर मिलना चाहिये । विमति टिप्पण पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं । मैं इस की इस समय आलोचना करना नहीं चाहता हूं ।

मैं उन विदेशियों का बड़ा ही आभारी हूं जिन्होंने आयोग के समक्ष प्रस्तुत हो कर अपने वक्तव्य दिये, उन्होंने हमें पूर्णतया सहायता दी । परन्तु हमारे देशवासियों ने हमारी सहायता न करके हमारा विरोध ही किया । तथा ज़िला बनारस पूर्व के मेरे साथी श्री टी० एन० सिंह का यही मत है कि जो साक्ष्य हमारे समक्ष दिये गये हैं उनका प्रकाशन किया जाये जिससे जनता जान सके कि यह प्रेस के सेठ कितने देशभक्त हैं । हमारी सरकार जितना शीघ्र प्रेस उद्योग कर्मचारियों की सहायता का प्रयत्न करेगी उतना ही शीघ्र उसके लिये अच्छा होगा, क्योंकि प्रेस उद्योग में कर्मचारियों से निर्दयता से काम लिया जाता है । यह मैं फिर कहूंगा

[श्री जयपाल सिंह]

कि यदि साक्ष्य का प्रकाशन किया गया तो सभी का यह मत हो जायगा कि प्रेस आयोग की सिफारिशों को शीघ्रातिशीघ्र लागू करना चाहिये ।

मैं, श्री वेंकटरामन् से सहमत हूं तथा न्यूनतम मजूरी के आंकड़ों के सम्बन्ध में जो सिफारिश की गई है उससे सहमत हूं । मेरा आयोग में यह सुझाव था कि न्यूनतम मजूरी इससे भी अधिक रखी जाये परन्तु सभापति न्यायाधीश राज्याध्यक्ष ने मेरा सुझाव नहीं माना ।

हमारे देश के ये प्रेस के सेठ केवल महाजन होते हैं तथा उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि किस प्रकार धन की वृद्धि की जाये । इस कार्य में भी विदेशी अलग हैं ।

हमें केवल बड़े समाचार पत्रों पर ही ध्यान नहीं रखना है । हमें यह देखना है कि देहाती प्रदेशों में भी समाचार पत्रों का वितरण होने लगे जिससे उन लोगों का प्रशिक्षण बढ़े । ग्रामीण लोगों में शिक्षा के प्रचार से हमारा अधिक सम्बन्ध है । कितने ही इस प्रकार के ज़िले हैं जहां कोई भी समाचार पत्र नहीं है । हमें इस स्थिति को बदलना है । तथा यह तभी सम्भव है जब देशीय भाषाओं के समाचार पत्रों की उन्नति होगी । तथा जब देहातों में वृद्धि हो जायेगी तभी जन साधारण का सहयोग प्रशासन को प्राप्त हो सकेगा ।

यह तर्क दिया गया है कि अधिनियमों से कोई व्यक्ति भला नहीं बन जाता । परन्तु मेरा मत है कि कम से कम अधिनियमों के द्वारा हम प्रेस में अवश्य सुधार कर सकते हैं । हमें भूतकाल पर ध्यान नहीं देना है अब केवल हमें वर्तमान समस्या को सुलझाना है परन्तु किस प्रकार । प्रेस आयोग के प्रतिवेदन में इसी प्रकार की बातें हैं अब केवल सरकार की कार्यवाही शेष है तथा शीघ्र सिफारिशों को लागू करना चाहिये ।

कुछ दिन हुये मेरे एक मंत्री मित्र प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे । मैं ने भी प्रेस परिषद् के सम्बन्ध में एक प्रश्न किया कि वह यह बतायेंगे कि प्राथमिकता किन कार्यों को दी जा रही है क्योंकि प्रेस आयोग ने कई प्राथमिकताओं का उल्लेख किया है । यह बड़ी ही गम्भीर समस्या है तथा सरकार को उत्तर देने के समय इस पर भी प्रकाश अवश्य डालना चाहिये ।

अब हमें अपने विचारों में परिवर्तन लाना चाहिये । हम जानते हैं कि बहुत से समाचार पत्रों के मालिक हमारे समक्ष आयें ।

श्री जोकिम आलवा (कनारा) : साक्ष्य को सरकार ने प्रकाशित नहीं कराया अथवा आयोग ने ?

श्री जयपाल सिंह : मेरे मित्र पत्रकार हैं तथा यह जानते है कि कुछ साक्ष्य इस प्रकार के होते हैं जिनका प्रकाशन नहीं होना चाहिये । यह साक्ष्य इसी प्रकार का है । यह अब मंत्री महोदय पर है कि इसका प्रकाशन करायें या न करायें । परन्तु मेरा मत है कि उन्हें इसका प्रकाशन रोकना नहीं चाहिये । लोगों को स्वयं यह देखने दीजिये कि आयोग ने जो निश्चय किये हैं क्या वे न्यायसंगत हैं या नहीं । हमें सचाई देखनी चाहिये क्योंकि अपने निष्कर्षों में हम यह बातें नहीं बता सकें हैं कि हमने विशिष्ट निश्चय क्यों किये हैं । उदाहराणार्थ पी० टी० आई० और यू० पी० आई० का प्रश्न है । आयोग ने सिफारिश की है कि यू० पी० आई० को सहायता अवश्य दी जाय । क्या हमें इस सहायता के दिये जाने के पूर्व यहां चर्चा होने की प्रतीक्षा करनी होगी ? क्या आप यू० पी० आई० को यह दोष दे सकते हैं कि उसे किसी के पास जाना पड़ा, चाहे वह व्यक्ति कितना ही अनाभीष्ट था ?

उपाध्क्षय महोदय : इसकी यह स्थिति क्यों हुई ?

श्री जयपाल सिंह : क्योंकि सरकार अपने कर्तव्य को जो स्पष्ट है, नहीं निभाती। हम यह बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह चुके हैं कि समाचार अभिकरण सरकारी स्वामित्व में होने चाहिय। आर्थिक सहायता देते साथ कोई शर्त नहीं होनी चाहिये, और हमने पी० टी० आई० तथा यू० पी० आई० दोनों के उदाहरण दिये हैं। 'हिन्दुस्तान समाचार' की स्थिति के बारे में कहा गया है कि सरकार को इस अभिकरण के बचाने के लिये स्वतः कार्यवाही करनी चाहिये थी। मेरा ख्याल है कि सरकार अपने गौरव पर अड़ी हुई है और सोचती है कि हम स्वयं क्यों कुछ करें ? वे हमारे पास आयें। यदि एक समाचार अभिकरण डगमगा रहा है और समाप्त होने को है, क्या यह सरकार का प्रत्यक्ष और स्वेच्छात्मक कर्तव्य नहीं है कि जाकर उसे बचाये ?

आयोग का विचार है कि उद्योग स्पर्धात्मक हो और ऐसे किसी समाचार-पत्र को, जो अपने पैरों पर खड़ा न हो सके, सहारा देकर खड़ा करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। निश्चय ही आपने यह सुझाव दिया है कि सरकार को कोई ऐसा उपाय खोजना चाहिये जिससे अखबारी काग़ज़ तुरन्त मिले और चोर बाज़ार के दरों पर न मिले। मेरे मित्र इससे भली भांति अवगत हैं कि आजकल अख़बारी काग़ज़ साधारणतया विदेशों से आता है। अतः हम नहीं चाहते कि छोटे छोटे समाचार पत्र बड़े बड़े समाचारपत्रों के एकाधिकार के शिकार हों।

पूना के मेरे मित्र ने सुझाव दिया था कि वास्तव में वह प्रेस का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। प्रेस समाचार देने का साधन है और इसी प्रकार आकाशवाणी (भारतीय रेडियो) है। आकाशवाणी सरकार के हाथ में क्यों रहे ? समूचे प्रतिवेदन के तर्क के आधार पर मेरा कहना यह है कि आकाशवाणी विभाग एक निगम द्वारा चलाया जाये ताकि इसकी सेवायें केवल सरकारी स्थानों पर आसीन होने वालों को नहीं अपितु प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो सकें। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि मैं आकाशवाणी के विरुद्ध कुछ कह रहा हूं। परन्तु जो कार्य यह विभाग कर रहा है वह लोकतन्त्रात्मक नहीं है। यह एक सरकारी व्यवस्था बन गई है और विरोधी पक्ष को इसकी सेवायें तुरन्त प्राप्त नहीं होती हैं। लोकतन्त्र क्या है, इस सम्बन्ध में मैं अपनी धारणा यहां कांग्रेस जनों को बताना चाहता हूं। लोकतन्त्र वह है जहां एक भी अल्प संख्या की सुनवाई होती है।

अंत में मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वह प्रेस आयोग के प्रतिवेदन की कठिनाइयों को समझे—उद्योगों का विरोध इसकी आवश्यकताओं का अपूर्ण रहना और समय। हम कलकत्ता जैसे बड़े नगरों में रहते है और एक मालिक से पूछते है कि आप अपनी बिक्री के आंकड़ों को क्यों बढ़ाते हैं? असम्यता पूर्ण, लज्जाहीन ढंग से वह कहता है, यदि अन्य व्यक्ति बढ़ा सकता है तो मैं क्यों न बढ़ाऊं ? इसका उलेल्ख मैं केवल इस कारण कर रहा हूं कि हमारे देश में कुछ विशेष प्रकार के व्यक्ति हैं और हमें उनसे काम लेना है। अतः सारा प्रश्न पूंजी के अपव्यय या प्रसारण का उत्पन्न होता है। यथा सम्भव हमें विधान बनाना चाहिये ताकि भारी दुरुपयोग और शोषण को रोका जा सके। इन बातों को तुरन्त रोका जाना चाहिये ताकि समूचे रूप में प्रेस आयोग का भविष्य उज्जवल हो सके।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व): दक्षिण भारत के एक बड़े समाचार पत्र ने इसे यह बताया है कि यह वह जांच है जिसका

[श्री साधन गुप्त]

गम्भीर परिणाम हो सकता है । क्या इसमें कोई सन्देह है कि ऐसा प्रेस लोकतन्त्रता के ढंग से कार्य करने में कदाचित ही सफल हो ; लोकतन्त्र के ढंग से कार्य करने के लिये हमें स्वतन्त्र प्रेस और ठीक समाचारों के देने की आवश्यकता है । परन्तु बिक्री के आंकड़ों से प्रकट होता है कि ऐसे प्रेस से औचित्य की आशा नहीं की जा सकती । प्रेस आयोग के प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख नहीं है कि कुछ समाचार पत्र, जिनकी बिक्री बहुत अधिक होती है, एक राजनैतिक पक्षपात से पूर्ण है और यह पक्षपात अधिकांशत: सरकारी दल के पक्ष में है । जनता को केवल कांग्रेस की दृष्टिकोण से समाचार दिये जाते है और यह अच्छी स्थिति नहीं है । यह हमारा प्रेस है और इसमें आश्चर्य नहीं कि उसमें प्रयासों और शोषणों तथा शोषित वर्ग की जांच आदि के बारे में समाचार प्रकाशित हों । परन्तु ऐसा कभी नहीं होता । प्रेस केवल मालिकों सम्बन्धी समाचार छापते है, और सरकार भी औचित्य तथा स्वतन्त्रता नष्ट करने में सहयोग देती है । प्रेस आयोग ने पता लगाया है कि सरकार का सूचना मंत्रालय प्राय: मत्रियों की कार्यवाहियों के ही समाचार देता है । इसने विज्ञापन सम्बन्धी नीति का भी उल्लेख किया है कि लोकतन्त्रात्मक धारणा का प्रचार करने वाली पत्रिका को, जिसे साम्यवादी कहा गया है, सरकारी विज्ञापन नहीं दिये जायेंगे । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पत्रिका की राजनैतिक धारणा से विज्ञापन नीति प्रभावित नहीं होनी चाहिये ।

यदि हम स्वतन्त्र प्रेस चाहते हैं, तो हम पक्षपात से रहित पत्रकारों की आवश्यकता होगी । हम उनसे उच्च स्तर की आशा करते हैं और इसके लिये वे भली भांति शिक्षित हों और उन्हें संसार की बातों का अध्ययन बोध हो । परन्तु यह जब हो सकता है जब कि उनकी परिस्थितियां अच्छी हों । जनेवा में आई० एल० ओ० (अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था) की कांफ्रेंस ने मत प्रकट किया था कि अध्यापकों और पत्रकारों की परिस्थितियां, विशेषकर एशिया में, दयनीय हैं । स्वयं हमारे ही देश में इसके अनेकों उदाहरण हैं । प्रेस आयोग ने पत्रकारों की न्यूनतम वेतन, बोनस, निवृत्ति लाभ, पदोन्नति की योजना, छुट्टी आदि सम्बन्धी सिफ़ारिशों की हैं । तुरन्त ही समाचार पत्रों के पूंजीपतियों ने शोर मचाया कि वे अक्रियात्मक हैं । क्यों ? क्या मैं पूछ सकता हूं कि प्रेस आयोग ने क्या किया है ? न्यूनतम वेतन १२५ रुपये और महंगाई भत्ता २५ रुपये निर्धारित किया गया है । बड़े बड़े नगरों में कुल पारिश्रमिक २२५ रुपये निर्धारित किया गया है यदि देशनांकों के आधार पर युद्धपूर्व के वेतन और आजकल के वेतन की तुलना करें तो विदित होता है कि कलकत्ता और बम्बई जैसे नगरों में वेतन २२५ रुपये निर्धारित अपर्याप्त है । फिर भी, प्रेस के पूंजीपतियों ने इस सिफ़ारिश का विरोध करते है । मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह आपत्तियों पर ध्यान न दे कर इन सिफ़ारिशों को तुरन्त कार्यान्वित करे। इस सम्बन्ध में मैं यह बता दूं कि प्रेस न सरकार को दबाने और पत्रकारों को समाचारपत्र बन्द करके नौकरी से निकाल देने की धमकी दी है । मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इन लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करे ।

पृष्ठानुसार मूल्य के सम्बन्ध में मेरा ख़्याल है कि प्रेस आयोग की इस सिफ़ारिश को आचार्य कृपालानी के उदार संदेहों से अधिक धक्का पहुंचा है । इसका समर्थन करने में उनके हिचकिचाने के उद्देश्य मैं महसूस करता हूं । क्योंकि वह चाहते हैं कि पढ़ने वालों को अख़बार सस्ता मिले । परन्तु प्रश्न

महंगे और सस्ते अखबार का नहीं अपितु सर्वथा आर्थिक प्रश्न है। प्रश्न यह है कि क्या हम स्वतन्त्र प्रेस से उचित मूल्य पर समाचार पत्र चाहते हैं। पृष्ठानुसार मूल्य में यही सम्पूर्ण प्रश्न निहित है और श्रमजीवी पत्रकारों की काम की परिस्थितियों में सुधार करने के लिये इस पृष्ठानुसार मूल्य का होना आवश्यक है : अत: मेरा सुझाव है कि सम्बन्धी पक्षों —अर्थात् भारती तथा पूर्वी समाचार-पत्र संस्थायें, देशीय भाषी समाचार पत्र संस्थायें, और श्रमजीवी पत्रकारों की भारतीय फीड्रेशन—के परामर्श से यह सिफ़ारिश कार्यान्वित की जाये।

पी० टी० आई० और यू० पी० आई० के सम्बन्ध में श्री नटेशन ने उल्लेख किया था कि आयोग ने जो बुराइयां बताई हैं, उनका कारण प्राचीन प्रबन्ध है, या वहां प्राचीन प्रबन्ध की देन है। मेरी समझ मे नहीं आता कि समाचार देने के मामले में और अपना वेतन न लने के मामले में निदेशकों के प्रति पक्षपात भूत की देन कैसे हो सकती हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह कम से कम उस निदेशक का नाम बताये जिसने प्रेस आयोग को चिनौती दी थी और जिसे उसके गुस्ताख़ व्यवहार के लिये बाहर निकल जाने का आदेश देना पड़ा था। इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन है कि पुनरसंगठन का कार्य पी० टी० आई० या यू० पी० आई० की इच्छानुसार पर न छोड़ कर सरकार द्वारा कुछ दबाव डाला जाना चाहिये। क्योंकि हम अपने समाचार अभिकरणों को ग़ैर-सरकारी लोगों के हाथ में नहीं छोड़ सकते।

यह दुर्भाग्य की बात है कि विदेशी समाचारों के लिये हमें विदेशी समाचारों अभिकरणों पर निर्भर रहना पड़ता है। हम 'राइटर' (reuters) पर निर्भर करते हैं। विगत १६ अगस्त को 'राइटर' का एक समाचार आस्ट्रेलिया और इंगलैंड के समाचार पत्रों में छपा था कि :

"गोआई ग्रामीणों ने प्रदर्शनकारियों पर बड़े बड़े डंडों से आक्रमण किया और पर्चे तथा भारतीय झंडा उन से छीन लिया।"

हम जानते हैं कि ये ग्रामीण कौन हैं। वे पुर्तगाली सत्ता के गुंडे हैं। उन्हें गोआनी ग्रामीण बताया गया है जैसे कि वे देश भक्त हैं। हम देखते हैं कि 'राइटर' से इस प्रकार के समाचार भेजे जाते हैं। इसी प्रकार 'युनाइटेड प्रेस आफ अमरीका' ने काश्मीर पर एक समाचार भेजते हुये कहा था कि "काश्मीर घाटी मुसलमानों के रक्त से, जिन्हें भारतीय सेना ने मारा, लाल थी।" इससे अधिक और क्या शरारत होगी ? हम चाहते हैं कि सरकार इस बारे में कुछ कार्यवाही करे और यह देखे कि हमें भारतीयों के द्वारा सच्चे समाचार प्राप्त हों, न कि 'राइटर' द्वारा। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे देश को बदनाम करने वाले विदेशी प्रेस की कार्यवाहियों को रोके।

प्रेस विधान के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि सब से अधिक आपत्तिजनक वस्तु प्रेस (आपत्तिजनक सामग्री) अधिनियम है। यह संरक्षण की मांग करने की अनुमति देता है। यह सरकार को अपील करने की अनुमति देता है जब कि न्यायालय ने संरक्षण के आदेश के लिये मना कर दिया है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रेस आयोग ने भी विधि के इसी भाग को अपना लिया है। मैं विमति टिप्पणी के लेखकों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने प्रेस की स्वतन्त्रता पर ज़ोर दिया है और बताया है कि प्रेस (आपत्तिजनक सामग्री) अधिनियम का समाप्त होना आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि इस अधिनियम के स्थान पर कोई और विधि हो। अन्त में मैं जनता से सतर्क रहने की प्रार्थना करता हूं ताकि वह देखती रहे कि प्रेस कैसे व्यवहार कर रहा है और प्रेस के सत्य को बनाये रखने वाले प्राधिकारी कैसा व्यवहार कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय: श्री डाभी ।

श्री डाभी (कैरा, उत्तर) : मैं प्रेस आयोग की केवल तीन बातों का, जो समाचार पत्र पढ़ने वालों को प्रभावित करती हैं, उल्लेख करूंगा, अर्थात्, पृष्ठानुसार मूल्य, आपत्तिजनक विज्ञापन और 'क्रास वर्ड्स' अर्थात् वर्ग पहेलियां । पृष्ठानुसार मूल्य के बारे में केवल पढ़ने वाले लोगों में ही नहीं अपितु पत्रकारों में भी विभिन्न मत हैं ।

ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग ने पढ़ने वालों के मत नहीं लिये हैं । मेरा ख्याल है कि यदि अच्छे समाचारपत्रों के विद्यमान मूल्य में वृद्धि नहीं होती है तो वे पृष्ठानुसार मूल्य का विरोध न करेंगे । मेरा ख्याल है कि इस विधेयक पर बोलने वाले प्रत्येक सदस्य ने पृष्ठानुसार मूल्य का समर्थन किया है, परन्तु किसी ने यह नहीं बताया है कि पृष्ठानुसार मूल्य के अनुसार समाचारपत्रों के मूल्य में वृद्धि होगी या इसका प्रभाव उनकी बिक्री पर पड़ेगा, आदि । इस बारे में किसी ने भी कोई स्पष्ट विचार व्यक्त नहीं किया है । आयोग ने इस बारे में भी कहा है कि मूल्य की दर भी बताई है कि प्रत्येक निर्धारित आकार के पृष्ठ का मूल्य एक पैसा हो । आयोग ने स्वीकार किया है.....

डा० केसकर : आयोग ठीक-ठीक क्या कहता है ?

श्री डाभी: पृष्ठ ७५ पर वह कहता है कि तीन पाई प्रति पृष्ठ के हिसाब से पृष्ठानुसार दाम पर्याप्त समझे जायेंगे आदि ।

डा० केसकर : वह केवल उदाहरणार्थ कहा गया है ।

श्री डाभी: पर चूंकि इससे दाम बढ़ेंगे, अतः कोई भी पक्षपात से रहित व्यक्ति इसका समर्थन न करेगा । धन की कमी वाले पत्रों को बन्द कराने वाली स्पर्धा ठीक रहेगी । पृष्ठानुसार दाम का अर्थ यही होना चाहिये कि सामान्य पाठक के लिये समाचार-पत्र सुलभ रहें । हमारे पत्रों का परिचालन या बिक्री कम होने का कारण बताते हुये आयोग कहता है कि हमारे पत्र प्रायः नगरों में ही बिकते हैं दाम अधिक होने से देहातों में वे खरीदे नहीं जा सकते । दूसरे स्थान पर भी आयोग ने दामों के कम कराने के बारे में कहा है और उसका विचार है कि जैसा दिल्ली और बम्बई में हुआ है, दाम कम करने से परिचालन या बिक्री बढ़ सकती है । दूसरे स्थान पर वह बताता है कि तामिल दैनिक "स्वदेशमित्रन्" और "दिनमणि" के दाम एक आने से डेढ़ आने कर देने से उनका परिचालन घट गया । परिचालन बढ़ने से समाचार पत्र की उत्पादन लागत कम हो जाती है और लाभ बढ़ता है । अतः पृष्ठानुसार दाम रखते समय हमें लोगों की क्रय शक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इससे दाम बढ़ जायेंगे । हमें इस प्रणाली को अपनाते समय इन बातों पर विचार करना होगा ।

मेरे मित्र माननीय श्री शाह और श्री गाडगील ने अहमदाबाद के चार दैनिकों की आपसी स्पर्धा की चर्चा की थी । चारों ही पत्र वर्ग पहेलियां निकालते हैं । इनमें से दो पिछले तो-तीन वर्ष में निकले हैं । इनके निकलने से पहले दाम ढाई आना प्रति कापी था, अब ८ पृष्ठ की प्रति का दाम छः पैसे है हम घातक प्रकार की स्पर्धा नहीं चाहते । फिर भी उन्नत प्रकार की स्पर्धा चाहते जिससे पाठकों को कुछ लाभ पहुंचे । यदि दो नये पत्र न निकलते तो पुराने पत्रों के दाम ढाई आने ही रहते । आशा है सरकार इन सब बातों को ध्यान में रखेगी और पाठकों को न भुला देगी ।

सरकार वर्ग पहेलियों पर नियंत्रण के लिये एक विधेयक बनाने जा रही है ।

श्रमजीवी पत्रकार और जनता चाहती है कि इस बुराई पर पूर्णतः रोक लगायी जाये, परन्तु सरकार केवल नियंत्रण करना चाहती है । आशा है, सरकार लोगों पर नैतिक और वित्तीय प्रभाव डालने वाली इस बुराई को बन्द करने के लिये कोई उपाय खोज निकालेगी ।

श्री एम० डी० जोशी : आयोग की पृष्ठानुसार दाम वाली सिफारिश के बारे में अनुमान था कि बड़े पत्र इसका विरोध करेंगे और छोटे पत्र इसे अच्छा समझेंगे । पर "टाइम्स आफ इण्डिया" ने इसका स्वागत करते हुये लिखा है कि इससे छोटे पत्रों के लिये स्पर्धा समाप्त हो जायगी और वह पत्र में सुधार करने के प्रयत्न करेंगे । दूसरी ओर "फ्री प्रेस जर्नल" ने जिसने अपने दाम दो आने से घटा कर एक आना किये थे लिखा है कि उन्नत प्रकार की स्पर्धा पर रोक लगाना उचित नहीं है ।

आयोग ने ३३० दैनिक, ३७९ पाक्षिक, और ११८९ साप्ताहिक पत्रों को लिया है । साप्ताहिकों की दशा और भी बुरी है । साप्ताहिकों ने भी स्वाधीनता संग्राम में बहुत योग दिया है और उनको शायद सरकार का दमन और भी अधिक रूप में सहना पड़ा है । मेरे अपने ज़िले में अनेक पत्र विरुद्ध-परिस्थितियों के कारण बन्द हो गये । ज़िलों में इन पत्रों के सम्पादक प्रायः वकील आदि अन्य पेशे वाले लोग होते हैं, जो साथ ही मालिक, समाजसेवी, समाचार-संपादक, विक्रेता सभी कुछ होते हैं । ऐसे व्यक्ति इन कठिनाइयों में और ज़िला अधिकारियों के कोप का शिकार बन कर कब तक अपना काम चला सकते है ? यदि इन पत्रों की सहायता न की गयी, तो ये बन्द हो जायेंगे । आयोग ने इनके बारे में केवल एक सुझाव दिया है कि सरकारी विज्ञापन देते समय इन पर भी कुछ ध्यान दिया जाये । परन्तु राज्य सरकारों ने प्रश्नावली का उत्तर ही जल्दी और मनोयोग से नहीं दिया था । वे प्रचार के लिये इन पत्रों का उपयोग करती हैं, पर उनकी सहायता नहीं करतीं । मैं रत्नागिरि में २४ वर्ष से ऐसा एक पत्र निकाल रहा हूं । पर मेरा अनुभव बड़ा कड़ुआ है । ज़िला अधिकारियों ने विज्ञापनों के लिये नया तरीक़ा निकाला है । पहले विज्ञापनों के लिये पैसे दिये जाते थे, पर अब "आवश्यकता है" के विज्ञापन देने के बाद वे नीचे लिख भेजते हैं, 'कृपया इसे समाचार के रूप में प्रकाशित कर दें ।' यदि मैं इनकार कर दूं, तो दूसरा पत्र स्पर्धा में ऐसा ही छाप देगा । विज्ञापन की आय थोड़ी भले हो, पर उसका महत्व है, अतः इसके लिये कोई तरीक़ा निकालना चाहिये ।

भारत सरकार के सूचना विभाग द्वारा ज़िलों के पत्रों को जो सुविधायें दी जाती हैं, उनके लिये मैं कृतज्ञ हूं । पर मुझे कुछ सुझाव देने हैं । अपने समाचारों के लिये हम रेडियो या दैनिक पत्रों पर निर्भर रहते हैं । रेडियो के बारे में नियम है कि समाचार २४ घंटे के अन्दर प्रकाशित न किये जायें । अपने साप्ताहिक पत्र में कभी कभी हम महत्व पूर्ण समाचार भी इसी कारण दूसरे दिन प्रकाशित नहीं कर सकते । मेरा माननीय मंत्री और माननीय संचार मंत्री से अनुरोध है कि यह नियम ढीला कर दिया जाये और रेडियो के समाचारों के २४ घंटे के भीतर-भीतर प्रकाशन पर रोक हटा दी जाये । सूचना विभाग को चाहिये कि हमें पत्र के प्रकाशन से पहले समय-समय पर समाचार भेजता रहे । इससे दूर मुद्रक न रख सकने वाले साप्ताहिकों को विशेष सुविधा रहेगी । देवनागरी के दूरमुद्रक ज़िलों में छोटे शहरों में भी सुलभ होने चाहियें । समाचार-एजेंसियों को चाहिये कि साप्ताहिकों को सस्ती दर से समाचार भेजें । मैं वर्ग-पहेलियों को न लेकर ज्योतिष सम्बन्धी भविश्यवाणियों को लूंगा ।

[श्री एम० डी० जोशी]

ज्योतिष भले ही एक विज्ञान हो, पर ये भविष्यवाणियां समाज पर अच्छा प्रभाव नहीं डालतीं। वे युवकों को भाग्यवादी बनाती हैं। सरकार को वर्ग-पहेलियों के साथ ही इन पर भी रोक लगानी चाहिये।

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक मध्य) : मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र के पत्रकारों की भावनाओं को व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरे एक मित्र कुछ वर्षों से एक बड़ा अच्छा मराठी दैनिक निकालते हैं, परन्तु मैं जानता हूं कि बड़े-बड़े पूंजीपतियों की पत्र-शृंखलाओं के साथ स्पर्धा करके टिक सकना उनके लिये कितना कठिन है। अनेक पत्र इसी कारण बन्द हो चुके हैं। जब तक किसी विशेष विधान द्वारा उनके लिये उपयुक्त परिस्थिति पैदा नहीं की जाती और उन्हें संरक्षण नहीं दिया जाता, उनके लिये अपने कार्य का विस्तार करना कठिन है। भारतीय भाषाओं के पत्र बिना संरक्षक के टिक नहीं सकते। इन पत्रों के कर्मचारियों को वेतन भी अच्छे नहीं मिलते। पृष्ठानुसार-मल्य का विरोध करने वालों ने कोई वैकल्पिक उपाय नहीं बताया। इन परिस्थितियों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा।

इन सब बातों के होते हुये भी आज हमारे यहां अनेक अच्छे-अच्छे पत्र हैं। परन्तु आदर्श विशेष को लेकर चलने वाले ये पत्र बिना संरक्षण मिले टिक नहीं सकते। आयोग के इन सुझावों को तुरन्त कार्यान्वित करना चाहिये। तभी त्याग की भावना और आदर्श लेकर चलने वाले इन पत्रों को कुछ संरक्षण मिल सकेगा।

श्री रघुनाथ सिंह (ज़िला बनारस मध्य) : मैं भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की ओर से कुछ कहना चाहता हूं। मुझे यह कहना है कि देश में ३३३ समाचार पत्र हैं जिनमें से २८९ भारतीय भाषाओं के हैं। इनके सम्बन्ध में बहुत कम बातें यहां उपस्थित की गई हैं।

डा० केसकर : ३३० से ज्यादा हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : नहीं, २८९ भारतीय भाषाओं के पत्र हैं। इनके सम्बन्ध में मैं केवल दो बातें आपके सम्मुख रक्खूंगा। एक तो ऐडवरटिज़मेंट के सम्बन्ध में है। रिपोर्ट के पेज ८८ पर ऐडवरटिज़मेंट के सम्बन्ध में जो थोड़े से सुझाव पेश किये गये हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। समर्थन करने का आधार यह है कि ऐनुअल रेवेन्यू जो समाचार-पत्रों का इस वक्त होता है, वह ११ करोड़ रुपये है। उस ११ करोड़ रुपये में ५ करोड़ रुपया सिर्फ़ विज्ञापन से आता है और ६ करोड़ रुपया सब्सक्रिप्शन से। ४ करोड़ रुपया एक्सपेंस की मद में आता है जो कि स्टाफ़ की सैलरी और छापाखाना इत्यादि में दिया जाता है। केवल ८५ लाख रुपया सम्पादकीय विभाग में वेतन में दिया जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि हमारे जो समाचार पत्र हैं उनकी ५५ प्रतिशत आमदनी सब्सक्रिप्शंस से होती है और ४५ प्रतिशत आमदनी ऐडवरटिज़मेंटस से लेकिन अगर आप जापान की हालत देखें, हालांकि वह एक छोटा सा देश है तो आप उलटी बात पावेंगे। वहां सब्सक्रिप्शंस से ६२ परसेंट आमदनी होती है और एडवरटिज़मेंट से केवल ३८ परसेंट आमदनी होती है।

इन बातों को देख करके हमारे प्रेस कमिशन ने दो सिफ़ारिशें गवर्नमेंट के सामने रक्खी हैं। एक तो साईज़ आफ़ दी पेपर के ४० परसेंट से ज्यादा उसमें एडविरटिज़मेंटस नहीं आने चाहियें और दूसरी बात उन्होंने एक शेड्यूल दिया है। शेड्यूल में २ रुपये पर सिंगल कालम प्रति इंच होना चाहिये। उसके पश्चात् हर पांच हज़ार कापीज़ के

ऊपर उन्होंने एक शेड्यूल दिया है । वह रेट स्ट्रक्चर इस प्रकार है :

अधिक से अधिक मूल दर	२ रुपये प्रति कालम इंच और
प्रथम ५००० प्रतियों पर	६ आना प्रति मिले हर कालम इंच पर
अगली ५००० प्रतियां	५ आना प्रति मिले हर कालम इंच पर
अगली ५००० प्रतियां	४ आना प्रति मिले हर कालम इंच पर,
अगली प्रतियां	२ आना प्रति मिले हर कालम इंच पर ।

कम से कम १५ रुपये हर एक कालम इंच पर ।

इस प्रकार अगर पेपर का सर्कुलेशन १५ हज़ार का है तो उसका ऐडवरटिज़मेंट्स रेट होगा ६ रुपये ११ आने और अगर ३० हज़ार हुआ तो रेट होगा ८ रुपये ९ आने । इसके पश्चात् वह २ आने प्रति कालम प्रति इंच लेंगे । इस तरह मैं ने हिसाब लगा कर देखा है कि तीस हज़ार के ऊपर छापने की कौस्ट आफ़ प्रोडक्शन वन आना पर सिंगल कालम प्रति इंच आयेगा । अगर दो पैसा उसको बांटने का अर्थात् डिस्ट्रिब्यूशन आफ दी पेपर का रख लें तो आप देखेंगे कि दो पैसा डिस्ट्रिब्यूशन का, एक आना कौस्ट आफ़ प्रोडक्शन का, इस तरह से कुल ६ पैसे होता है । दो पैसा और फायदा होता है । अगर प्रेस कमिशन के इस सुझाव को मान लिया जाये तो हमारे न्यजपेपर्स के भाई लोग आज हल्ला करते हैं कि रेट ठीक नहीं है । उनसे मेरा कहना है कि कौस्ट आफ़ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को लगा लेने के बाद भी आपको ३३ परसेंट फायदा होता है । लिहाज़ा हमको इस सिफ़ारिश को मान लेना चाहिये ।

हमें यह देखना है कि हमारे एडवरटिज़मेंट्स किस प्रकार के होते हैं । आप किसी भी पेपर को उठा कर देख लें, क़रीब क़रीब ६० परसेंट एडवरटिज़मेंट्स जो समाचारपत्रों में निकलते हैं, चाहे वे पत्र अंग्रेज़ी के हों, हिन्दी के हों या और देशी भाषाओं के, पार्शिएली फ़ारेन या कम्पलीटली फ़ारेन ऐडवरटिज़मेंट्स से वह भरे होते हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि जितने समाचार पत्र हैं, उनकी मेन इनकम विदेशों से होती है । इस सम्बन्ध में महाभारत का एक क़िस्सा याद आ जाता है । जब भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में घायल होकर बाणों की शैया पर लेट गये तो सारे लोग उनके गिर्द इकट्ठा हो गये । उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे सिद्धान्त बतलाये उनकी व्याख्या की । उस अवसर पर भीम ने भीष्म पितामह से पूछा कि महाराज जब द्रोपदी का भरी सभा में चीर खींचा जा रहा था तो उस समय आपकी यह विशुद्ध वाणी कहां चली गई थी ? भीष्म पितामह ने उसका उत्तर दिया कि जो दूषित रक्त मेरे शरीर में अब तक विद्यमान था, वह अब मेरे शरीर से निकल गया है और इस कारण मेरी वाणी शुद्ध हो गई है । इसी प्रकार मैं कहता हूं कि अगर यह फ़ारेन मनी हमारे पेपर को और हमारे माइंड को कंट्रोल करेगा तो यह विष एक दिन हमारे नाश का कारण बनेगा । इस वास्ते मैं कहता हूं कि एडवरटिजमेंट्स के बारे में प्रेस कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको मानना चाहिये ।

दूसरी बात मुझे पी० टी० आई० के सम्बन्ध में कहनी है । इस समाचार एजेंसी की देश भर में संख्या १६२ है जहां से वह समाचार देती हैं । इन १६२ एजेंसियों में से १५२ एजेंसीज़ हिन्दुस्तान में हैं और बाक़ी दस एजेंसियां आउटसाइड इण्डिया जैसे सीलोन, टोकियो आदि में हैं । पी० टी० आई० क्या है ? यह तो एक थोड़े से पूंजीपतियों और सरमायेदारों का अड्डा सा हो गया है । वह जिस को चाहें उसको रक्खें और जिसको चाहें उसको खत्म कर दें । साथ ही साथ आपको यह भी देखना

[श्री रघुनाथ सिंह]

है कि जो भारतीय पेपर्स हैं उनमें से ४१ पेपर अंग्रेज़ी के हैं बाक़ी सारे भारतीय भाषा के पेपर जिनकी कि संख्या १११ है, वे भी पी० टी० आई० को सब्सक्राइब करते हैं। आप पी० टी० आई० के रेट शेड्यूल मुलाहिज़ा करिये कि वह चीज़ क्या है। वह अपने शेड्यूल ए० शेड्यूल बी० और शेड्यूल सी० के अनुसार चार्ज करता है। लेकिन में अभी उपाध्यक्ष महोदय आपको उदाहरण देकर साबित कर दूंगा कि जिन पेपरों के डाईरेक्टर्स पी ० टी० आई० के हैं उन पेपरों को कम देना पड़ता है और जिनके डाइरेक्टर्स पी० टी० आई० के नहीं हैं उनको दुगना तक और उनकी अपेक्षा अधिक देना पड़ता है। मैं इसके प्रमाणस्वरूप आपके सामने उदाहरण उपस्थित करता हूं। सी० क्लास शेड्यूल में आने वाले लोगों में हमारे सेठ गोविन्द दास का समाचार पत्र "जय हिंद" जबलपुर से निकलता था, उनको २,००० हज़ार रुपये पर सर्विस दी जाती थी। नागपुर से "नवभारत" निकलता था। उससे सर्विस का १,२५० रुपये लिया जाता था। कोयम्बटूर से "नवा इण्डिया" जो कि तामिल का पत्र है उसको १,७०० रुपये देने पड़ते थे। बड़ौदा से एक अखबार निकलता है उसको १,५०० रुपये देने पड़ते हैं। त्रिवेन्द्रम से निकलने वाले भी ९०० और 'समाज', 'मातृभूमि', 'कल्कि','नवभारत'(मंगलौर)से १,००० रुपये लिये जाते हैं। क्यूलोन, 'कोटायम' 'हिन्दुस्थान' (सिन्धी, बम्बई) से ८५० रुपये और इन्दौर से जो पेपर निकलता है उससे ८५० रुपये और दिल्ली से जो पेपर निकलते हैं अर्थात् कैपिटल सिटी से जो पेपर निकलते हैं उनसे केवल ७५० रुपये ही लिये जाते हैं। आप ही इन्साफ़ करिये कि जो आदमी दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता या मद्रास में रहते हैं उनको चीप रेट पर सर्विस दी जाती है जब कि सैकड़ों भारतीय समाचारपत्रों को जिनको ग़रीब काश्तकार, मज़दूर तबक़ा और रिक्शा वाले पढ़ते हैं और जो कि हमारे भारतवर्ष के लोकतन्त्र की रीढ़ है उनसे हम अधिक हिसाब से अपनी सर्विस का चार्ज करते हैं। उस रीढ़ को हम को सस्ते से सस्ता समाचार पत्र पहुंचाना चाहिये। उन का साधन सुलभ करना चाहिये। लेकिन होता इस का उल्टा है। इस लिये मैं आप का ध्यान इस तरफ़ आकर्षित करना चाहता हूं। साथ ही इस के वास्ते मेरा एक सुझाव है। सुझाव यह है कि समाचार पत्रों को सर्कुलेशन की बेसिस पर या रायल्टी के बेसिस पर मूल्य पी० टी० आई० को देने चाहिये। जैसे मैं उदाहरण दूं। टाइमस आफ़ इण्डिया का सर्कुलेशन है ८५,००० और वह देते हैं ६,०५० रुपये माहवार, अर्थात् १ परसेंट। युगान्तर बंगाल का है उस का सर्कुलेशन है ६४,१७० उसको देना पड़ता है ३,१०० रुपया, अर्थात् १ परसेन्ट। आप हिन्दुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं। उस का सर्कुलेशन है ४८,००० वह देता है ४,७०० रुपया, अर्थात् १.२ परसेंट। एक अखबार है नैशनल हेरल्ड, उसका सर्कुलेशन है ८,०००। उस को देना पड़ता है ३९०० रुपये, अर्थात् १३ परसेंट। टाइम्स आफ इंडिया १ परसेंट, युगान्तर १ परसेंट, हिन्दुस्तान टाइम्स १.२ परसेंट और नैशनल हैरल्ड को १३ परसेंट देना पड़ता है। इसी तरह से इलाहाबाद से एक अखबार लीडर निकलता है उसका सर्कुलेशन ६,००० है। उस को १७ परसेंट देना पड़ता है। इसी तरह आप देखिये कि एक पेपर है मनोरमा।

श्री जांगड़े (बिलासपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : साप्ताहिक।

श्री रघुनाथ सिंह : जी, उस को ९०० रुपया देना पड़ता है जब कि उस का सर्कुलेशन २८,७२९ है। पूना के सकाल का सर्कुलेशन ३०,००० है पर उसको सिर्फ ७५० रुपये

देने पड़ते हैं । क्योंकि उन के चलाने वाले पी० टी० आई० के डाइरेक्टर हैं। चूंकि वे डाइरेक्टर हैं इसलिये उन को कम देना चाहिये। मेरा समय समाप्त हो रहा है इस लिये इस विषय में ज्यादा न कह कर मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप समाचार-पत्रों को जीवित रखना चाहते हैं तो उनको रायल्टी या सर्कुलेशन के बेसिस पर समाचार का मूल्य देना चाहिये ।

इसके बाद मैं दूसरी बात आप के सामने रखता हूं । हमारे यहां जो न्यूजप्रिंट इम्पोर्ट होता है वह बहुत कम है । केवल ६४,००० मीट्रिक टन पर इयर । होता क्या है कि जो बड़े पेपर हैं वह आर्डर देते हैं । उन्होंने आर्डर दे दिया २०,००० टन या २५,००० टन का । हम लोग अधिकतर काग़ज़ कैनाडा, फिनलैंड या नार्वे स्वेडन से मंगाते हैं नार्वे से तो कम ही आता है । स्वेडन, फिनलैंड और कैनाडा से ज्यादा आता है । जब बड़े बड़े पेपर आर्डर देते हैं तो उन को लगभग ६ आना पौंड दाम देना पड़ता है। लेकिन जो हमारे ग़रीब पेपर हैं, हिन्दुस्तानी समाचार या भारतीय भाषा के पेपर, वह जब उसी कम्पनी को आर्डर देते हैं तो उन से ८ आना और ७ आना पौंड तक चार्ज किया जाता है । मैं आप से कहता हूं कि जो पेपर ऐसे हैं जिन को ६ आना पौंड देना होता है वह दूसरे पेपरों के मुक़ाबले में जिन को ७/८ आने पौंड देना होता है ज्यादा कम पैसे में बिक सकते हैं। टाइम्स आफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स किसी भी सस्ते रेट पर अपने समाचार-पत्र बेच सकते हैं। इसके लिये मेरा एक यह सुझाव ह कि जो फ़ारेन पेपर हर साल बाहर से इम्पोर्ट होता है उस का ईन्श्योरेन्स इण्डियन बीमा कम्पनियों में होना चाहिये । ताकि जो हमारे इन्श्योरेन्स का रुपया है वह बाहर न जाये । दूसरा सुझाव यह है कि उस का डाइरेक्ट एक्स्चेन्ज होना चाहिये । इस के माने क्या हैं कि जब हम नार्वे को आर्डर देते हैं, कनाडा को आर्डर देते हैं तो हम डालर के थ्रू जाते हैं या स्टर्लिंग के थ्रू जाते हैं । डालर या स्टर्लिंग के थ्रू जाने से बैंकों का कमिशन भी हमारे ऊपर लाद दिया जाता है । इस लिये हमारा एक्स्चेंज डाइरेक्ट होना चाहिये । हमारा लिंक डालर या स्टर्लिंग से नहीं होना चाहिये ।

आखीर में मैं बताना चाहता हूं कि जापान ने पेपर के मामले में इतनी तरक्क़ी क्यों की । इस का कारण यह है कि वहां के जितने समाचारपत्र हैं उन को ८० प्रतिशत शेअर, उस समाचार-पत्र में काम करने वाले हैं, उस के स्टाफ़ में हैं, उन के हुआ करते हैं । केवल २० परसेंट शेयर आउटसाईडर्स के होते हैं । हिन्दुस्तान में क्या है कि चेन आफ़ पेपर्स थोड़े से पूंजीपतियों के हाथों में हैं । उन का इन्टरेस्ट तो सिर्फ़ मुनाफा कमाने में है । जैसा मेरे लायक़ दोस्तों ने कहा कि आज जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन को मालूम होगा कि कबाड़ी रोज़ घर घर घूमता है और पुराने अख़बार १२ आने सेर ख़रीदता है । मैं चैलेन्ज कर के कहता हूं कि आप ६ आने पौंड काग़ज़ ख़रीदते हैं और १०, १२ आने सेर कबाड़ी को बेचते हैं । मेरे ख्याल से इस प्रकार हमारे से धन का, हिन्दुस्तान की लक्ष्मी का अपव्यय नहीं चाहिये ।

प्रेस कमीशन की रिपोर्ट एडवरटिज़मेन्ट के बारे में जो है वह स्वीकृत होनी चाहिये ।

इस तरह से मैं ने चार बातें आप के सामने रक्खीं । पहली एडवरटिज़मेंट के बारे में. दूसरी कि पी० टी० आई० को सर्कुलेशन बेसिस पर चार्ज करना चाहिये, तीसरे यह कि आज जो आडर नार्वे स्वेडन आदि बाहरी देशों को दिये जाते हैं उन का डाइरेक्ट एक्स्चेंज होना चाहिये, न कि पौंड और डालर से लिंग

[श्री रघुनाथ सिंह]

हो, चौथी बात यह कि जिस रेट पर बड़े से बड़े समाचार पत्र को कागज़ सप्लाई होता है, उसी रेट पर छोटे से छोटे पेपर को भी सप्लाई होना चाहिये और सारी सुविधायें एक सी मिलनी चाहियें ।

श्री दामोदर मेनन (कोझिकोड) : मैं आयोग के प्रतिवेदन के एक दो पहलुओं को ही लूंगा । आरम्भ में ही मुझे यह कहना है कि श्री नटेशन जैसे एक आध व्यक्ति को छोड़ आयोग की सारी सिफारिशों के बारे में प्रायः सभी एकमत हैं और माननीय मंत्री को उन्हें पूर्णतः स्वीकार करने में कोई कठिनाई न होगी । मंत्री जी ने कहा है कि कुछ मुख्य सिफारिशों के बारे में सरकार कुछ अस्थायी निष्कर्षों पर पहुंची है । मुझे आशा है, वे निष्कर्ष यहां पर व्यक्त किये गये विचारों के अनुकूल ही होंगे ।

अपने ज़िले के भारतीय-भाषा-पत्रों से सम्बद्ध रहने के कारण मुझे भारतीय-भाषा-पत्रों का व्यक्तिगत अनुभव है । कई सदस्यों ने और आयोग के सदस्य श्री जयपाल सिंह ने भी बताया था कि आयोग का विचार भारतीय भाषा पत्रों को प्रोत्साहन देने का था । देश में स्वस्थ पत्रकारिता के और प्रजातन्त्र के विकास के लिये यह उचित भी है । वयस्क मताधिकार को स्वीकार करने के बाद उन्नत प्रकार के प्रजातन्त्र के हित में जनसाधारण को विशेषतः गांवों के लोगों को शिक्षित बनाना हमारा कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि देश में बहुत थोड़े व्यक्ति अंग्रेज़ी दैनिक पढ़ते हैं । भारतीय भाषा पत्रों की दयनीय दशा को देखते हुये आयोग ने कुछ सुझाव दिये हैं । उनमें से कुछ को छोड़ एकाध को कार्यान्वित करना व्यर्थ होगा । सारी सिफारिशों को कार्यान्वित करके ही हम भारतीय भाषा-पत्रों को कुछ सहायता पहुंचा सकेंगे । आयोग की एक सिफारिश है कि पत्रों का आधे से अधिक परिचालन कुछ प्रमुख नगरों तक ही सीमित है और आयोग के विचार से पत्रों की संख्या बढ़ाकर ज़िला केन्द्रों में भी समाचार-पत्र निकालने के लिये प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । सरकार भी अपने वक्तव्य में इससे सहमत हो गई है । परन्तु यदि उन्हें प्रोत्साहित करना ही उसकी नीति है, तो उसे आयोग की सिफ़ारिश माननी होंगी । ज़िला-पत्रों को आर्थिक सहायता देना तो अब प्रजातंत्रीय तरीक़ा है और आयोग ने यह सिफारिश इसी कारण नहीं की है । परन्तु अन्य सिफारिशें हैं, जैसे पृष्ठानुसार-मूल्य, विज्ञापन देने की दरों आदि की जांच, अख़बारी काग़ज़ के बारे में राज्य व्यापार निगम, समाचार-सेवाओं पर उचित प्रशुल्क आदि । ये सिफ़ारिशें पूरी-पूरी मानी जानी चाहियें ।

भारतीय भाषा पत्रों के श्रमजीवी पत्रकारों की दशा बड़ी दयनीय है । उसे दो भाषायें अच्छी तरह आनी चाहियें । प्रायः समाचार अंग्रेज़ी भाषा में प्रकाशित होते हैं । उनको जल्दी से उनका अनुवाद करना होता है । पारिभाषिक शब्दों को तुरन्त गढ़ने की परेशानी के कारण यह काम और भी कठिन हो जाता है । फिर भी उन्हें ३० रुपये से ६० रुपये तक वेतन मिलता है । अब १२५ रुपये के वेतन की सिफ़ारिश की गयी है । सरकार इस बारे में प्रादेशिक परिस्थितियों का भी ध्यान रख रही है, यह ठीक नहीं है । पत्रकार चाहे छोटे शहर में हो या राजधानी में, उसके लिये कुछ न्यनतम वेतन निश्चित किया जाना चाहिये । अन्यथा ज़िलों की पत्रकारिता का स्तर बुरा रहेगा और इससे प्रजातन्त्र के स्रोत में ही गड़बड़ी पैदा हो जायेगी । वहां प्रतिभाशील पत्रकार पहुंचे, इस अभिप्राय से वेतन आकर्षक होने चाहियें । आशा है, मंत्री जी स्पष्ट वक्तव्य देकर इस अफवाह का खंडन कर देंगे कि सरकार

बुनियादी वेतन प्रादेशिक आधार पर निश्चित करेगी । जैसा प्रकट है इस सभा का विचार है, आयोग की सभी सिफ़ारिशें पूरी-पूरी मानी जानी चाहियें ।

श्री मात्तन (तिरुवल्ला) : मेरे राज्य की सर्वत्र उपेक्षा की जा रही है । मुझे अब बोलने का अवसर दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें मैं क्या कर सकता हूं ? प्रत्येक बार सब राज्यों के प्रतिनिधियों को अवसर दिया जाना कठिन है । मैं पत्रकारों को अवसर देने का प्रयत्न करता रहा हूं । आप इस प्रकार मुझे शीघ्रतापूर्ण कोई निश्चय करने के लिये नहीं कह सकते ।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम्) : प्रारम्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि राजाध्यक्ष आयोग की स्थापना उस आन्दोलन के कारण हुई थी जो प्रेस ट्रस्ट (पी० टी० आई०) के कर्मचारियों ने किया था । यद्यपि प्रबन्धकों का रवैया ज़िद का था, इस आयोग से हमें यह लाभ पहुंच गया है कि उन्होंने हमारे देश में पत्रकारिता पेशे के अधिकारमय वातावरण पर बहुत कुछ प्रशंसनीय प्रकाश डाला है ।

मैं राजाध्यक्ष आयोग की न्यूनतम मजूरी के केवल एक पहलू पर कुछ कहना चाहता हूं । इस आयोग के मजूरी के मामले पर प्रबन्धक और कर्मचारी के तंग दृष्टिकोण से ही विचार नहीं किया है, अपितु इस बात को सामने रखा है कि भविष्य के समाज में पत्रकार का क्या स्थान होगा । हमें एक पत्रकारिता के उदार और अनेक प्रकार की विचारधाराओं वाले ढांचे का निर्माण करना है । इसके लिये हम पत्रकार के दर्जे की उपेक्षा नहीं कर सकते । इसी सम्बन्ध में हमारे सामने यह प्रश्न आते हैं कि हमारे राष्ट्रीय समाचार अभिकरणों की भावी स्थिति क्या होगी ; हमें उन एजेन्सियों को सुदृढ़ बनाने के लिये क्या करना होगा ; उन्हें कितनी वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये तथा छोटे समाचारों को लाभ पहुंचाने के लिये उन्हें किस प्रकार काम करना चाहिये ?

कोई देशभक्त व्यक्ति इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि हमें एक ठोस राष्ट्रीय समाचार एजेन्सी की स्थापना करनी चाहिये जो भारत में जनता के प्रशिक्षा का महान् कार्य अपने पर ले । यदि सरकार उसे पर्याप्त वित्तीय सहायता न देगी तो न केवल विदेशों में समाचार एजेन्सियों की स्थापना कठिन हो जायेंगी बल्कि पी० टी० आई० और यू० पी० आई० के समाप्त हो जाने का भय बना रहेगा । एक शिकायत यह की जाती है कि इन दो एजेन्सियों को बेतार के संवादों के लिये बहुत भुगतान करना पड़ता है । इंगलिस्तान में इस अनुज्ञप्ति के लिये केवल २० पौंड प्रति वर्ष वसूल किये जाते हैं । हालैंड में यह दर ६ पौंड, पाकिस्तान में ६००० रुपये के लगभग परन्तु यहां ४५००० रुपये के लगभग है ।

रायटर का पी० टी० आई० से इस वर्ष के अन्त तक समझौता समाप्त हो जायेगा । समय है कि हम अपनी समाचार एजेन्सियों को दृढ़ बनायें वरन् रायटर की शर्तें काफ़ी कड़ी हो सकती हैं ।

सूचना और प्रसारण मंत्री से मेरा सुझाव है कि वह लाइसेंस प्रणाली को चालू करें । इससे इन एजेन्सियों का व्यय कम हो जायेगा ।

इन समाचार एजेंसियों का सम्बन्ध भारत सरकार के तीन विभागों से—संचार मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और वैदेशिक कार्य मंत्रालय से है । स्पष्ट है कि इस मामले में विभागीय नीति के स्थान पर सरकारी नीति होनी चाहिये । अब समय आ

डा० कृष्णस्वामी]

गया है जब कि सरकार को यह घोषणा करनी चाहिये कि दरों के बारे में उसकी क्या नीति होगी ।

राजाध्यक्ष आयोग ने आकाश वाणी के बारे में कहा है कि इसे समाचार प्राप्त करने के लिये समाचार एजेंसियों को अधिक दर पर शुल्क देनी चाहिये । मैं पूछता हूं कि क्या सरकार इस सूत्र को स्वीकार करेगी या उस का अपना और कोई सूत्र है ? मान लीजिये कि सरकारी विभाग समाचार एजेंसियों को वाणिज्यिक आधार पर पर्याप्त सहायता नहीं दे सकते, तो उन्हें बिना शर्त के सहायता देने में क्या बाधा है ? जैसे उच्च शिक्षा के लिये विश्व विद्यालयों को अनुदान दिये जाते हैं, इसी तरह समाचार एजेंसियों की सहायता के लिये भी एक सिद्धान्त बनाया जा सकता है । राजाध्यक्ष आयोग ने कहा है कि भविष्य में समाचारपत्रों से जो दरें ली जायें, वे दैनिक बिक्री के आधार पर प्रक्रमबद्ध श्रेणी के अनुसार होनी चाहियें । मैं चाहता हूं कि समाचारपत्रों द्वारा यह सिफ़ारिश क्रियान्वित की जाये । इससे छोटे समाचार पत्रों का भार कम होगा और उनकी स्थिति में सुधार होगा ।

एक सार्वजनिक निगम स्थापित करने की प्रस्थापना पर सावधानी से विचार करना पड़ेगा । किन्तु मैं माननीय मंत्री को बताना चाहूंगा कि देश के बहुत से भागों में यह धारणा है कि 'प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया' पर केवल बड़े बड़े समाचारपत्रों का नियन्त्रण है और छोटे समाचारपत्रों का इस के प्रबन्ध में कोई हाथ नहीं इस सम्बन्ध में, मैं एक प्रस्थापना रखना चाहता हूं । वह यह है कि प्रत्येक समाचारपत्र को, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, जो समाचार एजेंसी से समाचार लेता है, उस एजेंसी का अंशधारी समझा जाये और उसे मताधिकार प्राप्त हो । ऐसा करने से छोटे और स्वतन्त्र समाचारपत्र भी एजेंसी की नीति पर प्रभाव डाल सकेंगे । मेरा कहना तो केवल यह है कि बड़े और छोटे समाचार-पत्रों के बीच अधिक संतुलन स्थापित होना चाहिये और कोई ऐसा उपाय निकाला जाना चाहिये जिससे छोटे अंशधारियों का भी उचित प्रतिनिधित्व हो सके ।

अब मैं पृष्ठानुसार मूल्य प्रणाली के प्रश्न को लेता हूं । यदि इसे अल्प-कालीन उपाय के रूप में जारी किया जाये——मैं इसे स्थायी रूप से रखने के पक्ष में नहीं हूं——तो इस से न केवल छोटे समाचारपत्रों को सहायता मिलेगी बल्कि पत्रकारों की स्थिति में भी सुधार होगा और प्रबन्ध सम्पादक को जो सुविधायें प्राप्त हैं, वे उन सम्पादकों की प्रतिस्पर्धा के कारण जिन पर कोई वित्तीय आभार नहीं है, उतनी नहीं रहेंगी और उसके प्रभाव में कमी होगी । मैं यह नहीं कहता कि उपभोक्ता जो चाहता है, वह उसे नहीं मिलना चाहिए । पृष्ठानुसार प्रणाली से स्वतन्त्र समाचारपत्रों की संख्या में बहुत वृद्धि होगी ।

प्रेस परिषद् सम्बन्धी सिफारिश के बारे में कुछ अधिक नहीं कह सकता, क्योंकि समय थोड़ा है । किन्तु मेरे विचार में यह एक संविहित है निकाय नहीं, बल्कि मंत्रणा निकाय होना चाहिये । इसे जांच आयोग के अधिकार तो दिये जाने चाहियें किन्तु यह एक सम्पूर्ण रूप से विशेषाधिकार प्राप्त निकाय नहीं होना चाहिये । ऐसा करने से यह अधिक प्रभावशाली रहेगा । हमें पत्रकारों की भाव-नाओं को ध्यान में रखना है और यह अनुभव करना है कि अच्छे स्तर स्थापित करने के लिये पहले पत्रकारों की ओर से होनी चाहिए हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि बड़े बड़े धनी लोग जनमत से अनुचित लाभ न उठा सकें । साथ ही यह भी समझा जाना

चाहिये कि अन्य वृत्तियों की तरह, इस वृत्ति में मानदंड निर्धारित करना बहुत कठिन ह । प्रेस परिषद् के बारे में निर्णय करते हुये इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिये ।

अन्त में मैं आशा करता हूं कि राष्ट्रीय एजेंसियों की वित्तीय स्थिति को स्थिर बनाने के लिये सरकार शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही करेगी ।

डा० केसकर : मैं दो तीन दिन से इस वाद विवाद को सुन रहा हूं और मुझे यह देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि यदि सभी ने नहीं तो लगभग सभी ने आयोग के कार्य को सराहा है । कुछ सदस्यों ने —विशेषकर मेरे सामने बैठे मित्रों ने—यह प्रमाणित करने की चेष्टा की है कि आयोग कहीं से टपक पड़ा है और सरकार उसकी सिफारिशों को लागू करने से बचना चाहती है । मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि सरकार ने ही आयोग को नियुक्त किया था और उस के सदस्यों को बड़ी सावधानी से चुना था। हमने जिन लोगों को नियुक्त किया हमें उन की तटस्थता और योग्यता पर पूरा भरोसा है ।

श्री जयपाल सिंह : धन्यवाद ।

डा० कसकर : हम ने उन्हें इसलिये नियुक्त नहीं किया था कि उन के प्रतिवेदन को उठा कर एक ओर रख दे । हमें ऐसा करना होता तो हम आयोग को नियुक्त न करने का कोई न कोई तरीक़ा ढूंढ निकालते . .

श्री कामत : सरकार पर इतना दबाव डाला गया था ।

डा० केसकर : हमारे मित्र श्री कामत तो सदा दबाव डालते रहते हैं ।

श्री कामत : मुझे इस पर गर्व है ।

डा० केसकर : मैं यह कह दूं कि आयोग के सब सदस्यों ने जो काम किया है मैं उस की बड़ी क़द्र करता हूं । आयोग में ऐसे सदस्य भी थे जिन का सरकार से मतभेद है । मेरे मित्र श्री जयपाल सिंह ने सरकार द्वारा किये गये या न किये गये कामों की आलोचना के अवसर से लाभ उठा कर अच्छा ही किया। मुझे यह बात पसन्द है और आशा है कि वे फिर ऐसा ही करेंगे ।

श्री जयपाल सिंह : धन्यवाद ।

डा० केसकर : आयोग नियुक्त करते समय हम ने यह प्रयत्न किया है कि इसमें ऐसे व्यक्ति न हों जो सरकार की हर बात पर 'हां' कर दें । प्रजा समाजवादी दल के प्रधान को आयोग का सदस्य बनाया गया । ऐसे लोगों को नियुक्त करते समय हमें मालूम था कि वे सरकार के विरोधी हैं परन्तु साथ ही हमें यह भी मालूम था कि वे प्रत्येक बात के गुण दोषों के देखते हुये तटस्थ राय देंगे जो देश और समाचारपत्रों के हित में होगी । इसलिये सरकार की यह आलोचना करना बेकार है कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है परन्तु सरकार उस पर कुछ कार्यवाही नहीं कर रही है । आयोग की रिपोर्ट बड़ी महत्व-पूर्ण रिपोर्ट है, इसलिये इस पर बड़ी सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि यह न केवल समाचार पत्र उद्योग बल्कि समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता के प्रश्न से भी सम्बन्ध रखती है ।

माननीय सदस्यों ने जो बहुत सी बातें उठायी हैं उनका उत्तर देने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं । इस आयोग की या पंचाट देने के विशेष उद्देश्य से नियुक्त किये गये किसी आयोग को छोड़ कर किसी अन्य आयोग की रिपोर्ट सिफ़ारिश के रूप में होती है या उस में ऐसी सिफ़ारिशें होती हैं जिन्हें पंचाट नहीं समझा जाना चाहिये । इस प्रकार नियुक्त किये गये किसी आयोग को यह आशा नहीं होती कि उस की रिपोर्ट को पंचाट समझ

[डा० केसकर]

कर उसे पूर्णतया और बिना किसी देरी के लागू कर दिया जायगा ।

[पंडित ठाकुरदास भार्गव पीठासीन हुये]

यह इसलिये है कि सभी आयोग यह मानते हैं—वे न भी समझें परन्तु सरकार यह समझती है—कि किसी भी प्रस्थापना को लागू करने में कुछ ऐसी व्यावहारिक कठिनाइयां होती हैं जो आयोग के सामने नहीं होतीं । मैं यह दावे से कह सकता हूं कि इस आयोग के सदस्यों और सभापति ने स्वयं इस बात को महसूस किया है । मुझे याद है कि सभापति ने मेरे साथ बातचीत में अपने विचार इन शब्दों में प्रकट किये थे—"यह सारी रिपोर्ट हम आपके सामने रख रहे हैं । सम्भव है कि कुछ कठिनाइयां हों परन्तु उन को देखना आप का काम है । सब से अच्छा हल तो यह है कि आप की राय में जहां तक इसे लागू करना सम्भव हो किया जाय ।"

माननीय सदस्यों ने आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया है । मैं उन से यह कहूंगा कि हम सभी को आयोग की सिफारिशों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये । हम यह नहीं कह सकते कि चूंकि आयोग ने अमुक बात की सिफ़ारिश की है, वह होनी ही चाहिये । मैं उन से कहूंगा : सभी मामलों में हमें यह देखना चाहिये कि किसी बात के गुण और दोष क्या हैं और गुण दोषों को देखते हुए निर्णय करना चाहिये न कि यह कहना चाहिये कि क्योंकि आयोग ने ऐसा कहा है इसलिये हमें यह मान ही लेना चाहिये । साथ ही हमें यह भी देखना है कि आयोग ने जो कुछ कहा है उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाये न कि उस की कोई सिफ़ारिश बिना सोचे समझे अस्वीकार कर दें या उस में रूप भेद कर दें । हमें यह नहीं कहना चाहिये कि चूंकि आयोग ने ऐसा कहा है, इसलिये हम इसे स्वीकार करलें और उसके गुण दोषों पर विचार न करें ।

मैं इस आयोग के सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं । आयोग द्वारा विचार के लिये जो विषय निर्धारित किये गये थे, वह बड़े अधिक थे । ये विचारणीय विषय निर्धारित करते समय शुरू में हम ने सोचा था कि आयोग उन में से भारतीय समाचार-पत्रों की दशा सुधारने के लिये सब से अधिक महत्व वाले विषयों को चुन ले और उन विषयों को पड़ा रहने दे जिन में अधिक समय लगेगा । उदाहरण के लिये, समाचार पत्रों का एक औद्योगिक पहलू है—अखबारी काग़ज़ के कारख़ाने की स्थापना और अखबारी क़ाग़ज़ के उत्पादन के प्रश्न । इसलिये ये विषय इस अर्थ में विस्तृत कर दिये गये थे कि आयोग सब से अधिक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करे और यथाशीघ्र निर्णय या सिफारिश करे कि क्या करना उचित है । मुझे याद है कि अयोग के सभापति ने मेरे साथ बातचीत में एक और दृष्टिकोण उपस्थित किया था । बाद में मैं ने महसूस किया कि शायद यह ठीक हो । उन्होंने कहा था—"हमारे लिये यह सम्भव नहीं कि हम इन सारे विषयों में से सब से अधिक महत्वपूर्ण विषय चुन लें । हमें कुछ विषयों पर विचार करने के लिये कहा गया है और हमें उन सब पर अपने विचार प्रकट करने हैं । सम्भव है कि हम यह न कह सकें कि हम कुछ मामलों को छोड़ देंग बाक़ी पर पूर्ण रूप से ध्यान देंगे ।" शायद इस मामले में हम ने आयोग के साथ ठीक नहीं किया और सम्भव है कि यह अधिक अच्छा होता कि हम आयोग को समाचार-पत्रों से सम्बन्धित अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले सौंपते जिस से कि वह उन पर अधिक ध्यान दे सकता और उन पर और अधिक विस्तार के साथ विचार करता ।

यहां प्रत्येक माननीय सदस्य ने समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता की चर्चा की है । स्वाभाविक ही है कि यह सब से अधिक महत्वपूर्ण मामलों में से है और आयोग ने बारबार इसकी ओर संकेत किया है । इस आधारभूत सिद्धान्त के बारे में आप बातों को छोड़ कर यह सोचिये कि 'समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता' —इस वाक्यांश का अर्थ क्या है ? हम सभी जानते हैं कि यह लोकतन्त्रवादी धारणा है । समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता एक ऐसी चीज़ है जो एकाधिकारवादी देशों में नहीं है और न ही उन देशों में है जहां सम्राट् हैं और जिन का ढांचा लोकतन्त्रवादी नहीं है । जब हम कहते हैं 'समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता' तो हम इसका अर्थ वही समझते हैं जो लोकतन्त्रवादी देशों में माना जाता है । क्या आप क्या हम और क्या श्री कामत—सभी यह चाहते हैं कि समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता हो और इसलिये मैं आदरपूर्वक यह निवेदन करूंगा कि समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता से सम्बद्ध किसी भी मामले में हमें बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिये । जो भी हो, वे चाहे मुझे इस बात का श्रेय न दें, परन्तु हम बड़ी सावधानी से काम करना चाहते हैं और इस बात की व्यवस्था करना चाहते हैं कि कदाचारों या एकाधिकारी प्रवृत्तियों को रोकने में हम समाचार पत्रों के इस अधिकार का उल्लंघन न करें कि वे जो उचित समझते हैं वह कहें । यह भी एक कारण है कि कोई निर्णय करते समय हमें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है और यह देखना पड़ता है कि समाचार पत्रों पर प्रतिबन्ध लगाते समय हम बिलकुल ही उन का मुंह बन्द न कर दें । ऐसा करना आवश्यक है क्योंकि कई बार कुछ मित्र यह समझते हैं या इसे ठीक मान लेते हैं कि समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता का अर्थ है सरकार की आलोचना करना.....

बाबू रामनारायण सिंह (हजारीबाग़ पश्चिम) : जी हां ।

डा० केसकर : मेरे मित्र ने इसकी पुष्टि कर दी है और इसलिये यह ज़रूरी है कि मैं इस पर और प्रकाश डालूं । प्रश्न केवल सरकार की आलोचना करने का नहीं है ; प्रश्न यह है कि कोई जो ठीक समझता हो उसे अबाध रूप से कह सके, चाहे वह सरकार का समर्थक ही हो । आयोग की रिपोर्ट का पैरा ९२५ बड़ा रोचक है, इस में कहा गया है :

> "इस सम्बन्ध में हमारे लिये कई पत्रकारों और दूसरे लोगों की इस राय का उल्लेख करना आवश्यक है कि सफल होने के लिये समाचार पत्र को सरकार के कामों की कड़ी आलोचना करनी पड़ती है । उनका कहना है कि यह प्रथा पुराने समय से चली आती है जब कि प्रत्येक अच्छा राष्ट्रवादी पत्र सदा सरकार की आलोचना करता रहता था । उन्हें शिकायत है कि पाठकगण धुंआधार संपादकीय लेखों के इतने आदी हो चुके हैं कि वे गंभीरतापूर्ण अग्रलेखों को पसन्द ही नहीं करते और सरकार की प्रशंसा करने वाले पत्र को तो सन्देह की दृष्टि से देखा जाता है । कई समाचार पत्रों का रुख देखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने को विवश हैं कि जनता ऐसा चाहती हो या न चाहती हो, समाचार-पत्रों को स्वयं यह विश्वास हो गया है कि जिसके हाथ में सत्ता है उसकी बिना सोचे समझे आलोचना करने से उनका अखबार विचारपूर्ण नीति की अपेक्षा अधिक बिकेगा ।"

और इसलिये वे ऐसा करते हैं ।

आयोग ने बड़ी ईमानदारी से यह बात कही है । परन्तु जब भी मैं अपने मित्रों को

[डा० केसकर]

समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता की बात करते सुनता हूं मैं देखता हूं कि ये यह समझ लेते हैं कि समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता का यही मतलब है कि सरकार की आलोचना की जाये। वे यह समझते हैं कि कोई सरकार का समर्थन करता है या यह कहता है कि सरकार सच कह रही है तो उसमें कोई न कोई सन्देहजनक बात अवश्य है। हमें समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता की यह परिभाषा नहीं मान लेनी चाहिये। इसका मतलब यह होना चाहिये कि जब आप देखते हैं कि सरकार ने जो कुछ किया है ठीक है, तो उसका समर्थन करें या जो कुछ सरकार ने किया है उसका अनुमोदन करें और जब सरकार ने कोई बात गलत की हो तो उसकी अबाध रूप से, खुले दिल से और, यदि आवश्यक हो, कटुता से, आलोचना करें। मेरा विचार है कि समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता की बात करते समय इस बात को ध्यान में रखा जायेगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हम समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता और प्रेस आयोग की सिफारशों की बात सोच रहे थे तो हम ने यह ध्यान रखने की चेष्टा की कि हम कोई ऐसा काम न करें—चाहे वह इस समय अच्छा प्रभाव डाले और अच्छा लगता हो—जिससे आगे चल कर समाचार-पत्रों या अन्य साधनों द्वारा अबाध रूप से विचार प्रकट करने में बाधा पड़े।

मैं यह क्यों कह रहा हूं इसका भी एक कारण है। प्रेस आयोग की रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्टों में भी सरकार से उद्योग, पृष्ठों की संख्या के अनुसार मूल्य निर्धारण, अखबारी कागज और अन्य बहुत सी बातों और कुछ अखबार वालों की एकाधिकारी प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में बहुत कुछ करने को कहा जाता है। सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। माननीय सदस्यों ने यहां जो कुछ कहा है उसे देखा जाये तो सरकार को कई मामलों में और बहुधा हस्तक्षेप करना पड़ता है। परन्तु सरकार को ऐसे ढंग से हस्तक्षेप करना पड़ता है कि उन लोगों द्वारा अपने विचार प्रकट करने में बाधा न पड़े और मेरा निवेदन है कि ऐसा करना आसान नहीं है। इसमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है और सरकार जो भी कार्यवाही करे वह ऐसी होनी चाहिये कि उससे लोगों को वह सब कुछ कहने का प्रोत्साहन मिले जिसे वह ठीक समझते हैं चाहे सरकार इसे पसन्द करे चाहे न करे। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रेस आयोग की रिपोर्ट पर सावधानी के साथ विचार करते समय सरकार को इस महत्वपूर्ण बात का भी ध्यान रखना पड़ा है।

मैं एक और सामान्य बात कहना चाहता हूं। अधिकतर सदस्यों ने समाचार पत्रों की बात की है और चाहे उन का तात्पर्य ऐसा न रहा हो मुझे ऐसा लगता है—समाचार पत्रों में छपे संक्षिप्त विवरण से भी ऐसा ही लगा—कि उन्होंने भारतीय समाचार पत्रों की इसलिये निन्दा की है कि वे प्रेस सामन्तों की, या उन्हें और जो भी नाम दिये गये हों, सम्पत्ति हैं। सम्भव है कि ऐसे लोग हों। परन्तु हमें समाचार-पत्रों के प्रति न्याय करना चाहिये, क्योंकि इस की एक आम बात सभी पत्रों के लिए कह देना उनके साथ न्याय नहीं है और ऐसा कहने का मतलब यह है कि हम बहुत से अच्छे पत्रों को सिर्फ इसलिये बुरा बता रहे हैं कि बहुत से बुरे समाचार पत्र भी हैं। दोनों को ध्यान में रख के सोचिये। मैं स्वयं तो यह कहना चाहता हूं कि मैं इस प्रकार सारे भारतीय समाचार पत्रों को बुरा नहीं कह सकता क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि अखबार अच्छे भी हैं और बुरे भी। मैं बुरे समाचार पत्रों की निन्दा करना चाहता हूं परन्तु साथ ही अच्छे

पत्रों की प्रशंसा भी करना चाहता हूं । मैं इस सम्बन्ध में प्रेस आयोग की रिपोर्ट का उद्धरण देना चाहता हूं । जहां तक उचित रूप से समचार छापने का सम्बन्ध है, आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा ९२२ में कहा है :—

'बहुत से समाचारपत्रों का और उनमें छपने वाले विभिन्न प्रकार के विषयों का अध्ययन किया गया है । उनमें ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलते हैं जहां किसी समाचार को गलत ढंग से पेश किया गया हो और केवल कुछ ही मामलों में हमारी परिभाषा के अनुसार अनुचित राय प्रकट की गई है ।'

दूसरी बात आयोग ने पत्रकारिता के स्तर के सम्बन्ध में कही है । पैरा ९४५ में कहा गया है :

"समाचार पत्रों के काम के इस अध्ययन के अन्त में यह कहना आवश्यक है कि सब बातों को देखते हुये यह मालूम होता है कि पुराने पत्रों की पत्रकारिता का स्तर काफी ऊंचा रहा है । हमें यह कहते हुये प्रसन्नता है कि उन्होंने घटिया किस्म की सनसनी नहीं फैलाई और न ही किसी के व्यक्तिगत जीवन की बातों का प्रचार किया है । भारत में अधिकतर बिक्री ऐसे ही अखबारों की है ।"

और अन्त में पैरा १०१८ में प्रेस आयोग ने कहा है :

"आम तौर पर जिम्मेदार समाचार पत्रों ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो देश के लिये लज्जा की बात हो । बल्कि हम तो यहां तक कह सकते हैं कि समाचार पत्रों का आम तौर पर जो रुख रहा है वह संसार के किसी भी देश के लिये श्रेयस्कर हो सकता है ।"

मुझे प्रेस आयोग अधिनियम के विभिन्न पत्रों को देखने का मौका तो नहीं मिला परन्तु मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि पत्रकारिता के अपने ज्ञान के आधार पर कह सकता हूं कि हमारे देश में ऐसे उत्तम समाचार पत्र हैं जिन पर कोई भी देश गर्व कर सकता है । हो सकता है कि सनसनी फैलाने वाले पत्र भी हों और बुरे पत्र भी हों परन्तु जब हम बुरे पत्रों की निन्दा करते हैं तो हमें सभी समाचार-पत्रों को बुरा नहीं कहना चाहिये ।

यह कहा गया था—विशेषकर मेरे आदरणीय मित्र श्री कृपालानी ने कहा—कि पत्रकारिता का स्तर गिर गया है । उन्होंने कहा है कि पहले पत्रकारिता को एक ध्येय के रूप में माना जाता था परन्तु अब वह बात नहीं ह बल्कि पत्रकारिता लाभ कमाने का साधन बन गयी है । इस में कोई सन्देह नहीं कि अब पत्रकारिता को एक ध्येय नहीं माना जाता । हम ठीक ठोक कहें तो यह नहीं कह सकते कि १९४७ से पहले भी पत्रकारिता एक ध्येय मानी जाती थी । उससे पहले भी ऐसे पत्र थे जो कोरे समाचार-पत्र ही थे । वे समाचार देते थे और ऐसे ढंग से देते थे जिसे वे उचित समझते थे । ो सकता है कि कुछ सही हों और कुछ गलत परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि १९४७ से पहले बहुत से ऐसे पत्र थे जिन का कोई ध्येय था । मैं यह भी मानता हूं कि ऐसे समाचार पत्रों का कोई ध्येय होने के कारण और इसलिये भी कि महान् देशभक्त और महान् व्यक्ति उन के सम्पादक थे, उनका स्तर इतना ऊंचा हो गया था—विशेषकर अग्रलेख लिखने और राय प्रकट करने में—जिस तक कि आजकल या बाद में शायद ही कोई पहुंच सके या शायद न भी

[डा० केसकर]

पहुंच सके। यह ठीक है, परन्तु हमें वास्तविकता को देखना है, १९४७ से पहले इस देश के सामने एक ध्येय--सर्वव्यापी ध्येय था। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति--या कम से कम अधिकतर व्यक्ति--की एक ही उत्कट इच्छा थी और वह यह कि देश आज़ाद हो जाये। कुछ लोग सोचते थे कि देश इस ढंग से आज़ाद होगा, कुछ सोचते थे नहीं ऐसे होगा और सभी न अपने अपने ढंग से बताते थे कि देश को कैसे स्वतन्त्र कराया जा सकता है। १९४७ के बाद यह नहीं कहा जा सकता कि देश में प्रत्येक व्यक्ति के सामने वह ध्येय विशेष रहेगा, क्योंकि हमें यह याद रखना है कि उस समय तक.....

आचार्य कृपालानी (भागलपुर व पूर्निया) : मेरा विचार है कि जब आपने कांग्रेस में देश के समाजवादी ढांचे के सम्बन्ध में संकल्प पास किया था तो हमारे सामने एक ध्येय था जिस पर सभी सहमत थे। मेरा विचार है कि यह राष्ट्रवाद की अपेक्षा आदर्शवाद अधिक था।

डा० केसकर : मैं यह कह दूं कि कांग्रेस दल के लिये कांग्रेसवादी ढांचा है; समाजवादी दल के लिये समाजवादी ढांचा और साम्यवादी दल के लिये साम्यवादी ढांचा ध्येय हो सकता है। यह तो दल का ध्येय है। मैं तो यह कहता हूं कि १९४७ से पहले भारत में सभी देशवासियों के मन में आज़ादी की लगन थी और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आज़ादी न चाहता हो। इसलिये इस ध्येय के लिये काम करने वाले के प्रति जनता की सहानुभति होती थी। राजनीतिक दल, चाहे वे कितने ही बड़े या छोटे क्यों न हों, उस समर्थन और सहानुभूति की आशा नहीं कर सकते जो उन्हें पहले मिलती थी। केवल यही बात नहीं है। हमें यह भी याद रखना है.....

श्री साधन गुप्त उठे--

डा० केसकर : मुझे खेद है परन्तु मैं उन्हें बाधा नहीं डालने दूंगा। यदि वह चाहें तो अन्त में मैं प्रश्नों के उत्तर दूंगा परन्तु मुझे अपनी युक्ति तो पूरी करने दीजिये।

दूसरी बात यह है कि भारत में निरक्षरता थी और अब भी है और साथ ही यह बात थी कि लोगों को पढ़ने की आदत नहीं पड़ी थी। और हमें इन बातों का ध्यान रखना था। उदाहरण के लिये पच्चीस तीस वर्ष पहले के इस देश में पढ़ने वाले लोगों और इतने ही वर्ष पहले अमरीका या योरुप के पढ़ने वाले लोगों में बड़ा अंतर है इसका कारण यह है कि निरक्षरता बहुत थी; क्योंकि यह बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी जानते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जिसे भूलना नहीं चाहिये यह है कि लोगों में पढ़ने का शौक़ नहीं बढ़ा। यह अब भी ऐसा है और यह इस का एक और कारण है कि अन्य देशों की अपेक्षा इस देश में व्यापार के रूप में समाचार पत्रों का विकास उतना शीघ्र नहीं हुआ।

एक प्रश्न उन समाचार पत्रों के विकास का है, जो केवल वर्तमान समाचार देते हैं। अब पाठकों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है और बिक्री भी बढ़ती जा रही है। मैं इस का समर्थन या विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिसे पहले ध्येय समझा जाता था, वह अब केवल वृत्ति बन गया है और इस परिवर्तन को अब स्वीकार करना होगा।

एकाधिपत्य के प्रश्न की ओर लगभग सभी वक्ताओं ने निर्देश किया है। इस में सन्देह नहीं कि समाचारपत्रों के व्यापार बन जाने से इन में भी कुछ ऐसी प्रवृत्तियां आ गई हैं, जो अन्य व्यापारों में होती हैं। उदाहरणतया बिक्री बढ़ाने और अधिक लाभ कमाने

की प्रवृत्ति अब इस देश में बढ़ती जा रही है। यह इस बात से प्रकट होता है कि गत ५ या १० वर्षों से एक साथ कई समाचारपत्र प्रकाशित करने की प्रथा शुरू हो गई है। इसमें सन्देह नहीं कि इस से समाचार उद्योग पर बहुत प्रभाव पड़ेगा और इस समस्या को सावधानी से हल करना पड़ेगा। किन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि अभी पूर्ण रूप से एकाधिपत्य स्थापित नहीं हुआ है। प्रेस आयोग ने एकाधिपत्य की वृद्धि के बारे में जो सुझाव दिये हैं, वह अधिकतर निवारक हैं और वर्तमान एकाधिपत्यों को, जो कि अधिक नहीं हैं, बन्द करने के लिये नहीं हैं। मैं प्रेस आयोग से इस बात पर सहमत हूं कि एकाधिपत्य की प्रवृत्ति रोकी जानी चाहिए प्रेस आयोग ने इसके दो तीन तरीक़े बताये हैं। एक यह है कि प्रेस परिषद एकाधिपत्य के मामलों के बारे में सरकार को सलाह दे। दूसरा सुझाव यह है कि पृष्ठानुसार मूल्य प्रणाली शुरू की जाये और तीसरा यह है कि समाचारपत्रों गुट्टों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये। मैं इन विषयों का उल्लेख बाद में करूंगा।

सरकार को क्या कार्यवाही करनी चाहिये, इस प्रश्न की चर्चा करने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना चाहता हूं। प्रेस आयोग के एक सदस्य श्री जयपालसिंह ने बहुत सी बातों का उल्लेख किया है जो आयोग के समक्ष थीं और सरकार को चुनौती दी है कि साक्ष्य प्रकाशित किया जाये। इस मामले में आयोग ने स्वयं पैरा २३ में बताया है कि साक्ष्य को गुप्त रखने के क्या करण थे। मैं ने आयोग के अध्यक्ष से इस मामले पर बातचीत की थी। एक बात याद रखनी चाहिये कि बहुत से लोगों ने इस आश्वासन पर यह साक्ष्य दिया था, कि इसे प्रकाशित नहीं किया जायेगा। मेरे विचार में इसको अभी प्रकाशित कर देना उचित नहीं होगा। कुछ समय बाद ऐसा किया जा सकता है।

श्री जयपाल सिंह : क्या सरकार उस साक्ष्य को प्रकाशित करेगी जिसके बारे में ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया था। आप गोपनीय साक्ष्य को प्रकाशित न करें, शेष को तो करें।

डा० केसकर : मैं नहीं जानता कि विभिन्न प्रकार के साक्ष्य के बारे में विभेद किया गया था। मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई आपत्ति नहीं है। मैं ने आयोग के अध्यक्ष से कहा था कि यदि साक्ष्य प्रकाशित करने के लिये साक्षियों की मंजूरी ले ली जाये, तो इसे प्रकाशित करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : क्या ऐसे साक्षियों की कोई सूची बनाई गई थी जिन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि उनके साक्ष्य को गोपनीय समझा जायेगा ? अन्यथा साक्षियों में विभेद करने का कोई लाभ नहीं।

डा० केसकर : यह सामान्य आश्वासन था। मेरे विचार में कुछ साक्षी ऐसे थे जिन्हें साक्ष्य के प्रकाशित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं थी। कुछ ऐसे थे जो इसके लिये तैयार नहीं थे क्योंकि उन का विचार था कि इस से अन्य लोग लाभ उठायेंगे। मैं नहीं कह सकता कि यह उचित था या अनुचित। आश्वासन मैं ने नहीं दिया था, आयोग ने दिया था और उसे दोष देने का कोई लाभ नहीं। किन्तु यदि साक्ष्य देने वाले लोगों को कोई आपत्ति न हो तो मैं इस पर विचार करने के लिये तैयार हूं।

श्री एस० एस० मोरे : यदि यह लोक हित में हो, तो इसे प्रकाशित कर दिया जाये।

डा० केसकर : वास्तव में, यदि साक्ष्य प्रकाशित कर दिया जाये, तो मुझे कोई परवाह नहीं किन्तु प्रश्न यह है कि क्या सरकार आयोग द्वारा दिये गये आश्वासन के विरुद्ध जा सकती है और यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ? केवल सरकार से यह मांग करने का कोई लाभ नहीं कि साक्ष्य अब प्रकाशित किया जाये ।

आचार्य कृपालानी : मैं मानता हूं कि यदि कोई आश्वासन दिया गया है तो साक्ष्य को गोपनीय समझा जाना है । परन्तु यदि कोई स्वार्थी लोग स्वयं आयोग पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि अमुक साक्ष्य दिया गया था या नहीं दिया गया था ; या उस पर उचित रूप से विचार हुआ था या नहीं हुआ था तो सच्चाई के लिये ऐसे साक्ष्य का प्रकाशित किया जाना आवश्यक हो जाता है । कुछ व्यक्तियों ने पेम्फलेट निकाले हैं और कहा कि आयोग ने कुछ बातों पर विचार नहीं किया या उनकी राय नहीं ली गई । अतः साक्ष्य प्रकाशित करना आवश्यक हो जाता है ।

श्री जयपाल सिंह : यह कहना ठीक नहीं है कि सभी को यह आश्वासन दिया गया था ।

डा० केसकर : प्रश्न तो यह है कि साक्ष्य प्रकाशित किया जा सकता है या नहीं ? कार्य आरम्भ होने से पूर्व मेरी सभापति से जो बातें हुई थीं मैं उनका सारांश बता रहा था, और मैं समझता हूं कि हमें इस मामले को साधारण नहीं समझना चाहिये । यदि कोई व्यक्ति जो कुछ उसने कहा अथवा जो कुछ उसके कहने का तात्पर्य था उसको लेकर आयोग के सम्मुख साक्ष्य पर आपत्ति उठाता है, तो जैसा कि आचार्य कृपालानी ने कहा है, वह प्रश्न निश्चय ही उत्पन्न होगा, किन्तु मैं यह कह रहा था कि इन सब बातों पर ध्यानपूर्वक विचार किये बिना साक्ष्य को प्रकाशित कर देना सरकार के लिये न तो ठीक ही है और न उचित ही ।

सभापति महोदय : क्या यह चीज़ कोई लिखित रूप में है कि कुछ गवाहों को यह आश्वासन दिया गया था कि उनके साक्ष्य प्रकाशित नहीं होंगे ?

डा० केसकर : हां ।

सभापति महोदय : यदि यह लिखित रूप में है, तो फिर अनुमति बिना साक्ष्य को प्रकाशित किस प्रकार कराया जा सकता है ?

डा० केसकर : यह लिखित रूप में है । आयोग ने विभिन्न प्रकार की सिफारिशें की हैं, किन्तु जैसा कि मैं कह चुका हूं मैं केवल उन्हीं सिफ़ारिशों को लूंगा जो सामान्य हैं और जो समाचार पत्रों के सामान्य सुधार के लिये हैं तथा जिनसे सरकार का सीधा सम्बन्ध नहीं है । मैं उन्हीं सिफारिशों को लूंगा जिनके विषय में आयोग ने कहा है कि सरकार को वैधानिक कार्यवाई करनी चाहिये । इस प्रकार की लगभग पांच सिफारिशें हैं जो इस प्रकार हैं—श्रमजीवी पत्रकारों की सेवा की शर्तें, समाचार पत्रों के पंजीयक सम्बन्धी विधि का पुनरीक्षण, जिसे मैं बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश नहीं समझता ; उद्योग के आर्थिक पहलुओं का पृष्ठानुसार मूल्य के द्वारा विनियमन और एक प्रेस परिषद् का बनाना । जहां तक श्रमजीवी पत्रकारों की सेवा की शर्तों के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं सदस्यों को स्मरण कराना चाहूंगा कि श्रमजीवी पत्रकारों में औद्योगिक विवाद अधिनियम को लागू करने के लिये विधेयक पुरःस्थापित करते समय, मैं इस प्रश्न पर सामान्य मत दे चुका हूं । हम आयोग की इस सिफारिश से पूर्णतः सहमत हैं, कि पत्रकारों को यथोचित स्थिति में काम करने का अवसर दिया जाना चाहिये । उनके साथ न्याय होना चाहिये । इसमें कोई शंका नहीं है और सरकार इस चर्चा के होने से पहले भी इस चीज़ को स्पष्ट कर चुकी है । श्रमजीवी पत्रकारों की सेवा की शर्तों में किस

प्रकार सुधार हो इसके लिये एक योजना बनाने के सम्बन्ध में मैं एक बात पर ज़ोर देना चाहूंगा और उसका जो कुछ भी मैं बाद में कहूंगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । वह बात यह है कि श्रमजीवी पत्रकारों के लिये कर्मकारों की शक्तियां और अधिकार देने का मुख्य उद्देश्य था और आयोग ने इस पर ज़ोर भी दिया है । उनकी स्थिति में सुधार करने की बातों को न केवल विधि बनाने वरन् स्वयं उनके जरा भी, सामूहिक बातचीत द्वारा कार्यान्वित किया जाना चाहिये । यह महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है जिसका विरोधी पक्ष के एक सदस्य ने उल्लेख किया है । मैं उनके इस सुझाव से पूर्णतः सहमत हूं कि अन्य अधिकांश उद्योगों की भांति कार्य की शर्तों सम्बन्धी बहुत सी बातों को तय करने के लिये सामूहिक बातचीत से काम लेना होगा । सारी चीज़ों को न तो विधियों पर छोड़ा जायेगा और न छोड़ा ही जा सकता है क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़े हैं जिनके सम्बन्ध में केवल विधि के ऊपर यह चीज़ नहीं छोड़ी जा सकती कि क्या किया जाना चाहिये । अतः मेरी यह पूर्वावधारणा रही है कि अन्य उद्योगों की भांति, सामूहिक बातचीत की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये ।

मैं यह इस लिये नहीं कह रहा हूं कि हम इस समय क्या करने जा रहे हैं, किन्तु इस पर हमें सदैव विचार करना चाहिये । कुछ लोगों का विचार है कि पत्रकारों के लिये जो कुछ भी किया जाये सब सरकार और संविधि द्वारा ही किया जाये । मैं नहीं समझता कि ऐसा सोचना ठीक होगा । प्रत्येक चीज़ का सरकार और संविधि द्वारा न किया जाना स्वयं पत्रकारों के हित में होगा। बहुत सी चीज़ें उन्हें स्वयं करनी होंगी और मुझे विश्वास है कि वे करेंगे, उन्हें इसके लिये प्रोत्साहित करने की आवश्यकता नहीं, किन्तु संविधि पर बहुत निर्भर रहना ठीक नहीं । मेरे ऐसा कहने से यह तात्पर्य नहीं समझा जाना चाहिये कि प्रेस आयोग ने जो कुछ कहा है, सरकार उसे करना नहीं चाहती । मेरा तो कहना है कि हमने प्रेस आयोग की सामान्य सिफ़ारिशें स्वीकार कर ली हैं । ऐसा हमने इसलिये किया है क्योंकि, जैसा कि आयोग ने स्वयं कहा है, यह एक भिन्न प्रकार का व्यवसाय है जिसके साथ अभी तक समान व्यवहार नहीं किया गया है । इसके साथ भी अन्य व्यवसायों की भांति ही व्यवहार किया जा सकता है और इसे सामूहिक बातचीत की अथवा इसी प्रकार की अन्य शक्तियां दी जा सकती हैं । अतः आवश्यकता इस बात की है कि कुछ आधारभूत चीज़ें अवश्य की जायें, कुछ आधारभूत वैधानिक कार्यवाही अवश्य की जाये जिससे उनकी स्थिति तथा अन्य चीज़ों में आगे सुविधायें मिल सकें, जिसके बाद उन्हें विधि के सहारे की आवश्यकता न रहे । किन्तु वे औद्योगिक विवाद अधिनियम अथवा श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की सेवाओं सम्बन्धी अधिनियम के अधीन, जो बाद में लागू हो सकता है, जो भी कार्यवाही उचित समझेंगे करेंगे ।

जहां तक कार्य की शर्तों का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्यों को स्मरण कराना चाहूंगा कि आयोग ने इन्हीं मुख्य चीज़ों की सिफ़ारिश की है । मैं छंटनी के लिये न्यूनतम सूचना काल, उपदान का भुगतान, सवेतन अवकाश के लिये व्यवस्था, कार्य के अधिकतम घंटे, अन्तर्वर्ती काल में छंटनी के लिये प्रतिकर, न्यूनतम वेतन तथा भविष्य निधि नामक शीर्षों की बात कर रहा हूं । वे विभिन्न शीर्ष हैं जिनके अन्तर्गत उसने कुछ सिफारिशें की हैं और उसने कहा है कि इसको विधान का रूप दे देना चाहिये । साधारणतः हमने

[डा० केसकर]

आयोग की सिफारिशों को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है और सरकार इस प्रयोजन के लिये विधान का प्रारूप बना रही है जो मैं शीघ्र ही इस सभा में पुरःस्थापित करूंगा ।

न्यूनतम मजूरी के विषय में इस सभा में बहुत चर्चा हुई है । कुछ सदस्यों ने चेतावनी दी है और श्री जयपाल सिंह ने इस सम्बन्ध में बड़ी गम्भीर चेतावनी दी है कि हम इसका निर्णय पक्ष में करें अथवा विपक्ष में । मैं इस बात से सहमत हूं कि यह एक बड़ी महत्वपूर्ण सिफारिश है और उसे जितने महत्व की आवश्यकता है उसी से उस पर विचार किया जाना चाहिये । जब हमें किसी उद्योग के लिये न्यूनतम मजूरी के सम्बन्ध में विधान प्रस्तुत करना पड़ता है और इस पर चर्चा करनी होती है कि उसको किस प्रकार किया जाये, तब हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना पड़ता है कि अभी तक हमने केवल मजदूरों का शोषण करने वाले उद्योगों के लिये ही न्यूनतम मजूरी रखी है । न्यूनतम मजरी से मेरा तात्पर्य संविहित न्यूनतम मजूरी से है ।

श्री जयपाल सिंह : यह शोषण करने वाला उद्योग है ।

डा० केसकर : यह प्रेस कर्मचारियों के अन्य विभागों में भी लागू होना चाहिये, केवल पत्रकारों के लिये ही नहीं । किन्तु अभी तक केवल ऐसे कुछ उद्योगों में ही संविहित न्यूनतम मजूरी दी गई थी जिन्हें शोषण करने वाले उद्योग घोषित किया गया था । अतः न्यूनतम मजूरी सम्बन्धी विधान को लेते समय, हमें देखना यह है कि इसमें क्या जटिलतायें होंगी और अन्य उद्योगों में न्यूनतम मजूरी का क्या प्रभाव पड़ेगा जिसकी व्यवस्था करने के लिये हमें पुनः विधान बनाना पड़ेगा । इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा ।

श्री कामत: तो फिर राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी रखिये ।

डा० केसकर : राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है, किन्तु उस पर प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के साथ चर्चा नहीं की जा सकती है ।

मैं यह कह रहा था कि ऐसा निर्णय एकदम नहीं किया जा सकता । न्यूनतम मजूरी के लिये अधिनियम पारित करने से पूर्व, हमें यह देखना पड़ता है कि अन्य उद्योगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा । यह इस प्रकार बनाया जाना चाहिये कि इस प्रकार के उद्योग के लिये जो सिद्धान्त हमने स्वीकार किया है, उसको कुछ संशोधनों सहित अन्य उद्योगों के लिये भी स्वीकार किया जा सके । इन सभी बातों पर विचार रखना है । परन्तु, जैसा कि मैं कह चुका हूं हमने श्रमजीवी पत्रकारों की दशा सुधारने के लिये इस सिफारिश के अन्तर्निहित सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है और मैं आशा करता हूं कि मैं शीघ्र ही एक विधेयक सभा में प्रस्तुत कर सकूंगा ।

बहुत से सदस्यों ने सेवा की शर्तों की कार्यान्विति के समाचार पत्रों पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव की चर्चा की है और पृष्ठानुसार मूल्य के प्रश्न को सेवा की शर्तों में सुधार सम्बन्धी प्रस्थापना से मिला दिया है । आयोग ने प्रत्यक्षतः इन दोनों प्रश्नों को सम्बद्ध नहीं किया है, और वह इस बात से सहमत है कि इसका कुछ कारण और प्रभाव है तथा उनकी सेवा की शर्तों में सुधार करने के लिये जो भी नियम और विनियम बनाये जायेंगे उनके कारण समाचार पत्रों पर वित्तीय प्रभाव पड़ेगा । मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात से सहमत हूं कि निश्चय ही कुछ न कुछ तो

प्रभाव पड़ेगा ही और इन दोनों प्रश्नों की पारस्परिक निर्भरता को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता । यद्यपि प्रविधिक रूप से इसका प्रभाव नही पड़ सकता है तथापि व्यावहारिक रूप से इस में सन्देह नहीं कि जब तक कि उस सिफारिश को भी दूसरी सिफारिश के साथ ही नहीं लिया जायेगा, तब तक छोटे पत्रों पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ेगा, परन्तु उस पर अलग से विचार किया जाना होगा ।

अब में दूसरी महत्वपूर्ण सिफ़ारिश को लेता हूं जो पृष्ठानुसार मूल्य के विषय में है । इस विषय पर समाचारपत्रों और इस सभा में बड़ा मतभेद है । मैं ने इसका उल्लेख करने वाले सभी सदस्यों के भाषणों को बड़ी गम्भीरता से सुना और मैं इस बात से सहमत भी हूं कि यह आयोग की दो तीन महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक है। सर्वप्रथम तो हमें आयोग ने जो प्रमुख कारण बताये हैं उन्हें ध्यान में रखना है । उसका कथन है कि इससे छोटे और मध्यम आकार वाले पत्रों को सहायता मिलेगी । जब हम पृष्ठानुसार मूल्य सम्बन्धी सुझाव पर विचार करें तो हमें इसकी बड़ी अच्छी तरह से जांच करनी है और यह देखना है कि उन उद्देश्यों की जिनका उल्लेख किया गया है, अर्थात् छोटे और मध्यम आकार वाले पत्रों की सहायता करना और एकाधिकार की मनोवृत्तियों पर नियंत्रण रखना, पूर्ति हो । मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि अभी तक हम इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं कर सके हैं, इस सम्बन्ध में जो चर्चा यहां की गई है वह इस मामले में किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचने में निश्चय ही अत्यधिक सहायता होगी । मैं यह भी बताना चाहूंगा कि निर्णय करने से पूर्व भली प्रकार पूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिये हमने समाचार पत्रों के दोनों पक्षों को बुलाया जो पक्ष और विपक्ष में थे और उनके विचारों को सुना तथा सम्पूर्ण प्रश्न पर भली प्रकार उनसे जांच करके वास्तविकता जान ली है । इसके अतिरिक्त हमें इस सभा में व्यक्त किये गये विचार भी प्राप्त हुये हैं और मुझे विश्वास है कि वे ठीक ठीक निर्णय करने में शीघ्र ही हमारी सहायता करेंगे ।

अब मैं प्रेस परिषद् के प्रश्न को लेता हूं इस सम्बन्ध में मैं आरम्भ में ही कहना चाहता हूं कि हम प्रेस परिषद् के सिद्धान्त से सहमत हैं और इस समय हम प्रक्रिया का विवरण तैयार करने में लगे हैं अर्थात् सदस्यों की भर्ती किस प्रकार की जानी चाहिये तथा अन्य संगत प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि हम सभा के सम्मुख एक विधेयक रखने में.....

श्री कामत : अगले सत्र में?

डा० केसकर : जितनी शीघ्र सम्भव होगा, चाहे किसी भी सत्र में हो । वैयक्तिक रूप से मुझे पूर्ण आशा है कि विधेयक बहुत शीघ्र तैयार हो जायेगा । यह सत्र काफ़ी लम्बा होने वाला है और मुझे पूर्ण आशा है कि हम विधेयक को सभा के सम्मुख इसी सत्र में रख सकेंगे । किन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि यह केवल प्रेस परिषद् के निर्माण का ही प्रश्न नहीं है वरन् प्रेस परिषद् के लिये वित्त व्यवस्था करने का भी प्रश्न है जिसके विषय में प्रेस आयोग ने कुछ सिफारिशें की हैं जिन पर सम्बन्धित लोगों से चर्चा भी की जानी थी । इससे कुछ समय अधिक लग सकता है किन्तु हमने प्रेस परिषद् के सुझाव का स्वागत किया है । सरकार इस बात से अत्यधिक प्रसन्न है कि एक ऐसा निकाय होगा जो पत्रकारों के नैतिक सिद्धान्तों को संहिताबद्ध करने वाली इन कठिन और उलझी हुई समस्याओं तथा तमाम अन्य सम्बन्धित समस्याओं पर विचार

[डा० केसकर]

करेगा जिससे सरकार का बोझ बहुत कुछ हल्का हो जायेगा । निश्चय ही यह हमारे लिये बहुत सहायक होगा । अतः यह नहीं कहा जाना चाहिये कि प्रेस परिषद् सम्बन्धी प्रस्थापना के सम्बन्ध में विलम्ब कर रही

मेरे माननीय मित्र श्री जयपाल सिंह प्राथमिकताओं के प्रश्न का निर्देश किया है उन्होंने यह प्रश्न भी उठाया कि हम इस प्रश्न को अब रखने जा रहे हैं मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि यदि वह प्राथमिकताओं को जानना चाहते हैं, तो वे यह हैं । प्राथमिकता संख्या १ श्रमजीवी पत्रकारों की सेवा की शर्तों सम्बन्धी, प्राथमिकता संख्या २ पृष्ठानुसार मूल्य सम्बन्धी और प्राथमिकता संख्या ३ प्रेस परिषद के सम्बन्ध में हैं । किन्तु मैं समझता हूं कि प्राथमिकताओं से कोई विशेष तात्पर्य नहीं निकलेगा क्योंकि अधिकांश चीजें व्यावहारिक रूप में एक साथ आयेंगी । उनमें बहुत कम विलम्ब अथवा समय का अंतर होगा ।

श्री दामोदर मनन : अखबारी क़ाग़ज़ के लिये राज्य व्यापार निगम के विषय में क्या होगा ?

डा० केसकर : मैं सभी आवश्यक बातों पर आ रहा हूं । अखबारी क़ाग़ज़ के लिये राज्य व्यापार का प्रश्न हमारे सम्मुख रहा है । मैं यह कहने में नहीं हिचकता कि यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसके विषय में कोई निर्णय इस अर्थ में करने में कि इसका दूसरे प्रश्न से सम्बन्ध है, विलम्ब कर रहेहैं। हम देश में एक अखबारी क़ाग़ज़ का कारखाना खोलने जा रहे हैं । हम दोनों सुझावों की एक साथ जांच कर रहेहैं । स्पष्ट है कि यह देखना हमारे लिये लाभदायक होगा कि हम देश में तत्काल ही कितना अखबारी क़ागज़ तैयार कर सकते हैं और कितना हमें आयात करना पड़ेगा । मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ।

बहुत से ऐसे मामले होते हैं । जिन के सम्बन्ध में विधान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, बल्कि निष्पादक कार्यवाही की जानी होती है । मैं यहां दो बातों का ज़िक्र करना चाहता हूं, अर्थात् सरकार की विज्ञापन तथा प्रचार विषयक नीति । यह प्रश्न आयव्ययकस म्बन्धी वाद-विवाद के दौरान में भी उठाया गया था । मैं कुछ माननीय सदस्यों का ध्यान उस समय कही गई कुछ बातों की ओर दिलाऊंगा । मेरे माननीय मित्र श्री कामत तथा कुछ अन्य सदस्यों ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा हुई भूल-चूक की चर्चा की है । मैं राज्य सरकारों की ओर से सफाई नहीं दे सकता । ये मामले तो एसे हैं कि उन पर चर्चा राज्यों के विधान मंडलों में ही हो सकती है । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है, राज्य सरकार स्वायत्तशासी हैं । यदि मैं यहां कुछ जवाब देता भी हूं तो यह उनकी मर्ज़ी पर है कि मेरे द्वारा कही बात को मानें या न मानें । मेरे लिये यह उचित नहीं होगा कि मैं इस विषय पर कुछ कहूं क्योंकि मेरे पास आवश्यक जानकारी मौजूद नहीं है । माननीय सदस्य वैसे तो यह प्रश्न यहां उठा सकते है, परन्तु अधिक उचित यही होगा कि ऐसे विषय राज्यों के विधानमंडलों में छोड़े जायें । जब वह (श्री कामत) मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ उसकी चर्चा कर रहे थे.....

श्री कामत : मेरी शिक़ायत पी० टी० आई० के विरुद्ध थी, सरकार के विरुद्ध नहीं ।

डा० केसकर : पी० टी० आई० सरकारी विभाग नहीं है । मैं तो केवल केन्द्रीय सरकार की ओर से कह सकता हूं । कहा गया है कि जो समाचार पत्र सरकार का समर्थन करते हैं, सरकार उन्हें विज्ञापन देती है और आर्थिक सहायता भी देती है । इस विषय पर म कितनी

ही बार बोल चुका हूं । मुझे याद है कि कुछ समय पहले इस सभा के एक सदस्य ने यह कहा था कि सरकार उन समाचार पत्रों को विज्ञापन देती है जो उसका समर्थन करते ह । मैं ने उन्हें बताया था कि सच तो यह है कि सब से अधिक विज्ञापन ऐसे समाचारपत्र को दिये जाते हैं जो बराबर सरकार की आलोचना करता है ।

श्री गाडगील : यह भी बुरी बात है ।

डा० केसकर : मैं मानता हूं ।

श्री सारंगधर दास (ढेंकानाल--पश्चिम कटक) : यह तो खुश करने के लिये किया जाता है ।

डा० केसकर : खुश करने में असफल रहने पर भी हम उन्हें विज्ञापन देना जारी रखते हैं ।

जहां तक इन विज्ञापनों का सम्बन्ध है, पिछले एक-दो वर्षों में हमने दो उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये कुछ कार्यवाही की है । पहला उद्देश्य यह है कि विज्ञापन देते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि अधिक विज्ञापन हिन्दी, गुजराती, मराठी और अन्य देशीय भाषाओं के पत्रों को दिये जायें, अंग्रेज़ी के पत्रों को नहीं । मैं यह भी बता दूं कि इस नीति में प्रगति भी हुई है क्योंकि पिछले दो वर्षों में सरकार ने विज्ञापनों पर जितना धन व्यय किया है उसका ५५ या ६० प्रतिशत से अधिक अंश ग़ैर-अंग्रेज़ी समाचार-पत्रों को गया है । दुर्भाग्य से ऐसे पत्रों की संख्या बहुत अधिक है । सारे भारत में ऐसे पत्रों की संख्या हज़ारों में है । सरकार के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह विभिन्न देशीय भाषाओं के पत्रों को विज्ञापन शुल्क के रूप में अधिक राशि में धन दे । अतएव हम जो राशि विभिन्न पत्रों को देते हैं वह अधिक नहीं होती । परन्तु हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि ग़ैर-अंग्रेज़ी पत्रों को अधिक से अधिक रुपया विज्ञापनों के लिये दें और अंग्रेज़ी पत्रों को दी जाने वाली राशि में निरन्तर कमी करें ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्हीं पत्रों को अधिकांश विज्ञापन नहीं दिये जाते जिनकी बिक्री अधिक हो । यह तो एक दूषित चक्र सा चल जाता है । यदि किसी समाचार पत्र की अधिक बिक्री होती है तो उसे अधिक विज्ञापन मिलते हैं और जब उसे अधिक सरकारी विज्ञापन मिलते हैं तो उसकी बिक्री और भी बढ़ जाती है । इसके परिणाम स्वरूप कुछ ही समाचारपत्रों को सब विज्ञापन मिल जाते हैं—चाहे वे सरकारी हों अथवा ग़ैर-सरकारी । हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसी पत्र को केवल इसी आधार पर विज्ञापन न दिये जायें कि उसकी बिक्री बहुत अधिक है । समयाभाव के कारण मैं इस विषय पर कुछ अधिक न कह सकूंगा ।

अब मैं प्रचार यूनिट (पब्लिसिटी यूनिट) के बारे में कुछ कहूंगा ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या भारत सरकार अब भी अपने विज्ञापन विदेशी विज्ञापन एजेंसियों को दे रही है ।

डा० केसकर : हम लगभग सभी विज्ञापन एजेंसियों के द्वारा विज्ञापन देते रहे ह । मैं इस समय यह तो नहीं बता सकता कि क्या उनमें कोई विदेशी एजेंसी भी थी । परन्तु, सरकार की नीति यह है कि अधिक से अधिक विज्ञापन अपनी ही एजेंसियों के द्वारा दिये जायें ।

अब मैं 'प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो' के बारे में कुछ कहूंगा । श्री कामत ने 'प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो' की कड़ी आलोचना की थी क्योंकि यह "हैंड-आउट" निकालता है । म लोकतंत्र के युग में रह रहे हैं । लोकतन्त्र का सब से अधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्त यह कि

[डा० केसकर]

विरोधी पक्ष सरकार की आलोचना करे। उनका ऐसा करना ठीक भी है क्योंकि उनका सदैव यही प्रयत्न रहता है कि एक सत्ताधारी पक्ष को हटा कर शासन की बागडोर वे खुद संभाले। ठीक है उन्हें ऐसा करने का हक़ है। चाहे उचित समय हो या न हो सरकार के प्रत्येक कार्य की कड़ी आलोचना की जाती है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से मामलों में यह आलोचना ग़लत होती है। जब ग़लत बातों को तथ्य के रूप में रखा जाता है तब सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह जनता के सामने सच्चाई खोल कर रखे। कोई भी इस पर आपत्ति नहीं कर सकता। यदि वह सरकार के विरुद्ध कोई चीज़ कहते हैं तो सरकार को भी पूरा हक़ है कि वह यह सच्चाई दे कि जो कुछ वह कर रही है ठीक है। मैं एक बहुत रोचक उदाहरण देता हूं। आप इसको एक अतिशयोक्ति पूर्ण उदाहरण कह सकते हैं। दो वर्ष पूर्व एक समाचार पत्र ने लिखा था--यह उस समय की बात है जब कि दामोदर घाटी निगम का निर्माण-कार्य चल रहा था—कि वहां बहुत अव्यवस्था और गड़बड़ी है, कि तिलैया बांध का एक स्तम्भ डूब रहा है। सारा बांध चू रहा है तथा उसके भीतर नदी का जल प्रवेश कर रहा है। सरकार को समस्त समाचार-पत्रों को चित्र सहित एक ऐसी विज्ञप्ति देनी पड़ी कि तिलैया बांध में कोई स्तम्भ नहीं है। वह केवल एक दीवार है। पानी कहीं से नहीं चू रहा है, केवल कुछ सीलन आ गई है जोकि सभी कंकरीट (सीमेंट, आदि) के बांधों में आ जाती ह। मैं आपको एक बड़ा उदाहरण दे रहा हूं। किन्तु ऐसी कई बातें नित्य प्रति हो रही हैं इस लिये जैसा कि विरोधी पक्ष के लोग अपनी बातें कहत हैं ठीक उसी प्रकार सरकार का भी यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह भी अपनी बात करे। मैं और भी कहूंगा कि यदि सरकार के विरुद्ध ऐसा ग़लत प्रचार नहीं किया जाता तो प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो की कोई आवश्यकता नहीं होगी तथा मैं ही सब से पहिले सरकार से प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो को खत्म करने के लिये कहूंगा। श्री कामत कह रहे थे कि प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो के समाचार ही समाचार-पत्रों में प्रकाशित होते हैं। उनके मतानुसार हमने प्रेस के पूंजी-पतियों को फुसला लिया है। किन्तु बहुत से साधारण प्रेस वाले भी हैं जिन्हें हमने नहीं फुसलाया है; तथा व आपको बता सकते हैं कि सरकार जो कुछ भी समाचार देती है वह निष्पक्ष तथा सही होता है अथवा न हीं। मैं उन्हें यह चुनौती देता हूं कि वह यह सिद्ध कर दें कि हमारे समाचारों में तथ्य नहीं होता तथा वे इस प्रकार के होते हैं जिन्हें पक्षपात पूर्ण कहा जा सकता है। तीसरी बात उन्होंने मंत्रालयों के प्रचार के सम्बन्ध में कही है। यह निःसन्देह दुःख का विषय है कि मंत्रियों के बारे में प्रचार किया जाये।

आचार्य कृपालानी : हमने वही बात दोहराई हैं जोकि आयोग के प्रतिवेदन में कही गई है।

डा० केसकर : मैंने प्रतिवेदन को बहुत ध्यान से पढ़ा है उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हम सारी बातें समाचार पत्रों के भरोसे ही छोड़ दें। मैं ने स्वयं ही आयोग से लम्बी वार्ता की है। आयोग सरकार के समाचार प्रकाशित करने के विरुद्ध नहीं था। आयोग का यह मत था कि सरकार को समाचार उसी अवस्था में प्रकाशित करना चाहिये जब और जहां उसकी आवश्यकता हो। मैं कह सकता हूं कि हम अपने समाचारों से ग़लत बातों के निराकरण का प्रयत्न करते हैं केवल सरकार की प्रशंसा नहीं किया करते। यदि ऐसी कोई बात होती तो मैं

आचार्य कृपालानी से समहत होता और मैं स्वयं ही ऐसी बात की आलोचना करता ।

तीसरी बात प्रेस के द्वारा मंत्रालयों सम्बन्धी प्रचार के विषय में है । उन्होंने कहा है कि सरकार ने प्रेस पूंजीपतियों को फुसला लिया है । इसका एक प्रमाण यह है कि मंत्रियों का समाचारपत्रों में खूब प्रचार होता है । हम मंत्रियों के प्रचार के सम्बन्ध में कोई आज्ञा जारी नहीं करते हैं । मेरे मित्र यह भी स्वीकार करेंगे कि मंत्री सही या ग़लत जो कुछ भी करेंगे उनका समाचार पत्रों में अवश्य प्रकाशन होगा । मैं इस प्रकाशन के लिये प्रेस को दोषी नहीं ठहरा सकता हूं । वह विदेशी समाचार पत्रों का उदाहरण दे रहे थे । मैं भी विदेशी पत्रों को बहुत ध्यान से पढ़ता हूं । मैं चाहूंगा कि वह अमरीका, जहां का प्रेस बहुत स्वतन्त्र समझा जाता है—का समाचार पत्र देखें तथा इस बात का विश्लेषण करे कि उन समाचार-पत्रों का कितना प्रतिशत स्थान, सरकारी घोषणाओं, मंत्रियों की घोषणाओं और अमरीका के राष्ट्रपति की घोषणाओं से भरा रहता है । उन्हें ज्ञात होगा कि यह प्रतिशत भारत म दिये जाने वाले स्थान के प्रतिशत से कहीं ज्यादा है । आप को ज्ञात होगा कि अधिकांश महत्वपूर्ण अमरीकी समाचारपत्र सरकारी तथा राष्ट्रपति की घोषणाओं के लिये पूरे दो पृष्ठ देते हैं । उन्हें ऐसा करना पड़ता है ; क्योंकि वे महत्वपूर्ण वक्तव्य हैं, जिनका देश तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा । हमारे लिये यह कहना अनुचित है कि इन बातों को प्रेस में स्थान नहीं देना चाहिय । मैं इस बात की भी चिन्ता नहीं करता कि यदि प्रेस श्री कामत की बात का ज़ोर-शोर से प्रचार करता है । उन्हें ऐसा करना चाहिये । इसलिय मैं प्रेस वालों से कहूंगा कि वे श्री कामत की कही हुई बातों पर पूरा ध्यान दें तथा सरकार के बहकावे में न आयें । इस सीमा तक मैं उनसे सहमत हूं ।

लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य प्रेस के कार्य का समर्थन करना नहीं है क्योंकि मुझे इसकी चिन्ता नहीं है यदि प्रेस सरकार के कार्यों का यथासम्भव कम-से-कम भी प्रचार करे । मैं कभी भी प्रेस से सरकार का प्रचार करने को नहीं कहता हूं ।

मुझे दुःख है कि मेरे पास अधिक समय नहीं है । मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है । यह प्रश्न समाचार एजेन्सियों का है । प्रेस आयोग ने भी समाचार एजन्सियों के बारे में कहा है । यहां भी समाचार एजेन्सियों के सम्बन्ध में कई बातें कही गई हैं ।

इस प्रश्न के सम्बन्ध में भी मेरा वही निष्पक्ष और स्वतन्त्र दृष्टिकोण है जैसा कि प्रेस के प्रश्न के सम्बन्ध में था । मुझे कहना चाहिये कि हमारी समाचार एजेन्सियां बुरी नहीं हैं । उन्होंने बुरी बातें की होंगी और प्रेस आयोग ने उन्हें बताया भी है वह चाहे यू० पी० आई० हो या पी० टी० आई० । मैं यह कहूंगा कि पी० टी० आ ई० ने रयूटर से पृथक् होकर खड़े होने के प्रयत्न में प्रशंसनीय कार्य किया है । राक्षस को भी उसका न्यायोचित अधिकार मिलना चाहिये । हमें पी० टी० आई० की केवल इस कारण बुराई नहीं करनी चाहिये कि उसके कुछ निदेशकों ने कुछ बुरी बातें की हैं । यू० पी० आई० के प्रश्न पर भी आचार्य कृपालानी ने उसकी पहले की सेवाओं का यथार्थ निर्देश किया है : मैं व्यक्तिगत रूप से पी० टी० आई० अथवा यू० पी० आई० की ओर से संघर्ष नहीं करूंगा । दोनों ही गैर-सरकारी संगठन हैं । तथा हमारा उनसे लेन-देन केवल एक ग्राहक की हैसियत से है । यदि मैं पी० टी० आई० की

[डा० केसकर]

आलोचना करने का प्रयत्न करूंगा तो अच्छी और बुरी बातें दोनों ही कहूंगा। यही बात यू० पी० आई० पर भी लागू होती है। आयोग ने इन दोनों निकायों के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा है, सरकार ने उस पर बहुत गौर किया है। मैं माननीय सदस्यों को यह याद दिलाऊंगा कि आयोग ने क्या कहा है। आयोग ने कहा है कि 'यदि एक सार्वजनिक निगम समाचार-पत्रों के सहकारी आधार पर न बनाया जाकर अन्य प्रकार से बनाया जाता है तो उसे सदैव इस बात का खतरा रहेगा कि समाचार-पत्र उसकी सेवाओं को नहीं लेंगे इसलिये निगम का निर्माण वर्तमान आधार पर ही करना होगा, चाहे किन्हीं भी परिवर्तनों का सुझाव दिया जाये' वे अग्रेतर यह कहते हैं :

> "हम यह अनुभव करते हैं कि समाज सेवा की जिस भावना ने, कई समाचार-पत्रों को, ऐसे समय जबकि रयूटर एसोसियेटेड प्रेस आफ इण्डिया के संचालन में रुचि नहीं रखता था, उसकी ग्रहीत पंजी लेने की प्रेरणा दी, यही भावना उन्हें आज भी, जब कि प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया कठिनाई में है इस संगठन को नये सार्वजनिक निगम के हाथों हस्तान्तरित करने की प्रेरणा देगी। एजेन्सी का प्रयोजन समाचार पत्रों की सेवा करना है। उसकी सफलता उस निरपेक्ष प्रणाली पर निर्भर है जिसके द्वारा वह उनके हितों की रक्षा करता है।"

अन्त में उन्होंने कहा है :—

> "हम विश्वास करते हैं कि प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया के अंशधारी हमारी सिफारिश मानेंगे तथा वे इस एजेन्सी को हमारे द्वारा सुझाये गये तरीके से स्थापित हुये निगम को हस्तान्तरित कर देंगे।"

मैं जो बात कहना चाहता हूं वह यह है कि सरकार यू० पी० आई० या पी० टी० आई० के ऊपर अपनी इच्छा लादने की स्थिति में नहीं है। वैध रूप से भी ऐसा करना सम्भव नहीं है। वैधानिक तरीके से भी ऐसा करना संभव नहीं है। प्रेस आयोग ने भी यह बात दो तीन बार दुहराई है कि उनकी अपील पी० टी० आई० के अंशधारियों के नाम है क्योंकि वह स्वयं यह अनुभव करते हैं कि यदि सरकारी आदेश द्वारा कोई भी एजेन्सी एक रूप से दूसरे रूप में बदली जाती है तो वह सरकार के नियंत्रण अथवा प्रभाव में आ जायेगी। वे ऐसा न होने देने के लिये बहुत सावधान हैं। मैं स्वयं भी कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करना चाहता जिससे यह आरोप लगाया जाय कि सरकार अप्रत्यक्ष रूप से एजन्सियों को लेना चाहती है। बिना ऐसा किये ही आरोप लगाये जाते हैं। यदि ऐसा किया गया तो आरोप और भी बढ़ जायेगा। इसलिये मैं सदस्यों से इस बात पर ध्यान देने के लिये कहूंगा कि जब वे सरकार से पी० टी० आई० अथवा यू० पी० आई० को न्यास एवं निगमों में बदलने को कहें तो यह ध्यान रखें कि स्वयं प्रेस आयोग ने सरकार से यह अपील नहीं की है। उन्होंने पी० टी० आई० के अंशधारियों की सार्वजनिक भावना से यह अपील की है। सरकार ने इस प्रश्न पर अपनी इच्छा अभिव्यक्त कर दी थी तथा यह भी बता दिया था कि प्रेस आयोग ने दोनों निकायों के बारे में क्या कहा है। सरकार इस मामले में यथासंभव प्रयत्न करेगी। किन्तु मुझे दुःख है कि हम से यह सम्भव न होगा कि हम

डंडा हाथ में लेकर कोई ऐसी बात करें जिससे वर्तमान ढांचा तो नष्ट हो जाये और नये ढांचे का निर्माण न हो सके। क्योंकि ऐसा करना स्वतंत्र प्रेस के हितों के लिये वांछनीय नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि सोच-समझ कर कार्य किया जायेगा, तथा परिणाम शुभ और लाभदायक होगा और अन्ततः दोनों निकायों के अंश-धारियों के द्वारा इसके एक ऐसे रूप का निर्माण होगा जोकि दोनों निकायों के प्रति जनता में विश्वास पैदा करेगा।

श्री जयपाल सिंह : यदि अन्य व्यक्ति ऐसा न करके गलती कर रहे हों तो क्या मेरे माननीय मित्र नये कार्य का सूत्रपात नहीं कर सकते।

डा० केसकर : मैं यह सुझाव मानने को प्रस्तुत नहीं हूं। प्रेस आयोग ने हमें ऐसे विकल्प नहीं दिये हैं कि यदि हम ऐसा नहीं करते तो आप ही ऐसा करें। मैंने प्रेस आयोग का दृष्टिकोण जानने का प्रश्न किया है। उनका दृष्टिकोण यह है कि वे चाहते हैं कि अंशधारी ही यह काम करें। मैं सरकार की ओर से कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जिसे कठोर कार्यवाही कहा जाये और जो प्रेस की स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप करे। मैं व्यक्तिगत रूप से भी ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि विरोधी पक्ष के सदस्य तब यह कह कर कि हमने प्रेस की स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप किया, हम पर दोषारोपण करेंगे।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): यदि पी० टी० आई० या यू० पी० आई० प्रेस आयोग की सिफारशें नहीं मानेंगे तो क्या सरकार उन्हें सहायता देना बन्द कर देगी।

डा० केसकर : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि यदि वे ऐसा न करें तो हम टेलीप्रिन्टर तथा अन्य सेवायें हटा लेंगे, बल्कि मुझे माननीय सदस्यों को यह जानकारी देनी चाहिये कि प्रेस आयोग ने यह सिफारिश की है कि यू० पी० आई० तथा पी० टी० आई० को अधिक चन्दा दिया जाये। हमने दोनों निकायों को यह बता दिया है कि जब तक सरकार इस बात से सन्तुष्ट नहीं हो जायेगी कि वे सही दिशा की ओर क़दम उठा रहे हैं, हम प्रेस आयोग के द्वारा सुझायी गयी राज्य सहायता में वृद्धि नहीं करेंगे। लेकिन मेरे विचार से ऐसा करना ठीक न होगा कि हम उनसे कहें कि यदि आप प्रेस आयोग के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो कब से हम आपको दिया जाने वाला चन्दा रोक देंगे। हमें कोई ऐसी विपत्ति नहीं पैदा करनी चाहिये कि हमारी समाचार एजेन्सियां बन्द हो जायें। मेरे मत से यह अच्छा नहीं होगा।

मैं अपने माननीय मित्र द्वारा कही गई लगभग सभी महत्वपूर्ण बातों पर बोल चुका हूं। अब मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये मतों पर कुछ शब्द कहूंगा। कई सदस्यों ने इस विषय पर भाषण दिये हैं अतः मेरे लिये सभी बातों का उत्तर देना सम्भव न होगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी ने कई सुझाव रखे हैं। मैं उनको उनके सुन्दर भाषण के लिये बधाई देता हूं। उनके एक तो सुझाव बहुत सुन्दर हैं। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि मैं उनके सुझावों पर अवश्य ध्यान दूंगा।

श्री जोकीम आल्वा ने यह सुझाव दिया है कि इंडियन एण्ड ईस्टर्न न्यूज़पेपर सोसायटी (भारतीय तथा पूर्वीय समाचार पत्र संस्था) की सदस्यता सरल बना दी जाये। उक्त संस्था पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। मैं आशा करता हूं कि जोकीम आल्वा के सुझाव पर स्वयं संस्था के सदस्य विचार करेंगे जिससे कि संस्था कुछ एक व्यक्तियों का

[डा० केसकर]

निकाय न रह कर सारे समाचार-पत्रों का प्रतिनिधित्व करे क्योंकि व्यापक सदस्यता हुये बिना निकाय को समाचार पत्रों के स्वामियों की ओर से बोलने का अधिकार नहीं मिल सकता ।

कई सुझाव रखे गये हैं । मैं ने उन सभी को ध्यान में रखा है । कुछ ऐसे भी सुझाव हैं जिन्हें प्रत्यक्ष प्रेस आयोग के सुझाव से कुछ नहीं करना है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वे आयोग से सम्बन्धित हैं । मैं उन पर अवश्य ध्यान दूंगा, यथासम्भव उन्हें क्रियान्वित करने का प्रयत्न करूंगा ।

श्री एम० पी० मिश्र (मुंगेर उत्तर पश्चिम) : आपने वर्ग पहेलियों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा ।

डा० केसकर : जैसा कि आप जानते हैं वर्ग पहेलियों के सम्बन्ध में विधान बनाने पर विचार किया जा रहा है तथा वह बहुत शीघ्र ही सभा के सम्मुख प्रस्तुत होगा ।

विधान द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली सिफ़ारिशों के लिये सरकार इस समय उस विधान का प्रारूप तैयार कर रही है ; कार्य-पालिका कार्यवाही के लिये भी दो-एक मामले हैं जिनके सम्बन्ध में मैं ने निर्देश किया है ।

मैं समझता हूं कि यदि इस सारे काम का सिंहावलोकन हो तो सरकार वैधरूप से इस बात का दावा कर सकती है कि हमने आयोग की सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने या उनका पालन करने का प्रयत्न किया है । मैं यह भी जानता हूं कि सदस्यों को संतोष प्राप्त नहीं । कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि हम ने कार्यान्विति में अनुचित रूप से देर की है । सिफ़ारिशों की गम्भीरता और उनकी विशदता एवं पेचीदगी को ध्यान में रखते हुये देर होना तो युक्तियुक्त है । वास्तव में, यदि विलम्ब करने से हम अधिक बुद्धिमत्ता और अधिक अच्छे निश्चय से आयोग के प्रतिवेदन को अधिक प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित कर सकें तो आप सब इस बात में मुझ से सहमत होंगे कि इस प्रकार का विलम्ब युक्तियुक्त था ।

मैं पुनः अपने प्रस्ताव को सभा के समर्थन के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

श्री कामत : क्या सरकार एशियाई समाचार एजेन्सियों को सुविधायें देना चाहती है, और विदेशी समाचारों पर से रयूटर्स के एकाधिपत्य को हटाना चाहती है ?

डा० केसकर : मुझे इस बात का ध्यान है । खेद है कि मैं सभी सुझावों का हवाला नहीं दे सका हूं । मैं ने अवश्य उनको ध्यान में रखा है ।

श्री कामत : प्रबन्ध सम्पादकों का क्या होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब तो तीन दिन तक कहा गया । माननीय मंत्री ने प्रत्येक बात को ध्यान में रखा है । अब और प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे । सभी संशोधनों में से मैं पहले श्री रघुरामैय्या द्वारा प्रस्तुत संशोधन सभा के समक्ष मतदान के लिये रखूंगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : वह तो बाद का संशोधन है । पहले के संशोधनों को क्यों नहीं रखा गया ?

उपाध्यक्ष महोदय : जो संशोधन अवरुद्ध न हों उन्हें ही मतदान के लिये रखा जाता है । माननीय सदस्यों को कार्यसंचालन के नियमों से परिचित होना चाहिये । पीठासीन व्यक्ति को इस बात का अधिकार है कि वह कोई भी गृहीत संशोधन, वह प्रारम्भ का हो या बाद का, सब से पहले मतदान के लिये रख सकता है । अब मैं मूल प्रस्ताव के स्थान पर

श्री रघुरामैया का यह संशोधन मतदान के लिये रखूंगा :—

"कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह प्रस्ताव रखा जाये :—

"यह सभा प्रेस आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद इसकी सिफ़ारिशों को सामान्य रूप से स्वीकार करती है और इनको यथासम्भव शीघ्र क्रियान्वित करने के लिये सरकार से प्रार्थना करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य संशोधन भी मूल प्रस्ताव के स्थान में सुझाये गये प्रस्ताव ही हैं । यदि वे अवरुद्ध न हों और माननीय सदस्य चाहते हों कि उनमें कुछ और जोड़ा जाये या उनसे कुछ घटाया जाये, तो मुझे कोई आपत्ति न होगी । अब मैं श्री तिम्मय्या का संशोधन लूंगा । क्या वह इस पर अनुरोध कर रहे हैं ?

श्री तिम्मय्या (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : जी नहीं, मैं इस पर अनुरोध नहीं करता ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी का संशोधन है : क्या वह इस पर अनुरोध करते हैं ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : हां, श्रीमान् ।

[उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मूल प्रस्ताव के स्थान पर श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी का प्रस्ताव सभा के समक्ष मतदान के लिये रखा गया ।]

लोक सभा में विभाजन हुआ । पक्ष में २३ थे और विपक्ष में १३४ ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधनों के अन्य प्रस्ताव अवरुद्ध हैं ।

अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) अधिनियम, १९४९ को कुछ अग्रेतर अवधि के लिये चालू रखने के विधेयक पर विचार किया जाय ।"

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, २३ अगस्त, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

GIPND—HS—241 L S D 21-7-56 190